राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का २४वां दिवस [संख्या १८

बुधवार, ११ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ४५५

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४५६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ४५७

श्री मानिकचन्द कोठारी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४५८

श्री अर्जनदास।

(अनुपस्थित)

श्री मोहब्बतसिंह।

स्वरूपगंज-कोटड़ा सड़क

४५९. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही): Will the Ministef for Public Works be pleased to state :

Whether the Government is contemplating to take up the construction work of Sarupganj-Kotra road ? If so, by what time it is to be completed ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : The work is already in hand; it is hoped to be completed in 1960-61.

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

सरकार द्वारा कुचामन म्युनिसिपल बोर्ड को अयोग्य ठहराना

४६० श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) :

Page No.2

(श्री भैरोंसिंह)

क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कुचामन नगरपालिका की अवधि जो १५–८–५८ को समाप्त हो गई थी म्युनिसिपल बोर्ड को अयोग्य ठहराते हुए नहीं बढ़ाई गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि १५–८–५८ को उस नगरपालिका की मियाद खत्म हो गई थी और उसी दिन से इसको अयोग्य घोषित कर दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मियाद खत्म हुई इसलिये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करने का प्रश्न नहीं। प्रश्न यह है कि जिस दिन मियाद खत्म हुई उसी दिन सरकार ने उसको अयोग्य घोषित किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिस रोज उसकी मियाद खत्म हुई और उसकी टर्म एक्स्टेन्ड नहीं की जाती तो उस म्युनिसिपल बोर्ड को कोई अख्तियार नहीं रहता। वह ओटोमेटिकली ही समाप्त हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न एक्स्टेन्शन का नहीं....

श्री रामकिशोर व्यास : आपके प्रश्न का उत्तर तो मैंने दिया है 'जी हां'।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जिस दिन उसकी मियाद खत्म हुई उसी दिन यह घोषित किया गया कि वह म्युनिसिपल बोर्ड अयोग्य है, तो वह म्युनिसिपल बोर्ड अयोग्य है, यह निर्णय किस आधार पर लिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास: एक म्युनिसिपल बोर्ड की चार, पांच साल की मियाद होती है। वह टर्म खत्म होती है तो वह अगर अयोग्य नहीं है तो भी उसे एक्स्टेन्ड करे न करे, यह सरकार के अधिकार की बात है।

श्री भैरोंसिंह : १६–८–५८ को मियाद खत्म हो गई उसी दिन सरकार ने उसको अयोग्य क्यों ठहराया ? एक्स्टेन्शन न देने में यह कारण लिखा है कि यह बोर्ड अयोग्य है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने मुनासिब नहीं समझा एक्स्टेन्शन देना।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्टेशन नहीं दिया, कोई बात नहीं पर अयोग्य किस आधार पर ठहराया ?

श्री अध्यक्ष : उसको अयोग्य ठहरा कर सुपरसीड थोड़ेही किया है ?

श्री भैरोंसिंह : किसी को अयोग्य ठहराया जाय तो उससे लिये प्रोसीजर लेडाउन किया हुआ है। उसमें उसके हीयरिंग का चान्स होता है। बिना यह सब कुछ किये आज्ञा निकाल दी कि यह म्युनिसिपल बोर्ड अयोग्य है, यह किस आधार पर ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि सेक्शन १५ में जब टर्म खत्म हो जाती है तो एक्स्टेन्शन देना न देना सरकार के अधिकार की बात है। इसलिये एक्स्टेन्शन नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं। मेरा प्रश्न तो यह है कि 'अयोग्य' शब्द का प्रयोग क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : अयोग्यता का असर क्या पड़ता है ?

श्री भैरोंसिंह : पड़ता है माननीय अध्यक्ष, गवर्नमेंट की विज्ञप्ति को निकाल कर वोटरों के पास भेजा गया कि यह म्युनिसिपल बोर्ड अयोग्य था और इसका इलेक्शन पर बहुत बुरा असर पड़ा।

श्री रामकिशोर व्यास : जो फेक्च्युअल पोजिशन थी वह मैंने अर्ज की अब कनक्लुजन आप चाहें वैसे ड्रॉ कर सकते।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कनक्लुजन्स ड्रॉ करने की बात नहीं, जहां जहां म्युनिसिपेलिटी की टर्म खत्म होती है तो क्या वहां उस म्युनिसिपेलिटी को अयोग्य ठहरा कर एक्सटेन्शन देने से इन्कार किया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो अलग अलग केस के मेरिट पर डिपेन्ड करता है।

श्री श्रीभानसिंह : इसमें क्या डिमेरिट था कि इसको अयोग्य घोषित किया गया ?

श्री अध्यक्ष : अयोग्य इसलिये घोषित किया कि एक्सटेन्शन नहीं देना था।

(हंसी)

एक्ट के अन्दर अयोग्यता का अर्थ निकलता है, उसके आधार पर अयोग्यता नहीं ठहराई गई है।

श्री भैरोंसिंह : उसी सेक्शन के अन्तर्गत अयोग्य ठहराया गया है।

श्री अध्यक्ष : अयोग्य ठहराया जाता है तो सुपरसीड किया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास : सेक्शन २०३ म्युनिसिपल एक्ट में सुपरसीड करने का डिक्लेरेशन करना पड़ता है। यह सेक्शन १५ का है। इसको एक्सटेन्ड करें न करें यह अलग बात है। न सुपरसीड किया गया है और न डिजोल्व किया गया है। टर्म एक्सटेन्ड नहीं किया।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इस म्युनिसिपल बोर्ड का टर्म जिस रोज एक्च्युअली खत्म हुआ है उसी दिन इसको अयोग्य ठहराया तो उसकी अयोग्यता का पता सरकार को उसी दिन चला था या पहले भी चला था ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले ही चल गया था पर किसी का टर्म खत्म होने आता है....

श्री चन्दनमल वैद : इसके पहले अयोग्यता सामने आई तो उसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टिव इफेक्ट होता है।

श्री चन्दनमल वैद : इस नगरपालिका को अयोग्य घोषित करने से पहले सुनने का मौका दिया गया था या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सेक्शन २०३ में है, सेक्शन १५ में नहीं है। इसको सेक्शन १५ के मातहत एक्सटेन्शन नहीं दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि अयोग्य शब्द का प्रयोग क्यों किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : टर्म खत्म हो गई थी इसलिये सेक्शन १५ के तहत कार्यवाही की थी।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : 'अयोग्य' शब्द बढ़ाने की ऐसी क्या जरूरत आई थी ?

श्री अध्यक्ष : टर्म बढ़ानी नहीं थी। कारण तो देना ही था।

(हंसी)

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) टर्म खत्म हो रही थी तो चुनाव क्यों नहीं करवाये ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

भारत १६५८. की प्रदर्शनी में राज मंडप

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा)(डॉ बहादुरसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Minister in-charge of Publicity be pleased to state:-

(1)Is it correct that the Rajasthan State Pavilion in the India 1958 Exhibition had two live tiger cubs as a model of the natural resources of the State ?

(2) If so, what other natural resources of Rajasthan were displayed in the Pavilion ?

(3) What is the estimated tiger population in Rajasthan ?

(4) What is the estimated annual income of the State from this particular source ?

(5) Howmuch expenditure the State Government has borne in connection with India, 1958 Exhibition ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) (1) No, Sir.

(2) Question does not arise.

(3) This does not relate to this Department.

(4) This does not relate to this Department.

(5) The State Government sanctioned Rs. 50, 250/-for the Publicity Department in connection with India 1958 Exhibition. Final accounts have not so far been compiled.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा): What is the actual position ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह अब आयेगा।

प्रश्न संख्या ४६२

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६३

श्री नाथूलाल करोल !

(अनुपस्थित

Page No.5

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ४६४

श्री मुरलीधर व्यास !

(अनुपस्थित)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी !

भरतपुर के नये स्थापित होनेवाले बिजली घर की भूमि

४६५. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :** (डीग) क्या मंत्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) भरतपुर में नये स्थापित होनेवाले बिजली घर की भूमि का सौदा किन किन अधिकारियों ने किया था ?

(२) क्या उन्होंने वहां की प्रति बीघा भूमि की कीमत का तुलनात्मक अध्ययन किया था ?

(३) यदि हां, तो किस किस भूमि का और उनके मूल्य में क्या अन्तर था ?

(४) क्या सरकार को पता है कि उक्त भूमि किसी भी स्थायी औद्योगिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है ?

(५) क्या सरकार को यह भी पता है कि स्थानीय कुछ व्यक्तियों ने संबंधित अधिकारियों को अधिक उपयुक्त भूमि कम मूल्य पर देने का ऑफर दिया था ?

(६) क्या सरकार इस भूमि के अवाप्त करने में अत्यधिक कीमत देनेवाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

विद्युत मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): ज़िलाधीश भरतपुर व चेयरमैन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड आदि ने।

(२) ज़िलाधीश की रिपोर्ट है कि यदि उस जमीन को एक्वायर किया जाता तो रुपया दिया गया है उससे कम लागत नहीं बैठती।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं।

(५) जो भूमि देने को कहा गया था वह इस काम के लिए तो उपयुक्त नहीं पाई गई।

(५) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : चौथे प्रश्न में उक्त भूमि किसी भी स्थायी औद्योगिक कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है के सम्बन्ध में यह उत्तर दिया गया है कि 'जी नहीं'। उपयुक्त होने का मतलब क्या यह है कि जो जमीन पानी में दबी रहती है, आवागमन के साधन तक नहीं हैं क्या उसको उपयुक्त मानते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, उसको उपयुक्त माना है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डाईरेक्टर इवेल्युएट करने के लिए गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी भी राय है।

श्री श्रीभानसिंह : Does it mean that mainly the land was evaluated by the Collector, Bharatpur ?

Page No.6

श्री रामकिशोर व्यास : Most of it.

श्री श्रीभानसिंह : भरतपुर के अन्दर लैंड की वेल्यू है, इतनी है कि कलेक्टर साहब ने इवेल्यूएट किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर साहब ने इवेल्यूएट किया, उसको माना है।

श्री श्रीभानसिंह : तो क्या आम ज़मीनों की कीमत भी इतनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर साहब की यही राय है।

श्री श्रीभानसिंह : कलेक्टर साहब की व्यक्तिगत राय यह थी कि इस ज़मीन की कीमत इतनी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कलेक्टर की व्यक्तिगत नहीं एज़ कलेक्टर यह राय थी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसके बराबर की ज़मीन है और उन सबका क्या तुलनात्मक अध्ययन किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर्पज़ के के लिए यह ज़मीन ज्यादा उपयुक्त थी और इसका कारण यह है कि यह ज़मीन रेलवे स्टेशन के पास थी। यदि दूर ले जाते हैं तो कोयला वगैरा का अधिक खर्च पड़ता है चूंकि यह रेलवे स्टेशन के पास है इसलिए लाखों रुपयों का खर्च भविष्य में बच सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : दूसरी भूमि भी तो एक फर्लांग के अन्दर अन्दर है जो कि दी जा रही थी।

श्री रामकिशोर व्यास : उसमें तीन चार फीट पानी भरा रहता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसमें नहीं भरता है। इसलिए पहले इसकी जाँच तो करालें कि दूसरी भूमि दी जा रही थी उसमें तो पानी नहीं भरता है लेकिन अब जो दी जा रही है उसमें भरा रहता है।

श्री रामकिशोर व्यास : जांच करने का प्रश्न नहीं आता। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी इसको तजवीज़ किया है।

श्री श्रीभानसिंह : ज़मीन की इतनी कीमत थी तो कलेक्टर साहब ने इसको कैसे वेटेज़ दिया कि ६० हज़ार में दी जावे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो राय का प्रश्न है। ट्रान्जेक्शन में अलग अलग राय हो सकती है जो ऑथोरिटीज़ ने कीमत मुनासिब समझी वह दी।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि इस भूमि में अब तक पानी भरा हुआ है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

कालन्द्री गांव में पीने के पानी का अभाव

४६६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:

1. Is the Government aware of the scarcity of drinking water in village Kalandri of Sirohi District ?

Page No.7

(श्री मोहब्बतसिंह)

2. Is the Government contemplating to take this village in the rural water supply scheme of the State ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) :
1. There is no scarcity.

2. No, as there is no scarcity of drinking water.

श्री मोहब्बतसिंह : अमुमन रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का किन आधारों पर नाम लिया जाता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब दिया स्केयरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है।

श्री मोहब्बतसिंह : जहां स्केयरसिटी हो वहां रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में सरपंच दरख्वास्त देता है और पंचायत रेकरिंग एक्सपेन्सेज़ करने के लिए तैयार होती है फिर भी सरकार व्यवस्था क्यों नहीं करती ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह अलग अलग ट्रेन्ड्स पर है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On what grounds the Hon. Minister is saying that there is no scarcity of drinking water ? Is he in possession of some facts that there are wells ?

श्री रामकिशोर व्यास : Yes. On the reports of Officers.

श्री मोहब्बतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि आसपास के कुओं में पीने का पानी खारा है और बहुत दूर पर मीठा पानी मिलता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मीठा भी मौजूद है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) माननीय सदस्य की जानकारी में तो वहां पर पानी की कमी है लेकिन सरकार ने सूचना दी है तो क्या उसकी ज्यादा वख्त है या माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है उसकी ज्यादा वख्त हैं ?

(हंसी)

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों की समझें।

किशनगढ़ हॉस्पिटल के क्वार्टर्स

४६७. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) किशनगढ़ के यज्ञनारायण हॉस्पिटल में डॉक्टर व कम्पाउन्डरों के लिए जो क्वार्टर बने हैं क्या उनमें डॉक्टर और कम्पाउन्डर रहने लग गये ?

(२) यदि नहीं, तो क्या यह माना जावे कि अभी वे पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुए हैं अथवा उनमें कुछ कमी है ?

(३) यदि यह सत्य है, तो क्या इस कमी को सरकार शीघ्र ही दूर कराने की व्यवस्था करेगी ?

(४) यदि हां, तो कब तक यह कमी पूरी करा दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(२) जी हां।

(३) जी हां

(४) आशा है एक माह तक।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

मई, जून सन, १६५८ में जयपुर डिवीजन में पीने के पानी की कमी

४६८. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या यह सही है कि माह मई, जून, सन् १६५८ में जयपुर डिविजन में पीने के पानी की कमी की शिकायतें थीं ? यदि हां, तो कहां कहां ?

(२) क्या यह सही है कि पानी नहीं मिलने से कुछ मनुष्य और पशुओं की मृत्यु हो गई ? अगर हां, तो कहां कहां ?

(३) क्या यह सही है कि पानी नहीं मिलने के कारण जयपुर में डिमॉन्स्ट्रेशन यानि घड़ा-मार्च हुआ था ?

(४) अगर हां, तो किस के द्वारा और सरकार ने तात्कालिक क्या २ कदम उटाये ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से): (१) जी हां, केवल जयपुर शहर के नाहरी का नाका, चौकड़ी घाट गेट, चौकड़ी रामचन्द्रजी आदि स्थानों पर।

(२) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(३) जी हां।

(४) स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि ११–५–५८ को प्रजा सोशलिस्ट पार्टी द्वारा घड़ा–मार्च किया गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह घड़ा मार्च रीता गया था या पानी से भरा हुआ ?

श्री रामकिशोर व्यास : खाली किया गया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वह कहां गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह मेरे मकान पर आया था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने घड़ों में पानी भर दिया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : व्यवस्था कर दी थी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब स्थायी रूप से इन्तजाम किया है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपने देखा होगा-कि शहर में पानी के लिए बहुत काम हो रहा है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह शिकायत आती है कि टूंटियों के नीचे नहाते हैं तो साबुन लगाये हुए ही रह जाते हैं और टूटियां बन्द हो जाती हैं।

(हंसी)

Page No.9

श्री रामकिशोर व्यास : यह हो सकता है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : जहां प्रदर्शन किया था, वहां पीने के पानी की व्यवस्था कर दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि तमाम शहर में पानी की लाइन डालने की बड़ी स्कीम है।

डॉ० चंद्रकला : मुझे सारे शहर से मतलब नहीं है लेकिन नाहरी का नाका, घाटगेट जहां पर पीने के पानी की दिक्कत है और जहां मार्च भी किया था तो वहां पर क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : नाहरी के नाके जहां आपकी दिलचस्पी है पाईप लाइन डाली गई है।

प्रश्न संख्या ४६६

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७०

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४७१

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर नगरपालिका के चुनाव

४७२. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगरपालिका को भंग हुए कितने दिन हो गये ?

(२) नई नगरपालिका का चुनाव व निर्माण कब तक हो जायगा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास, स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) : (१) लगभग ७ माह।

(२) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० चंद्रकला : किस आधार पर यह विचाराधीन है और विचाराधीन कब तक रहेगा ? नतीजे पर सरकार कब तक पहुँच जावेगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक तय न हो जाय।

डॉ० चंद्रकला : तय करने का क्या सवाल है ? म्युनिसिपल एक्ट में साफ है कि इतनी अवधि में चुनाव करा दिये जांय, उतनी अवधि में चुनाव न कराकर फिर यह मामला अब तक क्यों विचाराधीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अवधि बाकी है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : नगरपालिका भंग कर दी गई या सदस्यों ने त्याग-पत्र दिया ?

श्री रामकिशोर व्यास : त्याग-पत्र दिया।

Page No.10

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : म्युनिसिपल एक्ट के अनुसार सामान्य समय में चुनाव हो जाने चाहिये थे तो फिर जयपुर म्युनिसिपेलिटी के चुनाव क्यों नहीं कराये ?

श्री रामकिशोर व्यास : सामान्य समय कहां पूरा हुआ है ?

डॉ० चन्द्रकला : सामान्य समय में क्या चुनाव करा देंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह विचाराधीन है।

डॉ० चन्द्रकला : सामान्य समय में फिर चुनाव नहीं क्यों कराये जा रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक्ट में निर्धारित समय से ज्यादा अवधि निकल जाय, एक्ट के अनुसार समय में चुनाव कराये जांय लेकिन वह निकल जाय और चुनाव नहीं करायें तो क्या विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : वह कह रहे हैं कि समय नहीं निकला है।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : आम तौर पर सरकार क्या रुख अपनाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह राय का सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की स्वीकृति से वहां के एडमिनिस्ट्रेटर टैक्स लगा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैंने भी अखबार में देखा है।

श्री भैरोंसिंह : इसके माने यह हुआ कि सरकार के आदेश नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आवेगा तब देखा जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या सरकार की स्वीकृति से ही ऐसा किया जावेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो कर लगाती है नगरपालिका उसको नोटिफाई करती है और फिर ऑब्जेक्शन को सरकार के पास भेजती है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर): तो क्या चुंगी दरें बढ़ाने के बाद सरकार चुनाव करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मुन्शियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी के केसेज

४७३. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९५७–५८ में एन्टी–करप्शन पुलिस ने तहसील पंचायतों और ग्राम पंचायतों के मुन्शियों के खिलाफ रिश्वतखोरी एवं जलबोर्ड, डवेलपमेन्ट और भारत सेवक समाज की रकम के गबन के आरोप में केसेज रजिस्टर किये हैं ?

(ख) अगर हां, तो उनमें से कितने अदालतों में चालान किये गये हैं और कितने पेन्डिंग हैं और किस किस में सज़ा हुई है ?

(ग) क्या यह सही है कि केसेज रजिस्टर होने और चालान करने से पहले चीफ पंचायत ऑफिसर को इत्तला दी जाती है ? अगर हां, तो क्या उनको अरेस्ट करने से

Page No.11

(रावराजा श्रीसरदारसिंह)

पहले भी चीफ पंचायत ऑफिसर की ईज़ाजत लेनी पड़ती है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) हां, इस प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध २६ अपराध के अभियोग पंजीबद्ध किये गये।

(ख) इस प्रकार के दो मामलों का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि अभी न्यायालय के विचाराधीन है तथा २५ मामले अनुसन्धानाधीन हैं।

(ग) यह आवश्यक नहीं कि मुख्य पंचायत अधिकारी को मामले पंजीबद्ध करते समय अथवा गिरफ्तार करते समय सूचना दी जावे। अभीयोजन की स्वीकृति अलबत्ता अभीयोजन के पूर्व विधानानुसार ग्रहण की जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ये २६ अभियोग किस जगह के पंच, सरपंच के खिलाफ थे जो एन्टी-करप्शन विभाग को दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना मेरे पास नहीं है।

खाद्यान्न में स्टेट ट्रेडिंग नीति

४७४. **श्री रामेश्वरदयाल** (कोटा) : Will the Civil Supplies Minister be pleased to state :-

Has the Government accepted the policy of State Trading in Food-Grains ? If so, what is the scheme ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास खाद्य एवं रसद मन्त्री की ओर से) : Food is a concurrent subject of the Central and State Government. The Central Government has already announced its policy of undertaking State Trading in Food Grains. So far as the actual details of the Scheme are concerned they are being finalized by the Central Government in consultation with all the State Governments. Till the Central Government finalizes it is not expected of the State Governments to launch upon any individual schemes.

श्री रामेश्वरदयाल : How much time will it take when the harvest is almost ready ?

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित हो जायगा।

श्री रामेश्वरदयाल : After the harvest or before the harvest ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस स्कीम को वर्क आउट तो नहीं किया किन्तु यह पॉलिसी के रूप में स्वीकार कर लिया है।

श्री रामेश्वरदयाल : From what date the Govt. will undertake this business in Rajasthan ?

श्री रामकिशोर व्यास : Before the harvest, we expect.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Has the Rajasthan Government submitted some scheme to the Central Government ?

Page No.12

श्री रामकिशोर व्यास : पॉलिसी वे तय कर रहे हैं कैसे एक्वायर किया जाय, क्या एजेन्सी हो, कौनसी एजेन्सी से अनाज लेंगे, ये सब बातें हैं इसके लिये केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या राजस्थान सरकार ने भी अपनी कोई सलाह दी है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, दी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या केन्द्रीय सरकार से राजस्थान सरकार को इस प्रकार के आदेश प्राप्त हुये हैं कि स्टेट ट्रेडिंग स्कीम को स्वीकार किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : दोनों का कोमन सबजेक्ट है।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान सरकार इस बारे में स्वतन्त्र है, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार के आदेश प्राप्त हुये हैं कि स्टेट ट्रेडिंग को स्वीकार किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : केन्द्रीय सरकार की इस नीति को वी हेव अक्सेप्टेड।

श्री भैरोंसिंह : क्या भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को यह आदेश प्राप्त हुये हैं कि स्टेट ट्रेडिंग को माना जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम्पलसरी नहीं है।

रेन्जर्स परीक्षा पास व्यक्तियों की नियुक्ति

४७५. **श्री भैरवलाल 'कालाबादल'** (अकलेरा-सु) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भूतपूर्व कोटा स्टेट काल में रेंजर-ट्रेनिंग पास शुदा व्यक्तियों को सरकार द्वारा किस पद पर रखा गया ?

(ख) क्या रेन्जर्स ट्रेनिंग में पास होने-वाले व्यक्तियों में से एक को रेन्जर, दूसरे को डिप्टी रेन्जर और तीसरे को फोरेस्टर बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) देहरादून कॉलेज से पास हुए सब व्यक्ति रेन्जर के पद पर रखे गये। कोटा स्कूल से पास हुए व्यक्तियों को नियमानुसार रेन्जर्स, डिप्टी रेन्जर्स व फोरेस्टर्स की पोस्ट पर एकीकरण किया गया।

(ख) जी हां। उनकी योग्यतानुसार व उस पोस्ट को ध्यान में रख जिस पद पर वे रियासतों के समय कार्य कर रहे थे रेन्जर, डिप्टी रेन्जर व फोरेस्टर की पोस्ट पर एकीकरण किया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : एक ही प्रकार की ट्रेनिंग पाये हुए तीन आदमियों को अलग अलग तरह की पोस्ट्स आपने दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिन जिन जगहों पर वे पहले थे उन्हीं पर उनका इन्टीग्रेशन कर दिया गया।

श्री भैरवलाल 'काला बादल' : क्या उनके ग्रेड समान नहीं रखे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीनों ग्रेड्स अलग अलग हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो फिर रेन्जर की ट्रेनिंग क्यों दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो केवल नाम मात्र की ट्रेनिंग थी। एक साल में रेन्जर की ट्रेनिंग हो नहीं सकती। रियासतों के समय से जिस जगह से वे आये थे उसी जगह पर उनको रख दिया गया।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): तो फिर सरकार ने रुपया खर्च क्यों किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह पुरानी रियासत के समय की बात थी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या जो लोग जिस पद पर काम कर रहे हैं क्या उसी पर पर्मानेन्ट फिक्स करने का विचार करती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इन्टीग्रेशन तो पूरा हो गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या १६५७ तक का इन्टीग्रेशन हो गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने पहले ही बतला दिया सारा इन्टीग्रेशन का काम पूरा हो चुका।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : क्या जिनकी सिफारिश थी उनको तो रेन्जर के पद पर नियुक्त किया गया और जिनकी नहीं थी उनको फोरेस्टर बना दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री चैनसुख (नीम का थाना) तथा श्री दुबे (खंडेला) सब-इन्स्पेक्टर्स एवं श्री हीरालाल हेडकॉन्स्टेबल के विरुद्ध शिकायत

४७६. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि १०—१०—५८ को श्रीचैनसुख सब इन्स्पेक्टर, नीम का थाना तथा श्री दुबे सब–इन्स्पेक्टर, खण्डेला एवं श्री हीरालाल हैड कॉन्स्टेबल शराब पीकर रात को खंडेला में वेश्याओं के घर गये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि वेश्याओं के घर उनका एक स्थानीय नागरिक श्री मोलाबक्स से झगड़ा हो गया जिसके कारण उन्होंने श्री मोलाबक्स को एक झूठा अभियोग लगा कर गिरफ्तार कर लिया ? यदि हां, तो किस अपराध में ?

(ग) क्या यह सही है कि इस कार्यवाही से बचने के लिये इन्होंने दैनिक रोजनामचे का पृष्ठ फाड़ कर उसके स्थान पर दूसरा लगा दिया तथा नीम के थाने के थानेदार ने अपनी हाजरी नीम के थाने के रोजनामचे में बताई ?

(घ) क्या यह सही है कि इस मामले की जांच करने पर श्री मोलाबक्स के विरुद्ध मामला झूठा पाया गया जिसके कारण उसको छोड़ दिया गया ? यदि हां, तो इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं, न एस० आई० चैनसुख और न एस० आई० दुबे व न हैड कॉन्स्टेबल हीरालाल खंडेला में वेश्या के घर १०-१०-५८ की रात्रि को गये पाये गये।

Page No.14

(श्री रामकिशोर व्यास)

हैड कॉनिस्टेबल हीरालाल का ३०—१०—५८ की रात्रि को वेश्या के घर आना पाया गया किन्तु शराब के नशे में नहीं।

(ख) जी हां उसने मदनलाल महाजन के घर से गोटा किनारी चोरी के एक मुकदमे में मोलाबक्स को बदनियती से बंदी बनाया, ऐसा ज्ञात हुआ है।

(ग) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। थाने का कोई रेकॉर्ड सबइन्स्पेक्टर द्वारा बदला हुआ या गलत लिखा हुआ नहीं पाया गया।

(घ) इस सम्बन्ध में हुई जांच से ज्ञात हुआ है कि हीरालाल हैड कॉनिस्टेबल ने मोलाबक्स की गिरफ्तारी का कार्य बदनियती से किया था अतः उसे पुलिस लाईन में भेजा गया और विभागीय जांच की गई जो कि समाप्त हो गई है और एस० पी० के पास आज्ञा के लिये विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अभी अभी सी० आई० सीकर ने खन्डेला जाकर रोजनामचे की किताब देखी है, उसके देखने के बाद उसमें दो कागज कम पाये गये जिसका उन्होंने उस पर नोट लगाया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो आप सूचना दे रहे हैं। जितनी सूचना मेरे पास थी वह मैंने आपको दे दी।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो सूचना दी है वह कब की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पांच सात दिन पहले की।

श्री भैरोंसिंह : २५ दिन पहले की बात मैं कह रहा हूं सर्किल इन्स्पेक्टर। सीकर ने खन्डेला में जाकर रोजनामचा को देखा है। उसमें दो कागज गायब पाये गये और उस रोजनामचा को सीकर के पुलिस सी० आई० अपने पास ले आये हैं। आप देखना चाहें तो आज ही मेरे साथ चलें, दिखा सकता हूं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो सूचना दी है उस सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप जो सूचना दे रहे हैं उसके लिये आप कहते हैं कि यह पांच, सात रोज पहले की सूचना है और जिस घटना का ज़िक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वह पच्चीस रोज पहले का है इस आधार पर जो रिप्लाई आपकी ओर से दिया जा रहा है वह इवेजिव है और insult to the House. है....

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें नाराजगी की क्या बात है ?

श्री भैरोंसिंह : जब कि मैं पच्चीस दिन पहले की बात कह रहा हूँ आप जो जबाब दे रहे हैं उसके अनुसार चार, पांच रोज पहले की बात कर रहे हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : आपने जो प्रश्न पूछा उसके लिए मैंने जो जानकारी मेरे पास थी वह आपको दे दी। इसके अलावा जो आपने सूचना दी कि रोजनामचे में से कागज गायब हैं तो मैं उसकी जानकारी कर लूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री हीरालाल हैड कॉन्स्टेबल के साथ ये दोनों सबइन्सपेक्टर्स वैश्या के यहां गये थे इस प्रकार की एन्ट्री रोजनामचे में हुई थी लेकिन सब-इन्सपेक्टर्स ने उस रोजनामचे के कागज गायब कर दिये और दूसरी रिपोर्ट में केवल हैड कॉन्स्टेबल का नाम बताया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि इन दोनों का जाना साबित नहीं हुआ। अब रहा सवाल सी० आई० ने जो रोजनामचा देखा और उसमें से परत गायब पाई गई यह तो इन्क्वायरी की बात है। एस० पी० इस संबन्ध में जांच कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : श्री मोलाबक्स को जिस समय गिरफ्तार किया गया उस समय एस० आई० श्री चैनसुख और एस०आई० श्री दुबे मौजूद थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : श्री मोलाबक्स को गिरफ्तार करके जो मुकदमा बनाया गया वह एस० आई० खन्डेला ने बनाया है ?

श्री रामकिशोरव्यास : बनाया होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : अब आपने यह बताया कि श्री मोलाबक्स की बददियानती पाई गई तो फिर उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होकर रिपोर्ट एस०पी० के पास आ गई। अब उस पर एक्शन लेने की सोच रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब बद्दियान्ति कॉग्निजेबल ऑफेन्स है और उसे आप मान चुके हैं कि इसमें बद्दियान्ति हुई है तो फिर केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी का नतीजा आजावे तो उसके बाद कुछ एक्शन लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : कॉग्निजेबल ऑफेन्स जब बनता है तो फिर आगे किसी इन्क्वायरी की, किसी डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं रह जाती है। ऑन दी फेस अगर बद्दियान्ति है तो केस रजिस्टर करके फिर इन्क्वायरी उसके हिसाब से की जानी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी से बद्दियान्ति एस्टेब्लिश हुई है तो जब तक आगे इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं हो जाती और उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक आगे कैसे कोई एक्शन लिया जा सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : कब सूचना आई आपके पास कि बद्दियान्ति पाई जाती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी के दौरान में मालूम हुआ, एग्जेक्ट डेट की सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास यह सूचना कब आई, यह सवाल पूछे जाने के बाद में या पहले ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके सवाल पूछने के बाद आई।

श्री भैरोंसिंह : बद्दियान्ति से गिरफ्तार हुआ है और इस बात का सुबूत एस० पी० के पास आ गया तो इसके बाद केस रजिस्टर क्यों नहीं किया गया कॉग्निजेबल ऑफेन्स में ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस पर कोई एक्शन लेना है तो डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से आखीर में यदि यह ऑफेन्स बनता है तो लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : ऑफेन्स तो बन ही गया, बद्दियान्ति जब आप मन्जूर करते हैं तो यह ऑटोमेटिक कॉग्निजेबल ऑफेन्स होगया। तो इस केस के लिये अब आगे किसी इन्क्वायरी की जैसा आप कहते हैं जरूरत नहीं है। इसको तुरन्त रजिस्टर करना चाहिये था। अब यह कौनसा कायदा है कि आप डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी उसको बचाने के लिये करना चाहते हैं ? यह कौनसे रूल में है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बचाने का कोई सवाल नही पैदा होता। बचाने का सवाल होता तो पहले ही नहीं कहता। यह तो प्रोसीजर का सवाल है। बद्दियान्ति का जहां तक सवाल है यह तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी में साबित हुआ है, इससे मैंने इन्कार नहीं किया। पर आगे फाईनल इन्क्वायरी जब तक नहीं होती तब तक कोई एक्शन कैसे लिया जा सकता है ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या ऐसा कोई कानून है कि कॉग्निजेबल ऑफिन्स हो और केस रजिस्टर न हो ?

श्री अध्यक्ष : वह तो प्रिलिमिनेरी इन्क्वायरी में केस एस्टेब्लिश हुआ है उसके बेसिस पर जो एस० पी० इन्क्वायरी कर रहे हैं उसका नतीजा नहीं आया है। उस नतीजे में अगर कॉग्निजेबल ऑफेन्स बनता है तो एक्शन लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जब यह आपको मालूम हो गया कि इसमें बद्दियान्ति से उसे गिरफ्तार किया तो इसके बाद केवल यह काम बाकी था कि उसका केस रजिस्टर करके उसको आगे इन्वेस्टिगेट कराते।

श्री रामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी हो रही है उसका फाईनल नतीजा अभी नहीं आया है। आने पर जरूर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस प्रकार का है कि जिसका कोई सेटिस्फेक्टरी उत्तर नहीं है। मैंने दो बातों की जानकारी दी है। एक यह कि रोज़नामचे की परत फाड़ी गई है। अभी कुछ दिन पहले इन्स्पेक्टर वहां गया था और उसने जांच भी कर ली और परत के फाड़े जाने को सही पाया और अगर अब भी गृह मन्त्रीजी को मालूम न हो तो आप अभी चलें लवडेला के थाने में। उस रोजनामचे में से दो कागज गायब हो रहे हैं वे खुद देख सकते हैं। वहां के सब-इन्स्पेक्टर ने यह प्ली ली है कि ये शुरू से ही गायब थे। पर हैड कॉन्स्टेबल ने कहा है और दस्तखत किये हैं कि इसमें एक भी पेज गायब नहीं था। दूसरी बात बद्दियान्ति की वे स्वयं जांच से सही मानते हैं, वे बद्दियान्ति से गिरफ्तारी की गई, यह मन्जूर करते हैं और जब बद्दियान्ति वे मानते हैं तो उनको तुरन्त केस रजिस्टर करके बाद में अगर कोई

(श्री भैरोंसिंह)

इन्क्वायरी करानी है तो कराएं । पर यहां दोनों बातों का एवेजिव रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी से अभी इतना मालूम हुआ है पर वह इन्क्वायरी अभी समाप्त नहीं हुई है, पेन्डिंग में है। अभी रिपोर्ट फाईनल हुई नहीं, ज्यों ही फाईनल हुई, इविडेन्सेज हुई और उनके बेसिस पर पाया गया कि बदूदियान्ति से ही अरेस्ट किया गया है तो तुरन्त ही कार्यवाही आगे की जावेगी। अब रहा सवाल रोजनामचे का, मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि दो परतें फाड़ी गई हैं। अगर आपने जो सूचना दी है वह सही निकली तो मैं कार्यवाही करूंगा। तो जब तक फाईनल फाइंन्डिंग न हो जावे तब तक कैसे कोई एक्शन लिया जा सकता है ? बचाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रोजनामचे की बात कही। उसके सम्बन्ध में बात साबित नहीं हो सकी। अब आप जो बात कह रहे हैं तो फर्दर इन्क्वायरी करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : एक प्रश्न और पूछ लूं। जब सरकार के सामने यह प्रश्न आ गया कि इसमें बद्दियान्ति हुई है तो फिर सरकार किसकी इन्तजार में है ? क्या वे अब ऑर्डर देंगे कि केस रजिस्टर किया जावे ?

श्रीरामकिशोर व्यास : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी करीब करीब कन्क्लूड होने की स्टेज में है। फिर उसको देख कर कोई फर्दर एक्शन लेने की सोचेंगे।

श्री भैरोंसिंह : जब तक इन्क्वायरी यह कन्क्लूड नहीं होगी तब तक सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करने को तैयार नहीं है, क्या स्पष्ट शब्दों में आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : स्पष्ट शब्दों में यही बात है जो आप कह रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Is the Hon'ble Minister in a position to say whether it is an infringment of constitutional rights of citizenship or not ? अगर यह इन्क्वायरी से एस्टेब्लिश हो गया है कि बद्दियान्ति है तो केस जरूर रजिस्टर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी की दो स्टेजेज होती हैं। एक प्रिलिमिनेरी और दूसरी डिटेल्ड। प्राइमाफेसी के सिलसिले में मालूम पड़ा कि बद्दियान्ति की गई है। पर एस०पी० ने फर्दर डिटेल्ड इन्क्वायरी के लिये मामला भेजा है। अब डिटेल्ड इन्क्वायरी में भी अगर यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स बनता है तो कोई वजह नहीं कि केस रजिस्टर न करे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बद्दियान्ति से अरेस्ट करने की बात मालूम हो जाने के बाद यह कॉग्निजेबल ऑफेन्स में आ जाता है और कॉग्निजेबल ऑफेन्स क्रिमिनल कोर्ट का जूरिस्डिक्शन है। इसमें अब एस० पी० को आगे कोई जांच करने का अधिकार नहीं है। यह केस इन्क्वायर करने का काम आगे कोर्ट को है।

श्री अध्यक्ष : यह फाईनेली एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि बद्दियान्ति है या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राइमाफेसी ही बहुत है। अब लैट दी कोर्ट Now let the

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

matter go to the Criminal Court and let a Magistrate decide it. Why S. P. should invoke into the case. ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

खाद्य विभाग के ट्रक ड्राईवरों का फिक्सेशन

४७७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राजस्थान सरकार ने तारीख २२ दिसम्बर, १९५४ को यह आदेश जारी किया था कि इस विभाग में जो ड्राईवर ट्रक चलाते हैं उनको १५) रुपया अलाउन्स के ता० १-४-५० से दिये जायेंगे ? यदि हां, तो इस आदेश के अन्तर्गत सप्लाईज विभाग के जोधपुर डिविजन में कितने ट्रक ड्राईवर थे और उनमें से कितनों को यह अलाउन्स दिया गया है ? जिन ड्राईवरों को यह अलाउन्स नहीं दिया गया है उनको सरकार कब तक अलाउन्स देने का विचार रखती है ?

गृह मन्त्री (रामकिशोर व्यास, खाद्य एवं रसद मंत्री की ओर से) : इसकी सूचना पुराने रिकॉर्ड से एकत्रित नहीं हुई है । इसलिये इसे आगे के लिये रखा जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

कोटा नगर में आने व वहां से जाने वाली बसें

४७८. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कोटा नगर से नित्य-प्रति कितनी मोटरें विभिन्न स्थानों पर जाती आती हैं ?

(२) सरकार को कोटा राज्य से रोड़ टैक्स की प्रति वर्ष कितनी आय है ?

(३) क्या कोटा में कोई घोषित मोटर स्टेन्ड है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ५८ बसें जाती हैं और इतनी ही आती हैं ।

(२) करीब सात लाख रुपये की ।

(३) हां हैं । दो हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : बरसात में और गर्मी में ठहरने करने के लिये सुविधा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बरसात में ठहरने के लिये तो नहीं है, स्टेन्ड मुकर्रर की हुई जगह हैं । कोटा में दो जगह हैं । कुछ सैट ऑफ बसेज एक जगह और कुछ सैट ऑफ बसेज दूसरी जगह ठहरती हैं ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : कोटा नगर में ३ मोटर स्टेन्ड हैं, नयापुरा, रामपुरा बाजार और सूरज पोल के बाहर । क्या इन तीनों का एकीकरण करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम : मेरे हिसाब से तो दो ही हैं । रामपुरा और नयापुरावाला ।

श्री रामेश्वरदयाल : इनका एकीकरण करने का विचार नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ बसेज के लये

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इधर का बस स्टेन्ड है और कुछ के लिये उधर का है तीसरा तो आपने बताया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : केशोरायपाटन के लिये बसें रामपुरा बाजार के कटले में से जाती हैं और रोज जाती हैं। वहीं मोटरवाले अपनी मोटर ठहराते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इतनी डिटेल की मेरे को पता नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जहां से ५८ बसें जाती हैं उनके ठहरने के लिये वहां पर्याप्त स्थान भी नही है और अच्छा भी नही है। जब आपको ७ लाख रुपया उनसे मिलता है तो मोटर स्टेन्ड तो अच्छी तरह बनाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आपकी राय है।

श्री रामेश्वरदयाल : रामपुरा बाजार में जो मोटर स्टेन्ड है उससे वहां रहनेवाले आम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। क्या इस पर विचार कर रही है सरकार ?

प्रश्न संख्या ४७६

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर पॉवर हाउस से बिजली का वितरण

४८० श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) : क्या मन्त्री, विद्युत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर बिजली घर की हालत कब से खराब है तथा उसकी हालत को सुधारने के लिये सरकार ने अब तक क्या प्रयत्न किये ?

(२) इस पावर हाउस से कितने गांवों व शहरों के कुल कितने कुंओं को पानी खींचने के लिये बिजली दी जाती है व उसमें कुल कितनी बिजली खर्च होती है ?

(३) पानी खींचने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए कितनी बिजली की खपत है ?

(४) क्या इन सब मांगों की पूर्ति बीकानेर पावर हाउस कर सकेगा ? यदि नहीं, तो तत्काल भारी गर्मी के संकट के निवारणार्थ सरकार ने क्या उपाय सोचे हैं व उनके लिए अब तक क्या कदम उठाये व भविष्य में क्या कदम किस प्रकार से कब तक उठा लिये जावेंगे ?

विद्युत मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) अप्रेल, १६५८ से। वर्तमान में चल रहे टरबोआलटरनेटर सेट्स की आवश्यक मरम्मत की जा रही है और बिजली की हालत को सुधारने के लिये तीन अतिरिक्त डीजल सैट्स तो लग चुके हैं और लगाये जा रहे हैं।

(२) बीकानेर शहर के ३६ और बाहर के अन्य ७७ कुंओं को पानी खींचने के लिये बिजली दी जाती है। इसमें करीब १,२०० किलोवॉट बिजली काम में आती है।

(३) एक हजार किलो वॉट।

(श्री रामकिशोर व्यास)

(४) इस इलाके की इस दिशा की मांग को यथा संभव पूरा करने की कोशिश की जा रही है। फिर भी जल कष्ट न हो इसके लिये बीकानेर शहर में खास खास चार कुंओं पर १०० किलोवॉटवाले ईन्जन लगाये जा रहे हैं और इलाके की सप्लाई को कायम रखने के लिये रतनगढ़ में २×१५० किलोवॉट के डीजल सैट लगाये जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि यथा सम्भव पूरा करने की कोशिश की जा रही है वह कौनसी कोशिश की जा रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : बीकानेर शहर में जो बड़े कुंए हैं उनमें सो सो किलोवॉट के लगा रहे हैं और रतनगढ़ में भी अलग लगा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो पीने के काम आनेवाले पानी की बात है। इसको भी पूरा करने के लिये सारी जनता की डिमान्ड है उस सारी मांग को पूरा करने के लिए कौनसा कदम आप उठा रहे हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितने किलोवॉट दी जा रही है उसमें ४०० किलोवॉट और लगावेंगे। वह सब कामों के लिये होगा।

श्री मुरलीधर व्यास : वह भी पर्याप्त नहीं होगी।

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो ठीक है, नाकाफी है।

श्री मुरलीधर व्यास : ये भी कब तक लग जावेंगे ?

श्री रामकिशोर व्यास : गर्मी से पहले लग जाने चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : कब तक ?

श्री रामकिशोर व्यास : रेनी सीजन से पहले लग जाने चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : (सरदारशहर) रतनगढ़ में लगा रहे हैं वह क्या रतनगढ़ के आस पास के कुंओं के लिए काफी होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : यह आपने फरमाया गर्मी के पहले या बरसात के पहले ?

श्री रामकिशोर व्यास : गर्मी के पहले

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तम लाल शर्मा !

रूपनगढ़ व करकेड़ी औषधालयों में दवा तथा नर्सों की कमी

४८१. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रूपनगढ़ तहसील में रूपनगढ़ व करकेड़ी के आयुर्वेदिक औषधालयों को एक साल में कितनी दवा दी जाती है ? क्या यह पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार दवा अधिक दी जाने की व्यवस्था करेगी ?

(ख) क्या इन औषधालयों में नर्सों की भी कमी है ? यदि हां, तो यह कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

Page No.21

गृहमंत्री (श्री रामकिशोर व्यास - स्वास्थ्य मंत्री की ओर से): (क) रूपनगर में कोई औषधालय नहीं है। परन्तु करकेड़ी के औषधालय को ६०० रु० वार्षिक की दवा दी जाती है जो वहां की वर्तमान रोगी संख्या को देखते हुए पर्याप्त है।

(ख) जी हां। इसकी पूर्ति तृतीय पंचवर्षीय योजना में होना सम्भावित है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वहां पर बिलकुल औषधियों की कमी है, मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ।

श्री रामकिशोर व्यास : इस साल बजट बढ़ाया है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार जयपुर) : क्या औषधालयों में नर्सें भी रखी जाती हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

स्टेज कैरेजेज़ के रूट्स पर बस स्टेण्डों पर मुसाफिरों के ठहरने तथा पानी का प्रबन्ध

४८२. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्टेट कैरेजेज़ के रूट्स पर पड़नेवाले बस स्टेन्डों पर मुसाफिरों के ठहरने के लिए व पानी वगैरा का प्रबन्ध करने की किस की ज़िम्मेदारी होती है ?

(ख) उदयपुर रीज़न के कौन कौन से रूट पर परमिट होल्डर्स ने उपरोक्त सुविधा प्रदान की है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ऐसा कोई प्रोविज़न मोटर व्हीकल्स एक्ट व रूल्स में नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या ऐसा प्रोविज़न करने की सरकार सोच रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तो सरकार राष्ट्रीयकरण की बात सोच रही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : राष्ट्रीयकरण कोई रूट्स पर थोड़े ही होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो बड़े बड़े ऑवनर्स हैं और जिनके पास बड़ी बड़ी मोटर्स हैं उन्होंने ऐसी फेसेलेटीज़ दे रखी हैं तो पीने के पानी का और बैठने का तो स्थान सभी जगह मिलता है। पर अब यह प्रोविज़न इसलिए नहीं कर सकते कि एक आदमी के पास मान लीजिए कि एक ही मोटर है और उस रूट पर पांच आदमी एक एक मोटरवाले चलते हैं तो उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि इन सारी चीज़ों का प्रबन्ध कर सकें। इसलिए इसकी अलटीमेट रेमेडी तो नेशनेलाईज़ेशन ही है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या परमिट्स लेते समय मोटरवाले इस प्रकार की बात रखते हैं कि हमारे पास सब सुविधायें हैं और ऐसा लिख कर भी देते हैं और वह कहते हैं कि हमारे पास सब सुविधायें हैं इसलिए परमिट्स देने में हमें प्रायोरिटी दी जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो कोई ऐसा लिख कर देता है और न इसके लिए हम उनको मजबूर ही कर सकते हैं कि तुम ऐसा करो।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या जब तक नेशनेलाईज़ेशन नहीं होगा तब तक कोई व्यवस्था नहीं होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : व्यवस्था तो ऑलरेडी है। जिनके पास में ज़्यादा बसेज़ हैं या जो बड़ी बड़ी कम्पनीज़ हैं उनकी ओर से तो करीब करीब सारी व्यवस्थायें मौजूद हैं। ट्रान्सपोर्ट के कई स्टैंण्ड भी कई जगह म्युनिसिपैलिटी ने बनाये हैं। वैसे कई जगह बैठने के लिए छाया वगैरह का भी इन्तज़ाम है और पानी का भी इन्तज़ाम है। वैसे बहुत से दानी लोग भी ऐसा इन्तज़ाम कराते हैं।

प्रश्न संख्या ४८३

श्री अध्यक्ष : श्री अजीपसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४८४

श्री लच्छूराम

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

जिलों के पंचायत विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना

४८५. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु.) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि ज़िलों में पंचायत विभाग के कर्मचारियों को तीन, चार माह से वेतन नहीं मिला ?

(ख) यदि हां, तो किस अधिकारी की गल्ती से ऐसा हुआ है ?

(ग) अब कब तक वेतन मिल जावेगा ?

उप मंत्री स्वायत शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या सरकार को यह इतमीनान है कि तनख्वाह मिल चुकी है ?

श्री दौलतराम सारण : जब सरकार के पास कोई शिकायत ही नहीं है तो यही मानना चाहिये कि मिल गई। अगर आप कोई केस ध्यान में दिलायेंगे तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को मालूम है कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि पंचायत विभाग के अधिकारियों को तीन तीन महीने से तनख्वाह नहीं मिली है ? क्या उसके बावजूद भी सरकार ऐसी स्थिति में कहने के लिए है कि उनको तनख्वाह मिल चुकी है ?

श्री दौलतराम सारण : इस विभाग

(श्री दौलतराम सारण)

का पुनर्गठन किया गया था उस समय कुछ दिनों तक तनख्वाह नहीं मिली थी और उस समय में जिनको तनख्वाह नहीं मिली थी उनकी व्यवस्था कर दी गई है और अब सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कितने दिनों के लिए तनख्वाह नहीं मिली ? क्या जो प्रश्न में संकेत है कि तीन चार माह से वेतन नहीं मिला, सही है ?

श्री दौलतराम सारण : इस विभाग के पुनर्गठन के समय में कुछ दिनों तक तनख्वाह नहीं मिली थी। अब मिल गई है और इसकी व्यवस्था कर दी गई है। उसके अलावा अगर आप कोई केस सरकार के ध्यान में दिलायेंगे तो उस पर कार्यवाही की जायेगी

श्री भैरोंसिंह : जब पुनर्गठन में तीन, चार माह का अर्सा लग गया था और तनख्वाह उसी के कारण नहीं मिली थी तो वह कौनसा अर्सा था ?

श्री दौलतराम सारण : नवम्बर, दिसम्बर का टाइम था।

श्री भैरोंसिंह : उसमें तीन-चार माह का समय लगा था ?

श्री दौलतराम सारण : हो सकता है, उसमें दो-तीन माह वेतन नहीं मिला हो।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाये कि जो उत्तर आपने दिया था वह सही नहीं था ?

श्री दौलतराम सारण : अब तो उत्तर सही ही दिया है। अब तो सब को मिल गई है लेकिन पुनर्गठन के समय किसी को नहीं मिली हो, यह तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह : तो फिर यह माना जाये कि आधा सही था और आधा गलत था।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

आबू रोड़ तथा श्योगंज में रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के लिये प्रार्थना-पत्र

४८६. श्री **मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Home Minister be pleased to state :—

Whether in view of the abnormal increase in shop rents in Abu Road and Sheoganj towns of the Sirohi District. is the Government contemplating to apply the Rent Control Act to these towns also ?

गृह मंत्री 'श्री रामकिशोर व्यास' : The matter regarding extension of Rent Control Act 1950 in the town of Abu Road is already under consideration of the Government. However, the Act has been extended to the town of Sheoganj.

चीफ पंचायत ऑफिसर

४८७. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चीफ पंचा—

(श्री दयाकृष्ण विजय)

यत ऑफिसर अपने को डाईरेक्टर पंचायत लिखने लगे हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) क्या पंचायत एक्ट में इस प्रकार का संशोधन कर दिया गया है ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) पंचायत विभाग का पुनर्गठन सरकारी आज्ञा डी ६६८६ । एफ १० । १०४ । एल० एस० जी० । बी । ५८ दिनांक ६ नवम्बर, ५८ के द्वारा हुआ । उसके अनुसार सी० पी० ओ० का पद डाईरेक्टर ऑफ पंचायत में परिणित कर दिया गया । सरकारी आज्ञा के प्राप्त होने के बाद प्रशासनिक कागजों में डाईरेक्टर ऑफ पंचायत का पद लिखा जाता है व जो पंचायत अधिनियम के अनुसार कागज जारी किये जाते हैं उनमें चीफ पंचायत ऑफिसर के साथ में ही डाईरेक्टर ऑफ पंचायत भी लिखा जाता है ।

(२) इसके लिए कार्यवाही जारी है ।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार पंचायत एक्ट और उसमें जो नियम हैं उनके विपरीत इस प्रकार के आदेश निकाल सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : मेरे पास प्राप्त सूचना के अनुसार तो ऐसा नहीं है । अगर आप कोई चीज ध्यान में लायें तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) क्या यह सही है कि चीफ पंचायत ऑफिसर के कार्यालय के सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर डाईरेक्टर ऑफ पंचायत लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : रूल्स के खिलाफ नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य पंचायत अधिकारी का डेज़िग्नेशन सिर्फ असेम्बली ही बदल सकती हैं, गवर्नमेंट नहीं बदल सकती ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए बदल दिया और जब कोई नोटीफिकेशन निकालते हैं तो उसके लिए वही पुरानेवाला डेज़िग्नेशन काम में लाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब एक्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुख्य पंचायत अधिकारी की नियुक्ति होगी और पंचायतों का पूरा संचालन उसके हाथ में होगा, जब इस तरह के लेजिस्लेटिव पॉवर्स हैं और गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई ऑर्डर निकाला तो रूल्स के खिलाफ है ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Why did the Government feel the necessity of re-organising the department ?

श्री अध्यक्ष : That is another question.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : What was the haste in changing the designation without amerding the Act ?

श्री दौलतराम सारण : यह कुछ प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए और कुछ नये भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको देखते हुए पुनर्गठन किया गया है इस विभाग का और उनमें कुछ अधिकारियों का भी विस्तार किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी वे कौनसी सुविधायें थी जिनके कारण मुख्य पंचायत अधि-

(श्री भैरोंसिंह)

कारी की जगह डाईरेक्टर पंचायत लगाने से सारी सुविधायें मिल गई हैं ?

श्री अध्यक्ष : It was a hasty Government-action. That is all.

श्री भैरोंसिंह : Then let the Hon'ble Minister admit, Sir.

श्री अध्यक्ष : श्री मनरूपराम परिहार।

सोमेसर–वूसी एप्रोच रोड़, जिला पाली

४८८. श्री मनरूपराम परिहार (खारची–सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सोमेसर–वूसी एप्रोच रोड़ का कार्य पांच माह से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि तारीख २७–१–५८ तक इस सड़क का कार्य सम्पूर्ण करने का ठेकेदार से एग्रीमेन्ट था ?

(ग) क्या यह सही है कि जहां रपटें व पुलियों की जरूरत नहीं है वहां यह बनाये जावेंगे किन्तु जहां मिट्टी कम है व सड़क का लेवल बहुत नीचा है वहां मिट्टी नहीं डलवाई जा रही है ?

(घ) क्या यह भी सही है कि ३॥ माईल की सड़क में कर्व अधिक डाल दिये गये हैं और फिर डाले जाने की कार्यवाही चालू है ?

(ङ) क्या यह सही है कि मिस्त्री की अनियमितताओं के कारण जनता परेशान है व उसके विरुद्ध पंचायतों ने शिकायतें की हैं परन्तु उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां, एलाइनमेन्ट में झगड़ा पड़ जाने से।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह सही नहीं है।

(घ) यह सही नहीं है। खेत इत्यादि बचाने के लिए कुछ कर्व डालने जरूरी हैं।

(ङ) हमारे पास इसके बारे में कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न संख्या ४८६

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६०

श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६१

श्री रामकरणसिंह

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

स्थगित प्रश्न

सहकारी संस्थान विभाग में नियुक्तियां

२६३. श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) : क्या मंत्री, सहकारी विभाग

(श्री मुरलीधर व्यास)

निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) राजस्थान में सहकारी संस्थान विभाग में ऐसे कितने सरकारी अधिकारी हैं जिनकी नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं हुई हैं ? इनकी एक लिस्ट सदन की मेज़ पर रखें।

(२) ये लोग कब से इस विभाग में काम कर रहे हैं ?

(३) क्या इसमें ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी योग्यतायें भी आवश्यक योग्यता से कम हैं ?

(४) यदि हां, तो उनकी नियुक्ति किस कारण की गई है ?

मंत्री, सहकारी विभाग (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) ऐसे अधिकारियों की संख्या ७३ है जिनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) सूची में प्रत्येक कर्मचारी के सामने कॉलम नम्बर ४ में तारीख इंगित कर दी गई है।

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार के जो ७३ व्यक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नहीं लिये गये हैं तो ऐसी क्या आवश्यता महसूस की गई कि इतने आदमी सहकारी संस्थान में रखे गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह दिसम्बर, १९५८ और जनवरी, १९५९ में लिए गए। इनके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन को कई दफा लिखा था मगर वह भर्ती नहीं कर पाये। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन ने कह दिया था कि आप इनको डिपार्टमेन्टली रिक्रूट कर लो। फिर हमने इसके लिए एक बोर्ड बना लिया था और इनको टेम्प्रेरिली रख लिया क्योंकि लोगों की ऐसी शिकायत थी कि फील्ड पर काम नहीं हो रहा है और प्रजेन्ट जगह काफी कम हैं। अब तो बाका-यदा पब्लिक सर्विस कमीशन का काम सले-क्शन का चल रहा है। यह उसने शुरू कर दिया और इन व्यक्तियों को पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज दिया गया है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : डिपार्ट-मेन्ट में जिन स्थानों की कमी थी क्या उनकी पूर्ति के लिए गज़ट में या समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, यही करते हैं। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन निकल-वाया था और सूचना भी भेजी थी।

श्री अध्यक्ष : क्या टेम्प्रेरी अपॉइन्ट-मेन्ट करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हां, उनकी राय से ही ये नियुक्तियां की गई थीं।

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सर्विस कमीशन से कितनी अस्थाई नियुक्तयां करने की ईज़ा-जत चाही थी और कितनी नियुक्तियां की गईं।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास वैके-न्सीज़ तो बहुत ज्यादा थीं। इन्स्पेक्टर की १००

(श्री नाथूराम मिर्धा)

के करीब थीं और सब-इन्स्पेक्टर की १२५ के करीब थीं। हमने उनसे यह कहा था कि हमारा काम चल नहीं रहा है इसलिए कुछ आदमियों को लेने की इजाजत दे दी जाये और उन्होंने दे दी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को कितने आदमियों के लिए लिखा था और कितने आदमियों की अनुमति मिली ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि किसी का भी नम्बर मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कि १०० के करीब इन्स्पेक्टर्स हैं और १२५ या १५० के करीब सब-इन्स्पेक्टर्स है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि जितनी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनमुति दी है उनसे ज्यादा नियुक्तियां की हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उससे बहुत कम की हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि जो निर्धारित योग्यता चाहिए उस योग्यता के अनुसार जो योग्यता चाहिए उसका ख्याल नहीं रखा गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निर्धारित योग्यता से एक भी आदमी कम नहीं लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जिन लोगों को नियुक्त किया गया है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके साथ यह लाजमी शर्त नहीं थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कइयों का नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज में दर्ज कराया हुआ था। बहुत से लोगों का वहां पर नाम दर्ज है। मैं नहीं कह सकता कि सब जो भर्ती किये गये हैं वे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्जवाले हैं या नहीं। बहुतसों का नाम दर्ज हो सकता है। वह क्राईटेरिया नहीं रखा था। हमने अखबारों में यह कहा था कि इस क्वालिफिकेशन के इतने आदमियों की हमको ज़रूरत है। जितने नाम सूटेबल उसमें आ गये उनको मन्जूर किया गया। उन्हीं के लिए हमने लिखा है। मैंने अभी कहा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका सलेक्शन हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के नियमों के अनुसार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के सर्टिफिकेट के बगैर कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के नियमों का इन नियुक्तियों में पालन हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछ लिया है।

श्री भैरोंसिंह : फिर भी ज़रूरत रहती है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहती है। उसके बिना नियुक्ति नहीं होनी चाहिए और न ए. जी. तनख्वाह देते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ए. जी. ने तनख्वाह भी दे दी है। स्पेशल प्रोसीजर करके गवर्नमेंट ने ईजाजत भी दे दी है। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी उसको मान लिया है और ए. जी. की तरफ से भी तनख्वाह में कोई दिक्कत नहीं है। उनको तनख्वाह मिल गई है। सर्टिफिकेट उनके पास थे या नहीं, यह मैं निश्चित तौर से नहीं कह सकता।

Page No.28

ग्राम नगर, तहसील देवली के चमारों के कुए के लिये धन राशि

२६५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सन् १६५७ में कस्बा नगर, तहसील देवली, में चमारान के कुए के लिये जल बोर्ड से २००) रु० दिये गये थे ? अगर हां, तो किसको ?

(२) क्या यह सही है कि इस रकम के बाबत संबंधित अधिकारियों को प्रजा ने शिकायत की थी कि यह रकम सरपंच, नगर उक्त कार्य में नहीं लगा कर खुद हज़म कर गया ?

(३) अगर हां, तो अब तक उस सरपंच के खिलाफ क्या एक्शन सरकार ने लिया ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास—स्वायत्त शासन मंत्री की ओर से) :

(१) जी हां, श्री श्रवण चमार को।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि रुपया श्रवणलाल को न देकर सरपंच को रकम दी गई थी और एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने तहकीकात करके सरपंच से रकम बरामद करके उसमें जमा करादी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है। इस डिपार्टमेंट को इसका कोई नोटिस नहीं है। एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट को डाईरेक्ट शिकायत की होगी। उन्होंने इन्क्वायरी की होगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने बताया है कि श्रवणलाल को दी है। यह रकम श्रवणलाल को नहीं दी है सरपंच को दी है। उसकी शिकायत होकर एन्टी-करप्शन डिपार्टमेंट ने सरपंच से रकम बरामद करने के लिए उसको गिरफ्तार किया और एक हज़ार की उसकी जमानत हो गई।

श्री रामकिशोर व्यास : इस डिपार्टमेंट को नोटिस नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह कहा है कि श्रवणलाल को दिया है तो सरपंच को क्यों छिपाते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिनके बारे में एल. एस. जी. से पूछा है उनका जवाब है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सरपंच को दिया, फिर श्रवणलाल का नाम क्यों लेते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : जिसको दिया उसका नाम लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुनदास।

दिया की भागल, तहसील राजसमन्द में कत्ल

४५५. **श्री अर्जुनदास** (अजमेर सिटी पश्चिम) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सब डिस्ट्रिक्ट राजसमन्द, तहसील राजसमन्द में स्थित दिया की भागल नाम

(श्री अर्जुनदास)

के गांव में मई व जून, सन् १६५८ में क्या किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ ?

(२) यदि हां, तो उपरोक्त मामले की तफतीश का क्या नतीजा निकाला ?

(३) क्या पुलिस की ज्यादतियों के संबंध में दिया की भागल गांव के लोगों ने कोई शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाई तथा स्थानीय एम. एल. ए. द्वारा भी उक्त ज्यादतियों के संबंध में जांच कराये जाने की मांग की गई ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त ज्यादतियों की जांच के दौरान में सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर ने पत्र संख्या सी ३८—५८। १०,६०७—६, दिनांक ३१ जुलाई, १६५८ गृह सचिव को लिखा ? यदि हां, तो कृपया उस पत्र को सदन की मेज पर रखा जाय।

(५) क्या उक्त मामले में की गई ज्यादतियों और भ्रष्टाचार के संबंध में एन्टी करप्शन विभाग द्वारा भी कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

(६) क्या उक्त ज्यादतियों के संबंध में राजसमन्द की बार एसोसियेशन द्वारा भी कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख प्रस्तुत हुआ ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, एक कत्ल दिये की भागल में २३—४—५८ को हुआ था न कि मई या जून, सन् १६५८ में।

(२) इस मामले को दिनांक ३१—६—५८ को अदम सबूत में खातमा दे दिया गया है। लेकिन एस. डी. एम. राजसमन्द ने इसको स्वीकार नहीं किया और १४—१२—५८ को, पुलिस को फिर अनुसंधान करने का आदेश दिया गया। उसके बिना पर मुकदमा फिर से शुरु किया गया है और तफतीश चालू है।

(३) जी हां।

(४) जी हां, एस. पी. उदयपुर ने एक रिपोर्ट सरकार को भेजी है।
यह रिपोर्ट विशेष सुविधा प्राप्त दस्तावेज़ है इसलिए इसको जनहित में सदन की मेज़ पर रखा जाना, मुनासिब नहीं है।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि जो रिपोर्ट एस. पी. उदयपुर ने भेजी है उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि राजस्थान के डिप्टी स्पीकर अन्नेसेसरिली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन्टरफियर करते हैं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि वह कॉन्फिडेन्शियल डॉक्युमेंट है वह नहीं दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह भी कॉन्फिडेन्शियल है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने डॉक्यूमेंट के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिंह : डॉक्युमेंट्स में यह कॉन्टेन्ट्स हैं। उसमें लिखा है कि राजस्थान के डिप्टी स्पीकर अन्नेसेसरिली पुलिस इन्वे-

Page No.30

(श्री भैरोंसिंह)

स्टीगेशन में इन्टरफियर करते हैं। इस बात का उल्लेख उसमें है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : तब तो वह और भी ज़्यादा कॉन्फिडेन्शियल है।

श्री भैरोंसिंह : It is a question of the prestige of the House, Sir. It is not at all confidential.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Sir, I object to this. This amounts to a charge on the Hon. Deputy Speaker by the Hon. Member and I feel the Hon. Member must be prevented from making such a charge.

श्री भैरोंसिंह : No, Sir, I have seen those papers.

वह जो कुछ उनके पास है वह कॉन्फिडेन्शियल है। उसमें इस बात का संकेत है, उसका माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया 'नहीं'। अच्छा तो यह हो कि माननीय डिप्टी स्पीकर जिनके ऊपर सरकार इस प्रकार के आरोप लगाती है वे इसका स्पष्टीकरण करें।

एक माननीय सदस्य : एस० पी० ने लिखा है, सरकार ने नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है। यह चीज़ स्पष्ट होनी चाहिये। इस प्रकार का चार्ज वे लगा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : It is a confidential document and we can not compel the Government to disclose the contents.

श्री भैरोंसिंह : Then there should be a clarification from the Hon. Deputy Speaker.

श्री अध्यक्ष : How does he know it ? It is a communication from a S. P. to the Government.

श्री भैरोंसिंह : Let him say whether he knows or not.

एक माननीय सदस्य : उन्होंने कहा है कि वह डॉक्युमेंट कॉन्फिडेन्शियल है।

श्री श्रीभानसिंह : I would like to submit on this point very strongly, Sir, that if the document is confidential the Hon. Minister should not have mentioned it here. He has admitted that the S. P. made a charge against the local M. L. A's.

वहां के एम. एल. ए. जो हैं उनके खिलाफ हैं It is a specific charge and the Hon. Minister must substantiate it or he should not make such statements.

वह चार्ज एम० एल० ए० पर लगाया है, मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं। उन्होंने पूछा कि कम्प्लेन्ट की है उसके जवाब में कहा है 'हां'।

श्री श्रीभानसिंह : तो 'हां' का मतलब यह हुआ कि जो स्थानीय एम. एल.

Page No.31

(श्री श्रीभानसिंह)

एज़. के खिलाफ चार्जेज़ हैं उनके लिए जो कुछ एम० एल० ए० ने कहा है वह ठीक है। या तो उनको दूसरे प्रश्न को अवोइड करना चाहिये था और जवाब नहीं देना चाहिये था। एक तरफ तो डॉक्युमेंट को कॉन्फिडेन्शियल बताते हैं और दूसरी तरफ 'हां' कह कर वहां के स्थानीय एम० एल० एज़ चाहे वे कोई हों उनकी प्रेसटीज़ पर कुठाराघात किया है। इस प्रकार के चार्ज यहां सदन के अन्दर जिन एम० एल० एज़० पर लगाया है वह नहीं लगा सकते हैं और न इस प्रकार से कह सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने भाग (३) के जवाब में निवेदन किया है। भाग (३) इस प्रकार है—

"क्या पुलिस की ज़्यादतियों के सम्बन्ध में दिया की भागल गांव के लोगों ने कोई शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाई तथा स्थानीय एम० एल० ए० द्वारा भी उक्त ज़्यादतियों के सम्बन्ध में जांच कराये जाने की मांग की गई ?"

तो मैंने कहा 'हां'।

श्री अध्यक्ष : He has admitted that complaints were made.

श्री श्रीभानसिंह : ज़्यादतियों के लिये कहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पुलिस ने वहां पर कई लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको पीटा है और स्थानीय एस. डी. एम. ने जाकर उन पीटे हुए.....

श्री श्रीभानसिंह : I will again intervene, Sir, that the Hon. Member must withdraw what he said against the Hon. Deputy Speaker in this House. It is not proper for him to level such charges.

श्री भैरोंसिंह : It is in my knowledge and I think it is proper and I will say that such charge has been levelled against the Hon. Deputy Speaker by the S. P. that the Deputy Speaker of Rajasthan is unnecessarily intervening in the investigation of the Police. This is a charge against the Deputy Speaker and I think it is a charge against this House.

श्री श्रीभानसिंह : I think the Hon. Member is exceeding his powers and privileges. What does he mean by saying that it is a charge against the House? There can be no charge against the House.

श्री अध्यक्ष : I will request the Hon. Member not to press this matter. It is a confidential document and the Government is not willing to disclose it. So what you allege, we cannot have a discussion on it in this House.

श्री भैरोंसिंह : It is a question of privilege, Sir.

श्री अध्यक्ष : Then please approach in proper way and I will consider it.

श्री महेन्द्रसिंह : (अजमेर–पूर्व) : On a Point of order, Sir. The Hon. Minister has just now submitted to

Page No.32

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

the House that a particular letter is being treated by the administration as confidential. The Hon. Member has countered this claim by saying that the letter contains remarks which have a reference to certain alleged part played by the Hon. Deputy Speaker of this House. Now the question is whether the adminstration is entitled under rules to withhold any document merely on the assertion that it is of confidential nature, or is it enjoined on them that only under certain conditions the documents can be withheld from the House, and that condition is public security ? So I raise a point of order that your Honour must decide if that letter is being treated as confidential solely because certain alleged remarks contained in it or the administration has some further reasons for holding that document as confidential. They can hold it confidential only if public security is involved in its disclosure.

श्री अध्यक्ष : I have already said very clearly that we can not compel the Hon. Minister to produce this letter before the House; and that disposes of the point of order.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, my point of order is that he should be compelled to produce it. Whether under our rules he is bound to inform the House about a document unless its disclosure adversely effects the security of the State ?

श्री अध्यक्ष : Security of the State is not the only considerstion. There are other considerations also which are to be taken into consideration.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : What are those conditions under which the administration can withhold the documents from this House ?

श्री अध्यक्ष : Would you please quote the rule under which you are raising this point of order.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No Sir, I would like to be enlightened by the Chair as to whether Government can withhold anything from the House, asserting that it is confidentiat.

श्री अध्यक्ष : There can be no general rule about this. An objection was raised by the Hon. Minister to the production of this letter and I upheld his objection saying that he can not be compelled.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Sir, I have made a distinct point of order that whether by merely saying that it is a confidential document, this Houe is prevented from knowing it ?

श्री अध्यक्ष : I have already told the Hon. Member that no general rule can be made about this. Everything has to be judged on its merits and individual documents are to be judged as such. I have held that Hon. Minister can not be compelled to disclose the document.

Page No.33

श्री अर्जुनदास : I think the rules are clear on this and we may have a look at them to find out under what circumstances the Ministry is entitled to hold back certain documents from the House.

श्री अध्यक्ष : There can not be any point of order on which a decision of general nature is desired. The point of order can only be specific concerning a particular circumstance and if that is raised, a decision is given.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: Your Honour specifically stated that the Hon. Minister is withholding certain information from the House solely on the ground that it is confidential and secret without stating as to in what way its disclosure is going to effect the public interest. The specific question is this : Whether with this minimum assertion by the Hon. Minister that the document is confidential, a document can be withheld from the House ? That is very important matter.

श्री अध्यक्ष : It is important, but I have already given my ruling about it.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ) : अध्यक्ष महोदय, अच्छा यह होता कि क्वेश्चन का जबाब न देकर यह फरमाते कि यह कॉन-फिडेन्शियल चीज़ है। वैसे तो हर चीज़ को कॉन्फिडेन्शियल कह कर जबाब नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : The Hon. Minister had met me in my chamber. He has told me of what nature the document was. It was a letter of administrative nature sent by the S.P. to the Government and in view of these circumstances, I hope there will not be any further discussion.

श्री भैरोंसिंह : Then I want to put one supplementary, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, how can he put a supplementary ? The question was ::

प्रश्न में यह पूछा गया है कि स्थानीय एम. एल. ए. द्वारा भी उक्त ज्यादतियों के संबन्ध में जांच कराये जाने की मांग की गई थी या नहीं। इसके उत्तर में मंत्रीजी ने 'हां' कहा। इस पर माननीय सदस्य ने यह कहा कि एस. पी. के लेटर में डिप्टी स्पीकर साहब के लिए इस तरह के रिमार्क्स थे। अव्वल तो सप्लीमेन्ट्री एराइज़ नहीं होता और यदि होता है तो उसको सबस्टेन्शियट करें कि कुछ आक्षेप एस. पी. ने डिप्टी स्पीकर पर लगाये थे और यदि नहीं लगाये तो सप्लीमेन्टरी पूछने की इजाज़त नहीं दी जाय।

श्री अध्यक्ष : No more supplementary. We pass on to another question.

श्री भैरोंसिंह : मैं इस पोइन्ट पर क्वेश्चन नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : अब किसी पर सप्लीमेंट्री नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : This is very inte-eresting....

Page No.34

श्री अध्यक्ष : There is another interesting question coming.

श्री भैरोंसिंह : इसमें एक क्वेश्चन और है।

श्री अध्यक्ष : No more supplementary.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिप्टी स्पीकर साहब द्वारा....

श्री श्रीभानसिंह : I object, Sir, if it is a question of privilege.

श्री भैरोंसिंह : Let the Government say that he has not interfered.

श्री श्रीभानसिंह : I again object, Sir. If there is any privilege, you can bring a privilege motion. This is not the way to do it.

श्री भैरोंसिंह : मैं डिप्टी स्पीकर साहब की पोज़िशन को क्लैरिफाई करने के लिये कहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : You are complicating it still further.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट राजसमन्द की अदालत में सन् १९५७ में पुलिस केस संख्या

४५६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर)

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी-पश्चिम): Will the Home Minister be pleased to state:

1. Is the Government aware that the six Balavian accused were enlarged on bail on 26.10.57 by the First Class Magistrate, Rajsamand in the matter of police case No. 19 of 1957 of Police Station Amet under Section 307 I. P. C. (under investigation) ?

2. Is it correct that the Suprintendent Police, Udaipur resenting this judicial order of the Magistrate, condemned his action as a Magistrate in his D. O. letter No. 5886 dated 17-1-58, addressed to the Collector, Udaipur wherein the following observations amounting to a contempt of court were made:—"It will be clear from the report that the action of the S. D. M. Raj Samend was highly undesirable and subversive to the maintenance of law and order. As that it is requested that necessary action be taken in the matter under intimation to me as to prevent the recurrence of such incidents"? If so, this letter may kindly be placed on the table of the House.

3. Was any action taken by the Collector, Udaipur against the Magistrate as desired by the Suprintendent Police ?

4. If so, what action was taken and what was its result ? Was any explanation given by the S. D. M. Rajsamand ? If so, please place a copy of the same on the table of the House.

5. Has the District Magistrate,

Page No.35

(श्री अर्चनदास)

Udaipur taken any action against the Superintendent of Police for such aspersions on the conduct of the judiciary ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां, उन्हें २६-१०-५७ को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस केस नं० १६ सन् १६५७ के मुकद्दमें में भारतीय दंड विधान की धारा ३०७ के अन्तर्गत बेल पर छोड़ा गया।

(२) सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, उदयपुर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उदयपुर के पास सूचना भेजी थी। क्योंकि यह मुकद्दमा अदालत के विचाराधीन है इसलिये यह सुविधा प्राप्त डोक्युमेन्ट है।

श्री मदनसिंह (दाता रामगढ़) : आगे और भाग (३), (४) और (५) के जवाब देने हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : (3) and (4) An explanatian was called from the S. D. M. As the case is sub-judice it wil not be in the public interest to disclose it.

(5) The Superintendent Police has been instructed in the matter.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह सही है कि उस सुविधा प्राप्त पत्र के कुछ कोटेशन्स माननीय सदस्य के पास हैं और उन्होंने आपके सामने रखे थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने कहां से प्राप्त किया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या वे असली से डिफर करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने उनसे कहा था कि उसकी कॉपी दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उन्होंने कॉपी पढ़ कर सुनाई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे दी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जो पत्र एस. पी. ने कलेक्टर को लिखा था उसको डेस्ट्रोय कर दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी जानकारी में यह बात नही है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Has the Government verified that letter which was placed on the table of the House ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे कॉपी मिली नहीं। मैंने इसे एक्सेप्ट किया है।

श्री श्रीभानसिंह : When the Government accepts that S. P. interfered with the judiciary, what action the Government is taking against the S. P. ?

श्री रामकिशोर व्यास : उनको वार्न किया गया है कि ऐसा न करें।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Government consider it sufficient action for interfering with the judiciary ?

Page No.36

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने एज़ ऑफिसर ऐसा करना मुनासिब समझा लेकिन यह प्रोपर नहीं था इसलिये उनको वार्न किया गया।

श्री श्रीभानसिंह : Should this House take it that the S. P. is very ignorant about his powers and the rules of Government?

श्री रामकिशोर व्यास : एरर ऑफ जजमेंट के कारण आदमी गलती कर जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उनको वार्निंग बिना डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है जब कि फेक्ट्स सामने हैं।

श्री भैरोंसिंह : अंडर सर्विस रूल्स किसी को पुनिशमेंट दिया जाय तो पहले डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी करानी पड़ती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : फेक्ट्स जब सामने हों तो इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार बिना डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के वार्निंग नहीं दी जा सकती ?

श्री रामकिशोर व्यास : वार्निंग के लिये डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : Warning is a punishment.

श्री रामकिशोर व्यास : फेक्ट्स सामने आते हैं उनके अनुसार वार्निंग दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने इसे कंटेस्ट किया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : उन्होंने तो गल्ती मानली है।

श्री भैरोंसिंह : क्या उन्होंने गल्ती मानली है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, उन्होंने गल्ती मानली है।

श्री श्रीभानसिंह : उन्होंने जो पत्र लिखा था उससे केस इन्फ्ल्युएन्स्ड हुआ, इसका कुछ पता लगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : The case is sub-judice and it is pending.

श्री श्रीभानसिंह : That is all the more criminal for S. P. that the case is sub-judice.

श्री रामकिशोर व्यास : यह तो उस वक्त की बात है जब कि केस सबजुडिस नहीं हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Does this action not amount to contempt of court and does the Government intend to refer it to High Court.

श्री रामकिशोर व्यास : It is for the court to decide whether it is contempt of court or not.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या फरमाया ?

श्री रामकिशोर व्यास : It is for the court to decide whether it is contempt of court or not.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : Does the Hon. Minister think that a matter under investigation prior to trail is not sub-judice ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्या फरमाया ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : अगर कोई केस इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर है और कोर्ट में नहीं गया है तो क्या आपकी राय में सब-जुडिस नहीं मानते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मानना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपने जवाब क्या दिया ? क्या सब-जुडिस नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोर्ट में नहीं गया था।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कोर्ट में नहीं गया था इसलिए सब-जुडिस नहीं था। गलत जवाब दिया है आपने।

श्री रामकिशोर व्यास : सब-जुडिस दूसरी बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने उत्तर में स्वीकार किया है कि जो पत्र मैंने रखा है उसके कोन्टेन्टस सही थे और वार्निंग दे दी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो एस० डी० एम० से एक्सप्लेनेशन लिया वह नहीं लेना चाहिये था। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो पत्र रखे थे उनको आपने एक्सेप्ट किया है। जो दो पत्र लिखे थे वे दोनों मैंने अपने सिगनेचर से सदन की मेज़ पर रखे थे। आपने एक्सेप्ट किया है और आपने वार्निंग दी। आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? उसने जो एस० डी० एम. से एक्सप्लेनेशन लिया उसके लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस० डी० एम० का मुझसे ताल्लुक है, इसलिए कार्यवाही की है।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने गलती की है उसके लिए दूसरे मिनिस्टर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप दूसरा क्वेश्चन्स पूछिये।

(विराम)

क्वेश्चन्स समाप्त हुए।

श्री अनूपसिंह : मेरा एक काफी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। अगर समय दिया जाय, तो उसे पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष : काफी समय हो गया है और काफी इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स हैं।

(विराम)

१२. २२ म० प०

प्रश्नोत्तर संख्या ४५५ के सम्बन्ध में वाद-विवाद

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, एक फैसला नहीं हुआ है। जब प्रश्न चल रहा था तो माननीय सदस्य ने डिप्टी स्पीकर पर आरोप लगाया यह बात ऐसी है कि या तो इस चीज़ की एवीडेन्स ली जाय, मैं समझता हूं...

श्री अध्यक्ष : On your objection that supplementary was disallowed.

श्री श्रीभानसिंह : इस तरह के चार्जेज को प्रोत्साहन देंगे तो इस तरह के चार्जेज लगाये जायेंगे। यह थोड़ा सदन के लिए ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : I would advise the Hon. Members not to raise this point and discuss it again because it is of a very delicate nature.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) It is not a question of disallowing a particular supplementary, Sir. It is a question of levelling charges against the Hon. Deputy Speaker by an Hon. Member of this House. So either an explanation should come from the Hon. Deputy Speaker or the Hon. Member should be given a chance to substantiate his charge.

श्री श्रीभानसिंह : Sir, I again rise to object on this. When the Hon. Speaker has said that we should not discuss this matter...

श्री अध्यक्ष (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) : He can do so if he likes under the provisions of the rules.

१२. २५. म. प.

अनुदानों की मांगों पर मतदान मांग संख्या ११—न्याय प्रशासन

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २७—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४२ लाख, ९६ हजार रुपैये तक की राशि प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस मांग में निम्न लिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुये हैं :

श्री रामेश्वर दयाल प्रस्ताव करेंगे : कि "Demand No. 11. Major head 27. Administration of Justice be reduced by Rs. 100/-) (to discuss the question of the Saparation of Judiciary from the Executive.)"

"Demand No. 11 Major head 27. Administration of justice be reduced by Rs. 100/-(to discuss the question of appointment of officers)"

श्री दयाकृष्ण विजय, डॉ. चन्द्रकला,

(श्री अध्यक्ष)

श्री अनूपसिंह थता श्री भैरोंसिंह प्रस्ताव करेंगे :

"Demand No. 11 Major head 27. Aministration of Justice be reduced by Rs. 100/- (to discuss the question of the separation of Judiciary from the Executive.)"

"Demand No. 11 Major head 27. Administration of justice be reduced be Rs. 1/- (to discuss the action of the Govt. in influencing the judiciary by giving attractive terms of service and by providing other facilities which ordinarily are not provided)"

श्री मोगजी भाई. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री लक्ष्मीचन्द, श्री मुरलीधर व्यास तथा डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे :

"Demand No. 11 Major head 27. Administration of justice be reduced by Rs. 100/-(to discuss the question of the separation of judiciary from the Executive)"

डॉ० बहादुरसिंह प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग सं० ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशाशन से में १)रू० मात्र की कटौती की जावे (मौजूदा न्याय व्यवस्था से न्याय संबंधी मामलों में विलम्ब पर वाद-विवाद करने हेतु)"

श्री शिवचरणदास प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग सं० ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १) रू० मात्र की कटौती की जावे (न्याय पालिका को कार्य पालिका से पृथक करने पर वाद-विवाद करने हेतु)"

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' प्रस्ताव करेंगे :

"कि मांग सं० ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १)रू० मात्र की कटौती की जावे (मौजूदा न्याय व्यवस्था से न्याय संबंधी मामलों में विलम्ब पर वाद-विवाद करने के लिये)"

श्री लक्ष्मण हीरात प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग सं० ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १)रू० मात्र की कटौती की जावे (न्याय संबंधी मामलों में अधिक विलम्ब होता है इस पर बहस करने के लिये)"

श्री भँवरलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे : कि "मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १)रू० मात्र की कटौती की जावे (न्याय विभाग के शीघ्र काम नहीं करने पर बहस करने के लिये)"]

श्री रामेश्वरदयाल : (कोटा) अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुल कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्व मान्य और आधारभूत न्याय व्यवस्था के जो मौलिक सिद्धान्त हैं वे प्रधानतया दो हैं–पहला सिद्धान्त है कि न्याय सुलभ और सुगम हो 'चीप एन्ड स्पीडी जस्टिस' और दूसरा सिद्धान्त है कि न्याय विभाग शासन विभाग से पृथक हो। ये दोनों सिद्धान्त एक दूसरे पर निर्भर हैं और सम्बन्धित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सुलभ और न्याय का प्रश्न है; जिस प्रकार की हमारी न्याय व्यवस्था है और न्याय प्रणाली है, मैं समझता हूं कि इस प्रणाली का आधार और व्यवस्था पूंजीवाद का रूप है। मैं इस प्रणाली को पूंजीवादी व्यस्था इसलिए समझता हूं कि इसके द्वारा जो न्याय मिलता है, वह न्याय धनिक

(श्री रामेश्वरदयाल)

वर्ग को मिलता है, गरीबों के लिए न्याय नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई न्याय चाहता है न्यायालय से तो उसे न्यायालय की फीस देनी पड़ती है, उसे साक्षियों का, गवाहों का खर्च देना पड़ता है और वकीलों की भारी फीस देनी पड़ती है और फिर भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह विश्वास के साथ नहीं कह सकता है कि उसके साथ न्याय होगा। क्योंकि अगर विपक्षी पक्ष काफी मालदार हुआ और उसने काफी रुपया खर्च किया तो यह सम्भव है और ऐसा होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यावहारिकता में [कि] उस मालदार का पक्ष प्रबल हो जाता है। सच झूठ हो जाता है और झूठ सच हो जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हमारी व्यवस्था है [और], इस प्रकार की हमारी प्रणाली है। इस प्रणाली के अन्दर एक साधारण आदमी, और मजदूर और किसान (को) जिस प्रकार की खर्चीली और जिस प्रकार की मंहगी प्रणाली है, उसके अन्तर्गत उसको न्याय मिले, यह कल्पना की बात होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले महीनों की उन अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि हाईकोर्ट का मसला एक क्लोज़ चेप्टर है, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम न्याय प्रशासन और न्याय विभाग के सम्बन्ध में चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि हाईकोर्ट की जो व्यवस्था की गई है क्या उस व्यवस्था से इस सर्व मान्य सिद्धान्त कि न्याय सुलभ और सुगम हो के ऊपर आघात तो नहीं पहुंचा है ? क्या इसको पोषण देने में, इसको सहयोग देने में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की यह व्यवस्था हुई है वह किन्हीं भी कारणों से हुई हो लेकिन जिस प्रकार का यह ढांचा खड़ा किया गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो उस व्यवस्था के अन्दर आज अगर धौलपुर का कोई साधारण आदमी [और], गरीब किसान और गरीब मजदूर, अगर आज बांसवाड़ा का किसान, गरीब मजदूर, झालावाड़ का सुनेल का छोटा आदमी या कोटा डिस्ट्रिक्ट का, कस्बा थाने का छोटा आदमी, या पूर्वी राजस्थान का गरीब आदमी न्यायालय से न्याय की आशा कर अगर वहाँ अपनी फरियाद ले जाय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें होनेवाले भारी खर्चे को देखते हुए, आने जाने में जो परेशानियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भी यह आशा करें कि उसको न्याय मिल सकेगा तो यह असम्भव सी बात नजर आती है। आज न्याय का दरवाजा उन गरीबों के लिये प्रायः बन्द सा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है, इस प्रकार का हमने गठन किया है इससे कुछ राजनीतिज्ञों को, माननीय अध्यक्ष महोदय, संतोष हो सकता है, लेकिन हमारी न्याय प्रणाली कल्याणकारी राज्य के आधार पर निर्भर नहीं करती है, इसके ऊपर इसका गठन नहीं हुआ है। चाहे कुछ व्यक्तियों को संतोष हो जाय लेकिन अगर आम जनता को संतोष नहीं होता है, अगर वह आम जनता के हित में नहीं होता है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, वह न्याय प्रणाली निरर्थक है और उससे जनता का भला होनेवाला नहीं है। जिस प्रकार की न्याय प्रणाली है, उसके सम्बन्ध में मैं ज्यादा चर्चा न करते हुए मैं यह समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय के लिए विचा-

(श्री रामेश्वरदयाल)

रणीय होता है कि वे इस बारे में विचार करें। इस बारे में विचार करें कि किस प्रकार सस्ता और सुलभ न्याय दिया जा सकता है उन गरीब किसान और मजदूरों को [लिए] जिनके हित की चर्चा हम सदन में आम तौर पर करते हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी योजनायें बनाते हैं। उनके बारे में अगर राज्य सरकार व्यवस्था करे कि वे भी [इसी प्रकार से] इन न्यायालयों से और वरिष्ठ न्यायालय से खास तौर पर न्याय हांसिल कर सकें और उसमें पैसा खर्च न हो।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सोचना चाहिये कि किस प्रकार उनके लिये निशुल्क न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय। ताकि वे भी अहसास कर सकें कि राज्य सरकार ने उनके लिये भी न्याय के दरवाजे खोल रखे हैं। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर यह बात मन्त्री महोदय के लिये छोड़ना चाहता हूं कि वे इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे और इस मौजूदा शासन प्रणाली और ढांचे में आवश्यक क्रान्तिकारी परिवर्तन करके जनसाधारण को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था करेंगे। आज हमारी न्याय प्रणाली हमारी भारतीयता के अनुकूल नहीं है, हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है, भारतीयता की छाप इसमें नहीं है। जहां तक आज की हमारी न्याय प्रणाली का सम्बन्ध है हमारी न्याय प्रणाली में पश्चिमीकरण है। हम उन्हीं आदर्शों और सिद्धान्तों से चलते हैं, इसके अन्दर अपनी स्वदेशी भावना को लाने का प्रयत्न नहीं करते। हम यह समझ कर कि पश्चिम ने ऐसा किया है या विरासत में यह चीज मिली है उस चीज को देख कर और समझ कर बैठे रहें और लोकतन्त्र के अनुसार उसको ढालने की कोशिश नहीं करें तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

दूसरा प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वह है न्याय विभाग और प्रशासन विभाग को पृथक किये जाने का। माननीय अध्यक्ष, यह सिद्धान्त तो सभी राज्य सरकारों ने और भारत सरकार ने स्वीकार किया है, यही सिद्धान्त हमारे विधान के आर्टिकल ५० में है कि न्याय विभाग और प्रशासन विभाग ये दोनों अलहदा २ हों, दो अलहदा-अलहदा हाथों में दो अलहदा—अलहदा केन्द्रों में होने चाहिये। अगर प्रशासन विभाग और न्याय विभाग एक ही हाथ में होंगे तो प्रशासनिक लोग उन कामों में जिनमें कि उनको दिलचस्पी है, जिनमें वे पत्रकार के रूप में हैं, वे अपने पक्ष में निर्णय देंगे। यह मानी हुई राय है, इसमें दो मत नहीं हो सकते और मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय भी इससे असहमति प्रकट नहीं करेंगे।

न्याय की दृष्टि से आवश्यक है कि न्याय विभाग कार्यपालिका से अलहदा होना चाहिये और इसमें हस्तक्षेप सरकार का किसी प्रकार से नहीं होना चाहिये। पर आज हमारे राज्य में जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं कि सरकार आज भी इस सिद्धान्त को मानते हुए भी इसको आगे बढ़ाने में कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा रही है। कई बार सदन में इस प्रश्न पर चर्चा हुई और सरकारी पक्ष की ओर से आश्वासन दिया गया कि न्याय विभाग को प्रशासन से अलग करने के लिये

(श्री रामेश्वरदयाल)

जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जायगी । तो मन्त्री महोदय बतायें कि राज्य सरकार ने उन आश्वासनों के बाद क्या प्रभावशाली कदम उठाया है जिससे सदन यह विश्वास कर सके कि उन आश्वासनों को पूरा किया गया है ?

आज न्याय विभाग अधितकर वैसे प्रशासन विभाग के हाथों में है । सबोर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, सेशन जज के नीचे के कोर्ट्स हैं, सब:कलेक्टर्स के नीचे होते हैं और कलेक्टर जिले के अन्दर सरकार का प्रतिनिधि होता है, वह होता है पुलिस और अदालतों के ऊपर और जितने मजिस्ट्रेट्स होते हैं, माननीय अध्यक्ष, वे काम करते हैं, फैसले देते हैं कलेक्टरों के इशारों पर, सजाएं होती हैं कलेक्टरों के इशारों पर । इस प्रकार का भयंकर परिणाम है इन दोनों विभागों के एक हाथ में रहने का ।

केवल यही बात नहीं, अध्यक्ष महोदय, इससे भी बढ़ कर एक बात और है । आज हम इस बात को मानते हैं, लेकिन एक कदम पीछे जा रहे हैं, इन दोनों विभागों को पृथक-पृथक करने में पीछे रह रहे हैं । आज जिस तरह की प्रवृत्ति प्रशासन में आ गई है उससे आज यह भय पैदा हो गया है, यह शंका पैदा हो गई है कि कहीं यह न्याय विभाग का ढांचा, न्याय विभाग की प्रणाली ऐसी न हो कि हमारे जो मौलिक सिद्धान्त हैं उन्हीं को कहीं खत्म कर दें । आज जिस प्रकार के कानून बनाये जाते हैं और उन कानूनों के द्वारा जिस प्रकार विभागीय अध्यक्षों को, अधिकारियों को जो न्याय करने का अधिकार दिया जाता है उनसे इस न्याय को बड़ा भारी खतरा हो गया है । इसके कुछ उदाहरण मैं मन्त्री महोदय के समक्ष पेश करूंगा । सेल्स टैक्स एक्ट के तहत कमिश्नर को पॉवर है कि इस एक्ट के तहत जितने मामले हों उनका निर्णय करे । तो इसमें सरकार का भी हित होता है ऐसी हालत में सरकार अपने स्वयं के मामलों का फैसला करे, अपने ही प्रतिनिधियों के द्वारा फैसला कराये तो क्या न्याय होगा, यह मन्त्री महोदय स्वयं ही विचार करलें ।

इसी तरह रेवेन्यू लॉज का एन्फोर्समेंट होता है वह रेवेन्यू ऑफिसर्स के द्वारा होता है और रेवेन्यू ऑफिसर्स सरकार के आधीन होते हैं, वे स्वतंत्र नहीं कहे जा सकते इसी प्रकार लेबर लॉज हैं, उनका एन्फोर्समेंट होता है वह भी लेबर ऑफिसर्स के द्वारा होता है । तो इस प्रकार की यह प्रवृत्ति चल गई है । अगर यही प्रवृत्ति बराबर चलती रही और इसको नहीं रोका गया तो हमारा जो सिद्धान्त है माननीय अध्यक्ष, कि न्याय विभाग और प्रशासन विभाग अलग हों तो एक दिन दूर नहीं जब कि न्याय विभाग और प्रशासन विभाग दोनों का समन्वय हो जायगा, दोनों एक हो जायेंगे और न्याय की बात केवल कल्पना रह जायगी ।

तो माननीय अध्यक्ष, राज्य सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये । यह तो ठीक है कि राजस्थान सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, कुछ जगह मुंशिफों और मजिस्ट्रेटों की पोस्टें क्रियेट की हैं, पर वे थोड़ी हैं । जहां जहां ये पोस्ट क्रियेट की हैं वहां भी स्थिति यह है कि आमतौर पर पुलिस के चालान पेश किये जाते हैं, एस. डी. एम. के पास या एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के यहां जो कलेक्टर के, सरकार

(श्री रामेश्वरदयाल)

के अधीन होते हैं। तो जो राज्य सरकार ने कदम उठाया है उससे न्याय और प्रशासन को अलहदा करने में खासा बल नहीं मिल रहा है और आज भी यह गम्भीर और जटिल समस्या बनी हुई है जिस पर मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जब सरकार इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है तो कोई वजह नहीं है, कोई कारण नजर नहीं आता है कि जल्दी से जल्दी आगामी वर्ष के अन्त तक न्याय विभाग और प्रशासन विभाग को पृथक-पृथक कर दिया जावे और जो सबोर्डिनेट्स क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनको हाईकोर्ट के मातहत कर दिया जावे और उनको गवर्नमेन्ट के हस्तक्षेप से, गवर्नमेन्ट के अधीनत्व से मुक्त कर दिया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब दूसरा कटौती का प्रस्ताव लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के बारे में है। उस बारे में दो शब्द अर्ज करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में कई तरह के लॉ ऑफिसर्स नियुक्त किये जाते हैं। सबोर्डिनेट कोर्ट्स में कोर्ट इन्स्पेक्टर्स नियुक्त किये जाते हैं और सेशन्स कोर्ट्स में पब्लिक प्रोसिक्युटर्स और गवर्नमेंट प्लीडर्स नियुक्त किये जाते हैं तथा हाईकोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट्स और एडवोकेट-जनरल नियुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है उनकी नियुक्तियों के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कोर्ट सब-इन्स्पेक्टर्स या कोर्ट इन्स्पेक्टर्स का सवाल है मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के ये आदमी होते हैं, जिस प्रकार की उनकी योग्यता होती है जिस प्रकार की उनकी...

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मन्त्री) : On a point of information, Sir, कोर्ट इन्स्पेक्टर्स लॉ डिपार्टमेंट से नियुक्त नहीं होते। They are Police Officers.

श्री रामेश्वरदयाल : They also conduct the cases.

श्री रामकिशोर व्यास : They are Police Officers and are not law Officers and they are not appointed by the Law Department.

श्री रामेश्वर दयाल : But they are appointed by the Government. They are under Police Department. I think the Hon. Minister agrees that they are under the Police Department and they conduct cases... तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो सबोर्डिनेट कोर्ट्स में काम करते हैं उनके बारे में मेरी केवल इतनी सी आपत्ति है कि जिस प्रकार के ये लोग होते हैं, जो कार्य क्षमता उनको प्राप्त होती है, जिस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा उनको प्राप्त होती है उनसे यह आशा करें कि ये अच्छे अनुभवी वकीलों के सामने मामले को ठीक प्रकार से चला सकें, और सरकार का प्रतिनिधित्व ठीक प्रकार से कर सकें और उसमें कुछ न्याय करा सकें, उसको सरसब्ज बना सकें, मुकदमें के निर्माण और उसके संचालन में सहायक हो सकें, यह उनसे आशा नहीं की जा सकती। जब कानून इतनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफी कानून निकलते हैं, पेचीदा मामलों में अदालतों के तरह तरह के फैसले आते हैं उस स्थिति में इस प्रकार के लोगों द्वारा

(श्री रामेश्वरदयाल)

सरकार यह आशा करे कि वे अपने मामले को ठीक प्रकार से अदालतों में रख सकेंगे यह आशा बेकार है। इसलिए मेरा सुझाव है कि सबोर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट्स में जो सरकार की ओर से पैरवी करते हैं वे कम से कम लॉ ग्रेजूएट्स होने चाहिये और उनको थोड़ा अनुभव होना चाहिये।

दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्युटर्स, गवर्नमेंट प्लीडर्स और गवर्नमेंट एडवोकेट्स सरकार की ओर से नयुक्त किये जाते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी नियुक्ति के बारे में सरकार के पास कोई टोस कानून नहीं है। अक्सर यह देखा जाता है कि बहुत से लोग तो तीन, चार साल में बदल जाते हैं और कई लोग वर्षों तक चला करते हैं और यह पता नहीं चलता कि वे ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, राज्य सरकार कभी इस बारे में विचार नहीं करती। इसी प्रकार की प्रणाली से एकाधिकार आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कि समाप्त होना चाहिये। सब को मोका मिलना चाहिये, अच्छे से अच्छे अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करके राज्य सरकार को बदलते रहना चाहिये ताकि दूसरे अच्छे आदमी आ सकें और वे भी इस न्याय को आगे बढ़ाने में मदद दे सकें। [यह तो ठीक है। लेकिन] सबसे बड़ी खराबी, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह है कि इन ऑफिसर्स की नियुक्तियां होती हैं वह गवर्नमेंट के द्वारा होती है। जितने पब्लिक प्रोसिक्युटर्स, गवर्नमेंट प्लीडर्स और गवर्नमेंट एडवोकेट्स नियुक्त किये जाते हैं वे सरकार के द्वारा नियुक्त किये जाते हैं जो सरकार के प्रति जिम्मेदार हो सकते हैं, सरकार उनको हटा सकती है, सरकार उनकी तरक्की कर सकती है और सरकार ही उनकी तनज्जुली कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जितने ऑफिसर्स हैं जो अदालतों के ऑफिसर्स हैं और उनका कर्तव्य है कि अदालतों को न्याय कराने में सहायता दें। यह कोई जरूरी नहीं है कि वे सरकारी पक्ष को समर्थन दें या अनावश्यक रूप से सरकारी पक्ष को प्रबल करें। अगर सरकारी पक्ष कमजोर है तो यह उनका फर्ज है कि अदालत से कहे कि सरकारी पक्ष कमजोर है और अदालत को सरकार के विरुद्ध फैसला देदेना चाहिये। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्थिति में ये लोग होते हैं, जिस प्रकार उनकी नियुक्ति और अलहदगी होती है उसको ध्यान में रखते हुए ये न्याय नहीं कर सकते और न्याय में सहयोग नहीं दे सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि जितने लॉ ऑफिसर्स नियुक्त किये जांय वे सब गवर्नमेंट के द्वारा न होकर पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होने चाहिये और उनके द्वारा नियुक्त होने के बाद वे गवर्नमेंट के अधीन नहीं रहने चाहिये और वे हाईकोर्ट के अधीन ही रहने चाहिये, हाईकोर्ट के नियंत्रण में ही रहने चाहिये।

तीसरी बात माननीय अध्यक्ष यह है कि उनकी अवधि के बारे में, कार्यकाल के बारे में निश्चित नियम बन जाने चाहिये कि ये पांच साल या सात साल तक रह सकते हैं लेकिन ७ साल से अधिक अवधि नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक समय तक किसी पद पर काम करेंगे तो उससे उसमें उनका विशेष हित होगा और उससे न्याय मिलने में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होगी। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी देखा जाता है कि कुछ केसेज में, कुछ मामलों

Page No.45

(श्री रामेश्वरदयाल)

में स्पेशल एडवोकेट्स मुकर्रर किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय है कि जब गवर्नमेन्ट के पास हर अदालत के लिए गवर्नमेंट प्लीडर्स मौजूद हैं, हाईकोर्ट के लिए गवर्नमेंट एडवोकेट्स मौजूद हैं तो इस प्रकार से मामले विशेष के लिए, एक विशेष एडवोकेट को ऐंगेज किया जाय और अनावश्यक रूप से इस प्रकार अधिक खर्चा किया जाय तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी कोष पर बहुत बड़ा बोझा होगा। इसी प्रकार से यह भी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने केसेज़ राजस्थान की ओर से चलते हैं या राजस्थान के खिलाफ चलते हैं तो उनमें आम तौर से बाहर से एडवोकेट एन्गेज़ किये जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय है कि जब हमारे यहां एडवोकेट जनरल मौजूद है तो कोई कारण नहीं है कि बाहर से किसी एडवोकेट को मुकर्रर किया जाय और उनके सुपुर्द मामलों को किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी राज्य सरकारों की मिसालें भी हमारे सामने मौजूद है। दूसरी राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट में वहां के ही एडवोकेट जनरल करते हैं, पर हमारे यहां प्रतिनिधित्व राज्य के एडवोकेट-जनरल न करके दूसरे एडवोकेट करें तो यह ठीक नहीं है। इसमें काफी खर्चा होता है जो हमारे राज्य के कोष पर बहुत बड़ा बोझा है जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वे उन केसेज़ को ठीक करने के लिए योग्य नहीं हैं या यह कहियेगा कि राज्य सरकार दूसरे एडवोकेट्स को कुछ फायदा पहुंचाना चाहती है। इन दोनों कारणों के अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता है। इस प्रकार की जो प्रेक्टिस है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह एक गलत और आर्थिक दृष्टि से हानिकारक प्रेक्टिस है और इस पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मैंने कुछ सुझाव माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के सामने रखे इस आशा से कि राजस्थान सरकार उन पर विचार करेगी और उन पर विचार करके संभव हो सके तो उनको कार्यान्वित करने की कोशिश करेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या सब कटौती प्रस्ताव पेश होने के बाद समर्थन के लिये वक्त मिलेगा या कैसे ?

श्री अध्यक्ष : पहले तो सारे कटौती प्रस्ताव रखे जायेंगे उसके बाद यदि समय रहा तो फिर समर्थन के लिये बोलने दिया जायगा।

श्री सम्पतराज जैन : अध्यक्ष महोदय, कल भी ऐसा हुआ था कि कटमोशन्स रखे जाने के बाद समय बचा रहा। आखिर समय में केवल उसी कटौती प्रस्ताव पर जो आखिर में रखा गया बोलने की ईजाज़त दी गई।

श्री अध्यक्ष : कल समय बहुत थोड़ा रहा था अगर आज समय रहा तो माननीय सदस्यों को जो बोलना चाहेंगे बोलने के लिये अवसर दिया जायगा।

श्री सम्पतराज जैन : चाहे किसी भी प्रस्ताव पर बोल सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है, कि 'न्यायालय को कार्यपालिका से पृथक कर दिया जाय ।' इस पर विचार करने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी २०,२१ फरवरी को कोटा जिले की बड़ोद तहसील में एक किसान सम्मेलन हुआ था । नाम तो उसका किसान सम्मेलन था लेकिन उसे सरकारी सम्मेलन कहा जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा । उसको सरकारी सम्मेलन इसलिये कहते हैं कि कलेक्टर, असिस्टेन्ट कलेक्टर, एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० ज. और कोटा सिटी मजिस्ट्रेट भी उस किसान सम्मेलन में आये थे । कोटा के सिटी मजिस्ट्रेट को वहां देख कर मुझे कई बातें ध्यान में आईं । कोटा के सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ोद के किसान सम्मेलन में आने का क्या कारण हो सकता है ? उनका ज्यूरिसडिक्शन म्युनिसिपल सीमा से बढ़ कर क्या बड़ोद तक फैल गया है ? यह बात नहीं थी । जब उनसे पूछा गया तो यह मालूम हुआ कि वहां कोई मंत्री महोदय आनेवाले हैं उनकी अगवानी के लिये ही वे वहां आये हैं । मुझे एक जगह का किस्सा याद आता है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार एक गांव के दौरे पर गया हुआ था और जब अपने गांव के दौरे से लौट रहा था तो मैं क्या देखता हूं कि चम्बल नदी के किनारे पर मुझे मजिस्ट्रेट साहब दिखाई दिये । स्टेशन वेगन के अन्दर बैठे हुए थे । उनके साथ दस बारह पुलिस के सिपाही भी बैठे हुये थे, सी० आई० डी० के एक इन्स्पेक्टर भी थे और दूसरे इन्स्पेक्टर भी बैठे हुए थे । उनको बैठे हुए दो घंटे हो गये थे आखिर कितनी देर तक इन्तज़ारी करते । मैं भी उधर से आ रहा था । मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ । मैंने उनसे नमस्कार करके पूछा आप यहां किसकी इन्तज़ारी कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब ने फरमाया कि फलां मिनिस्टर साहब आनेवाले हैं उनकी अगवानी के लिये हम खड़े हैं । मैंने सोचा मजिस्ट्रेट साहब दो घंटे से इन्तज़ारी कर रहे हैं बेचारे उन गरीब काश्तकारों के केसेज़ का क्या हाल होगा जो सौ सौ मील दूरी से आये हैं । उनको न्याय मिलेगा या नहीं यह बात जब मैंने उनसे कही तो वे कहते हैं कि मैंने अपने मुन्शी को कह दिया है कि उन सब की तारीखें बदल देना । इन सब बातों के देखने के बाद मेरे दिमाग में यह आया इस प्रकार के हमारे न्यायाधीश हैं जो पराधीनता में जकड़े हुए हैं । मिनिस्टर साहब से जो दबे रहते हैं, उनकी अगवानी के लिये खड़े हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उन लोगों की उन्हें परवाह नहीं जो सैकड़ों मील से चल कर न्याय लेने के लिये उनके पास आये हैं । जिनके केसेज़ उलझे हुए होते हैं वे जाकर न्यायालय के दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन न्यायालय के दरवाजों का यह हाल है ।

कोटा के एस० डी० ओ० के अन्तर्गत जो जो तहसीलें आती हैं उन सब की दूरी लगभग सौ मील के करीब है । इसमें चार तहसीलें हैं बड़ोद तहसील, पीपलदा तहसील इन्द्रगढ़ तहसील और लाडपुरातहसील । वहां के लोग एस० डी० ओ० की अदालत में न्याय के लिये आते हैं और सौ मील की दूरी से आते हैं । अपना खर्चा करके और अपने

(श्री दयाकृष्ण विजय)

साथ उन गवाहों को भी लाते हैं जिनका खर्चा भी स्वयं भुगतते हैं। लेकिन वहां आने पर देखते क्या हैं कि हमारे न्यायाधीश महोदय मिनिस्टर साहब की अगवानी के लिये चले गये हैं या कहीं दौरे पर चले गये। जब वे इतना खर्च करके आते हैं और जब उनको न्याय नहीं मिलता और तारीखें आगे पड़ जाती हैं तो इसका असर उनकी जेब पर कितना पड़ता है ? वे अपनी खेती का अमूल्य समय छोड़ कर न्याय के लिये आते हैं और उनको जब वहां आकर निराशा का सामना करना पड़ता है तो यह बहुत गंभीरता से सोचने लायक बात है। अदालतों में दस-दस, पन्द्रह, पन्द्रह गवाह भी लाते हैं। इस तरह से आगे तारीखें डालने पर उनकी जेब पर कितना भार पड़ता है इसकी किसी को परवाह नहीं। इस पर भी हमारी कांग्रेस यह नारा लगाती है कि हम जनता को सस्ता न्याय दिलाते हैं क्या आप इसी को सस्ता न्याय समझते हैं और कहा यह जाता है कि इसके लिये हमने कई प्रगतिशील कदम उठाये हैं। मैं यह देखता हूं कि जहां सस्ते न्याय की बात कही जाती है आजकल उल्टा ऐसा न्याय मिलता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च हो।

मुझे एस० डी० ओ० कोटा के कोर्ट का अनुभव है। वहां पर ऐसे ऐसे केसेज़ हैं जो दो, दो और तीन, तीन साल से लगातार चल रहे हैं लेकिन अभी तक उनका कोई परिणाम नहीं निकला। जब कोई न्याय के लिये जाते हैं तो या तो उस समय एस० डी० ओ० साहब दौरे पर होते हैं या कहीं केतसाली पड़ गई उसको देखने के लिये गये हुए हैं। इस तरह से ज्यादा समय तो ये लोग बाहर ही रहते हैं। इसके अलावा भी इनका ज़्यादा समय मिनिस्टर साहबान की अगवानी में लग जाता है। अभी अभी जो बड़ोद में किसान सम्मेलन हुआ था उसमें तीन, तीन मंत्री महोदय पधारे थे। वहां किसान सम्मेलन था इन मंत्री महोदय का उनसे ताल्लुक क्या था ? फिर भी वे लोग वहां आये इसलिये कि लोगों ने उसे कांग्रेस का नाम धर दिया। लोगों ने विरोध किया लेकिन फिर भी मंत्री महोदयों ने दौरे किये और राज्य के खर्चे पर। अगर आपको अगवानी ही करवानी है तो आपको चाहिये कि हर ज़िले में इस कार्य के लिये एक रिसेप्सनिस्ट रख दें ताकि वह आपकी सुरक्षा का तमाम इन्तज़ाम कर सके। यह न करके आप लोग जो एस० डी० ओ० और अन्य अधिकारियों को साथ लेकर चलते हैं उससे जनता का काफी नुकसान होता है। हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन की ओर झुकता है, उसके अनुसार किसी प्रकार का आन्दोलन किया जाता है या किसी प्रकार से हड़ताल की जाती है या किसी प्रकार से प्रदर्शन किया जाता है तो कांग्रेस सरकार के भक्त लोग उन प्रदर्शनों को होने देना नहीं चाहते और पुलिस के ज़रिये उस आन्दोलन को दबाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जब कि संविधान में इस प्रकार के आन्दोलन और हड़ताल आदि करने का अधिकार दिया है तो इस प्रकार दखलन्दाज़ी करना क्या उपयुक्त है ? अगर उनका कोई सामना करता है तो कहा यह जाता है कि आप इन कामों को न करके हाई-कोर्ट में रिट कर दीजिये वहां से जो फैसला होगा वह सब को मान्य होगा। लेकिन जहां छोटे न्यायालयों का, कलेक्टर के अधीन जो न्यायालय हैं उनकी जो हालत है उसको देखते हुए हम यदि कोई कदम उठाते हैं या भूख हड़ताल करते हैं यह इसलिये करते हैं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कि हमें इन न्यायालयों से न्याय नहीं मिल पाता । अगर किसी प्रकार से किसी के अधिकार कुंठित हो जाते हैं और वह जाकर न्यायालय के दरवाजे खटखटाता है तो वह इसलिये कि उसे वहां न्याय मिलेगा, अन्याय नहीं । लेकिन होता क्या है कि जब किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ आन्दोलन किया जाता है प्रदर्शन करने वाले काले झंडे लेकर प्रदर्शन करते हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाता है और उस हालत में मजिस्ट्रेट साहब यह कहते हैं, कि आपने मिनिस्टर साहब को काले झंडे दिखाये इसलिये आपको गिरफ्तार किया जाता है । इस तरह से मिनिस्टर साहबान को खुश करने का उनको मौका मिल जाता है ।

इसी प्रकार एक मंत्री महोदय कोटा में शिक्षक सम्मेलन में जा रहे थे । लोगों ने उनके आगे प्रदर्शन किया । जिन्होंने प्रदशन किया उन्होंने शाम को बुला कर मुझे कहा कि हमारे पास पुलिस का फर्मान आया है कि हम अपनी ज़मानत दाखिल करें, मुचलके दें । मैंने कहा प्रदर्शन करना या काले झंडे दिखाना कोई जुर्म नहीं जिसके लिये ज़मानत या मुचलका मांगा जाता है, हमारे पर केस चलाये । आखिर पुलिसवालों ने उन पर दूसरी प्रकार केस चलाये । हमारे मिनिस्टर साहबान के सुरक्षा के नाम पर जो इस प्रकार से हस्तक्षेप किया जाता है इन सारी बातों के देखने से यह पता चलता है कि कलेक्टर के अधीन जितने भी न्यायालय हैं उनको उनकी अधीनता से फ्री किया जाय और उनको हाई कोर्ट के अन्तर्गत किया जाय ताकि न्याय ठीक प्रकार से मिल सके ।

अभी पानी के सिलसिले में कोटा में एक आन्दोलन हुआ था । एक मिनिस्टर साहबान पुलिस की वर्दी पहन कर पुलिसवालों के बीच में बैठ कर चले जा रहे थे । लोगों ने प्रदर्शन किया आखिर कुछ लोगों ने कहा इन लोगों ने कांग्रेसी की टोपी उछाली सफेद टोपी की बेइज्जती की इसलिये इनको गिरफ़्तार किया जाता है । इस प्रकार की छोटी छोटी बातों के लिये इस प्रकार के जो काम किये जाते हैं उससे न्याय की रक्षा नहीं होगी । अपने अधिकारों को मनवाना यह जब अधिकार मिला हुआ है वैसी हालत में न्याय की रक्षा के लिये जुडिशियरी का प्रशासन से अलग करना बहुत आवश्यक है ।

१ म० प०

प्रशासन का एक तरह से राजनैतिक काम है । वे राजनीति से प्रभावित होते हैं । इसलिये ये न्याय में निष्पक्ष नहीं रह सकते । न्याय करने वालों को निष्पक्ष होना चाहिये । प्रशासनवालों को कभी जनता के किसी आदमी की बात माननी पड़ती है, जनता के किसी आदमी से उन्हें काम निकलवाने के लिये राजनैतिक दांव पेंच चलाने पड़ते हैं । उन आदमियों से काम निकालने के लिये उन्हें कुछ लेना देना पड़ता है तो वे हमेशा उन लोगों से दबे रहते हैं । अभी श्रमदान के नाम पर, अल्प बचत के नाम पर लोगों से पैसा मांगते हैं तो उनकी आंखें उन पैसा देनेवालों के सामने ऊंची नहीं हो सकती । इस तरह से इन कलेक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में न्याय का तराजू देदेंगे तो वे उन लोगों के साथ पक्षपात करेंगे, यह निश्चित है ।

अगर आप चाहते हैं कि संविधान में सब को समान और सही न्याय मिले, न्याय की रक्षा हो सके तो न्यायालयों और प्रशासन को अलग अलग करना होगा । न्यायालयों

(श्री दयाकृष्ण विजय)

को निष्पक्ष बनाना होगा, उसे न सरकार के अधीन रहना चाहिये, न कलेक्टर, कमिश्नर या मिनिस्टरों के अधीन रहना चाहिये। न्याय और प्रशासन ये दोनों अलग हों। अभी जैसे सदन में दो चार रोज़ पहले जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक उदाहरण दिया था कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जवाब तलब किया गया। ठीक हैंडल करने पर भी जवाब तलब किया गया। यह पुलिस शाही है, नौकरशाही है जो न्याय के सिंहासन पर भी छाई हुई है। इस पुलिसशाही और नौकरशाही को इस न्याय से अलग रखना चाहिये। हमारा हाई कोर्ट सुरक्षित है। पर छोटे न्यायपालिकाओं को और प्रशासन को भी जब तक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक छोटी न्यायपालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस प्रश्न को उठाते उठाते तीन साल हो गये। सरकार भी कहती है विचार कर रही है। जब इस बात का औचित्य सरकार मानती है तो फिर उसे जल्दी कदम उठाना चाहिये। आप लोग जो जनता के प्रतिनिधि बन कर यह आते हैं आपको न्याय की रक्षा के लिये आगे कदम उठाना चाहिये। इसलिये मैं मांग करता हूं कि न्यायपालिकाओं को और कार्यपालिकाओं को अलग अलग किया जाना चाहिये। न्याय मांगने वाले को इससे सस्ता और जल्दी भी न्याय मिलेगा। तो यह न्याय भी सस्ता, जल्दी और समय पर मिले यह भी मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या ११ के सम्बन्ध में मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है और वह न्यायपालिका को प्रशासन से अलग करने के सम्बन्ध में है। किसी भी जनतान्त्रिक शासन की सफलता की कसौटी इस बात में होती है कि वह जनता को सस्ता और सुलभ न्याय किस सीमा तक दे सकता है। हम भी अपना एक नारा यह लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे शासन के सामने भी एक लक्ष्य है कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले। लेकिन जैसा कि अभी सदन में बताया गया उससे मालूम होता है कि हमारा न्याय दिनों दिन महंगा और दुर्लभ भी होता जा रहा है। हम जब अंग्रेजी शासन सत्ता के अन्तर्गत थे उस समय यह व्यवस्था थी और उस समय से ही यह चली आ रही है। जब आजादी की हमने लड़ाई लड़ी तब भी यह नारा दिया था कि हम न्याय और प्रशासन को बिल्कुल अलग रख कर जनता पर होनेवाले शोषण को बन्द करेंगे। इसलिए हमारे संविधान के नीति निर्धारक तत्वों के अन्दर इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि हम प्रशासन और न्याय को सर्वथा भिन्न रखेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी समझ में नहीं आता कि इतने दिन हो जाने के बाद भी अभी तक हमारी सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठा सकी है? यह मानते हुए भी कि न्याय और प्रशासन का एकीकरण जनता को न्याय दिलाने में बाधा डालनेवाला सिद्ध होगा हम उसको आज तक अलग क्यों नहीं कर सके हैं? हमारे देश में और प्रदेश में इस तरह का न्याय देने के लिये

(डॉ० चन्द्रकला)

हाई कोर्ट और दूसरे सेशन, सिविल कोर्ट और छोटे कोर्ट हैं उनके होते हुए भी हमने क्यों कलेक्टर, एस. डी. ओ. आदि को जूडिसियल और न्याय के अधिकार दे रखे हैं ? यह हमारी समझ में नहीं आता। मैं उदाहरण देकर सदन का समय इस बात में नहीं लूंगी कि इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यदि हम ही न्याय करनेवाले और हम ही शासन करनेवाले होंगे तो बात साफ है कि न्याय सुलभ नहीं हो सकता, न्याय अच्छी तरह से नहीं मिल सकता। आज हमारे कलेक्टर रेवेन्यू ऑफिसर भी हैं। इसके साथ ही साथ न्याय का भी अधिकार है उनको। निश्चय ही ऐसी स्थित में न्याय करते समय उनके मन में यह जरूर ख्याल होगा कि वे एक विभाग के कर्मचारी हैं और ऐसी स्थिति में अपने ही विभाग के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही करते समय उनको ख्याल आवेगा ही। तो न्याय को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र क्षेत्र में ही रहना चाहिये।

फिर न्याय विभाग की नियुक्तियों का तरीका और न्यायपालिकाओं की नियुक्तियों के तरीके भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे एस० डी० ओ० की नियुक्ति आर० ए० एस० में से होती है जिनके लिये कानून जानना जरूरी नहीं होता पर ये जब अमुक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो जूडिशियरी के अधिकार भी इनको मिल जाते हैं जब कि वह कानून जानता तक नहीं, न्याय के क्षेत्र में जिसके बिना वह सर्वथा अयोग्य होता है। न्याय में कानून की पेचीदगियों का जानना जरूरी होना चाहिये पर सरकार को इसकी परवाह नहीं है।

तो मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर यही निवेदन करना चाहती हूं कि न्याय और प्रशासन को अलग अलग करने का सरकार जल्दी प्रयत्न करे। इस सदन की इस तरह की भावना इससे पहले भी कई बार इसके पक्ष में व्यक्त की जा चुकी है और शायद हमारी सरकार को भी इसमें कोई ऐतराज नहीं है। पर केवल सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर लेने भर का कोई अर्थ नहीं जब तक कि उसको क्रियान्वित रूप में न लाया जाय। मैं समझती हूं कि जनता की भावना की कदर करने की दृष्टि से और सर्व साधारण के लिये न्याय सुलभ हो और सस्ता न्याय दिलाने की भावना से इस दिशा में सरकार जल्दी ही कोई कदम उठावेगी और ठोस कदम उठावेगी। इस आशा के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

१. १० म० प०

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो यह सेपरेशन का, जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव के लिए कटौती का प्रस्ताव रखा है वह कोई नई बात नहीं है। हमारे सदन में कई बार इस पर विचार विमर्श हुआ है और कई माननीय सदस्यों ने कहा है फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि इन सब बातों के होते हुए भी माननीय सदस्यों के जो विचार हैं वे कई बार व्यक्त हो चुके हैं इसके बावजूद भी कि हमारे भारतीय संविधान में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव दोनों को अलग अलग मानना एक

(श्री अनोपसिंह)

प्रिन्सिपल के तौर पर माना गया है फिर भी हम जब देखते हैं तो उस विचार का वाकय में में असली रूप में अनुसरण हम नहीं कर रहे हैं। असली माने में हम शायद जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग नहीं कर पाये हैं और यह होता भी है कि जहां एक पार्टी गवर्नमेंट होती है तो उसमें यह अमूमन भावना रहती है कि मेरी पार्टी की बात रहे और दूसरी पार्टियों की बात न रहे। पर फिर भी जब हमने सैद्धांतिक रूप से स्वतन्त्रता के बाद डेमोक्रेसी को अपने राज्य का एक आधार मान लिया है और जब हम डेमोक्रेसी को मानते हुए चलते हैं तो पार्टी की बात को मानना पड़ेगा, पार्टी की स्थिति को मानना पड़ेगा और उसके एग्ज़ीस्टेन्स को मानना पड़ेगा। बिना पार्टी कोई एग्ज़िस्टेन्स डेमोक्रेसी का नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। अब सवाल यह है कि एक पार्टी एक बात चाहती है और दूसरी पार्टी दूसरी बात चाहती है तो अमूमन होता यह है कि जो पार्टी इन पॉवर होती है वह अपनी बात को मना लेती है और वह अपनी बात लोगों के ऊपर और अपने ऑफिसरों के ऊपर हावी कर देती है और इनको इनफ्लूएन्स कर देती है कि वह ऑफिसर अपने एक स्वतन्त्र न्याय के पक्ष में या अपने स्वतन्त्र विचार रख कर कोई बात नहीं कर पाते हैं। यह नई चीज़ नहीं है। बहुत दफा इस बात पर यहां सदन में विचार हो चुका है और कई माननीय सदस्यों ने यहां पर अपने विचार व्यक्त किये हैं फिर भी मैं यह अर्ज करूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में दो चीज़ें जरूरी हैं न्याय और शक्ति। शक्ति एग्ज़ीक्यूटिव के हाथों में है और न्याय के हाथ में यह है कि वह एक तराजू रख कर इस बात को तोले कि न्याय जिसके साथ होना चाहिए था वह हुआ या नहीं। जिसको सजा मिलनी चाहिए थी वह उसको मिली या नहीं या फिर शक्ति अपने हक से बाहर जाकर अपने कदम तो कहीं ज्यादा नहीं उठा रही है, कहीं उसका एग्ज़ीगरेशन हो गया है और इस कारण वह एक डेंजर हो गया हो, एक्सप्लोजिंग हो गया हो उस डेंजर को मिटाने के लिए जुडिशियरी का गारज़ियन के रूप में और एक ऊपर आंख रखने के लिए होना जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आये दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हर जगह ही करीब करीब थोड़े बहुत केसेज़ ऐसे ऐसे हो गए जिनके बारे में मैं सकेत करूंगा कि जुडिशियरी ने अपने को एग्ज़ीक्यूटिव के नीचे दबा लिया। क्योंकि हमारे जो अफसरान हैं वे इतने करेक्टर के सच्चे नहीं हैं, अपने सिद्धान्तों के, अपनी बातों के और न्याय पक्ष के साथ उनके जो सोचने के तरीके हैं या उनमें जो करेक्टर का समन्वय होना चाहिए था और उन्हें अपने करेक्टर के ऊपर रह कर सच्ची बात को सच्ची कहें और किसी के दबाव में न पड़ कर जो न्यायिक हो वही करें, ऐसे करेक्टर अभी हमारे यहां डवेलप ही नहीं हुए हैं। यह खेद की बात जरूर है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमें यह मानना पड़ेगा कि हमारे एग्जीक्यूटिव ने कई जगह जुडिशियरी को दबा लिया, इसमें शक नहीं। कई जगह ऐसा होता है मैं अर्ज करदूँ कि वह पार्टी जो ज्यादा पॉवर रखती है उसकी बात ऑफिसर्स लोग मान जाते हैं केवल यह समझ कर कि मेरे स्वार्थ में कहीं गफलत न हो जाये और कहीं फलां मिनिस्टर नाराज न हो जाये, फलां का टेलीफोन आया या और फलां ने डी० ओ० लिखा था इसलिए कहीं गड़बड़ न हो जाये, कहीं मेरी

(श्री अनूपसिंह)

स्थिति में गड़बड़ न हो जाये, मेरा ट्रान्सफर न हो जाये या कहीं ग्रेड कम न हो जाये या सस्पेन्शन कहीं न हो जाये ऐसे छोटे छोटे कन्सीडरेशन्स को देख कर और अपने न्याय पक्ष को न देख कर अपने करेक्टर को खोकर, अपनी पॉवर्स को खोकर ऐसा काम कर बैठते हैं जिनमें जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का एक तरह से मिलान हो जाता हैं, वह अलग अलग नहीं रहते हैं । जिस तरह से सैद्धांतिक रूप में उनको अलग होना चाहिए था वह कहना बहुत मुश्किल हो जाता है । क्योंकि अपने पक्ष के ऊपर या अपने सिद्धान्तों के ऊपर वह टिक नहीं सकते हैं । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जब हमने डेमोक्रेसी को अपने राज्य का एक आधार मान लिया है और हम टोटेलीटेरियन के बिल्कुल खिलाफ हैं । क्योंकि डेमोक्रेसी और टोटेलीटेरियन दोनों एक साथ नहीं चल सकते । एक तरफ आप कहते हैं कि पॉवर्स होना बहुत जरूरी है मगर पावर्स ऐसी न हो कि जो डिक्टेटर के हाथ में हों । पॉवर्स तो ऐसी होनी चाहिए जो कि न्याय पक्ष की पावर हो जो सही को सही और गलत को गलत और काला को काला और सफेद को सफेद कहने के लिए तैयार हो । ऐसी पॉवर्स हों तो चल सकता है, मगर इससे ज्यादा पावर्स नहीं चल सकती हैं । अगर इससे ज्यादा हो जाती हैं तो फिर वह डिक्टेटर की बात हो जाती है । जिस तरह से डिक्टेटर अपनी जबान से जो निकाले वही लॉ हो जाता है । अगर हमारी पार्टी ऐसी पॉवर्स को रिज़्यूम कर ले तो ऐसा होगा कि फासिज़्म की तरफ हम बढ़ते नजर आते हैं । इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें बड़ा सतर्क होना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि कहां तक उन धाराओं का जो कि हमारे भारतीय संविधान के अन्दर हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग रखा जाये उसका कहां तक पालन हुआ है, उसको हमने कहां तक इम्पलीमेन्ट किया है ।

यह बात दूसरी है कि आप यह कहें कि हमने तो करदी है अलग अलग तो मैं कहूँगा कि आपने तो नेम कर दिया है, एक फोर्म कर दिया है । लेकिन आपने इसको एक्चुअली प्रेक्टिस नहीं किया । मान लीजिये आपके सामने इस तरह की कई चीजें आ जाती हैं जहां आपकी पार्टी को धक्का लगता है लेकिन न्याय यही कहता है कि चाहे पार्टी को धक्का लगे लेकिन काम करना है, जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय मिलना ही चाहिए तब तो मैं मान सकता हूँ कि आप में वह करेक्टर पैदा हो गया और आपने जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग कर दिया और आपने सविधान में दिए हुए सिद्धान्त को मान लिया है। लेकिन यह जब तक नहीं होता है तब तक खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमने इन दोनों को इस तरह से मिला दिया है कि न्याय कहां है, किस के पास जाकर रोयें आज इसका जनता को पता नहीं । जनता के सामने जो चीज़ है वह यह है कि जनता को पता नहीं कि किसके पास जाकर रोयें, आज किससे कहा जाये कि मेरे साथ न्याय हो । हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां के लोकल लीडर्स होते हैं वे अपने क्षेत्र में इतना इनफ्लूएन्स गेन कर लेते हैं कि वह मन चाहे जैसा दबाव डलवा कर अपना काम करा लेते हैं । आज हमारे मिनिस्टर्स साहब किसी को भी डी. ओ. लिखने में नहीं आनाकानी करते हैं । मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इसको नहीं मानेंगे, मगर इसकी कमजोरी है तो आपमें है, जनता में नहीं है । अगर आप कमजोरी

(श्री अनोपसिंह)

को मिटाना चाहते हैं, अगर आप न्याय पक्ष को लेकर छोटी छोटी बातों का ध्यान न रख, उनको नहीं मानते हैं और फिर कहते हैं कि न्याय की जगह न्याय होना चाहिए तो हमारा काम सफल हो सकता है। मगर आप ऐसा नहीं करते। आपको डर रहता है वोटर्स का और फिर आप सोचते हैं कि चाहे न्याय हो, अन्याय हो हमें तो करना है क्योंकि इससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अगर इस तरह की फायदे की बात सोचेंगे तो आपका यह विचार कि हम ज्युडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग रखेंगे तो मैं कहता हूं कि वह ढकोसला मात्र रह जायेगा। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आज़ादी को मानते हुए और डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए और डेमोक्रेसी की प्रणाली को मानते हैं तो हमारी इस प्रणाली में इन्डिविजुअल फ्रीडम कहीं जायगी नहीं। अगर इन्डिविजुअल फ्रीडम को आप नहीं मानते हैं तो कह दीजिये कि कम्युनिस्ट प्रणाली को मानते हैं और अगर आप कम्युनिस्ट प्रणाली को नहीं मानते हैं और डेमोक्रेसी को मानते हैं तो व्यक्तिगत आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, जिस तरह कि इंगलैंड में यह कहा जाता है कि 'Every Englishman's home is his fort'. एक इंगलिश मैन का घर है वह किला है। उस फोर्ट के अन्दर कोई नहीं जा सकता, कोई लॉ उसके अन्दर नहीं घुस सकता है। जब तक कि फोर्ट के अन्दर रहनेवाला कोई गल्ती नहीं करे तब तक उसके ऊपर बादशाह भी हाथ नहीं लगा सकते हैं, उसके घर के अन्दर नहीं घुस सकता है, फोर्ट के अन्दर नहीं घुस सकता है। माननीय उपाध्य महोदय, यह कितनी बड़ी बात है। इन्डिविजुअल को कितनी बड़ी फ्रीडम दी जाती है, His home is a fort; घर उसका किला है। उसके अन्दर कोई नहीं घुस सकता है जब तक कि वह गल्ती नहीं करे।

मैं अर्ज करूं कि हमारे स्टेण्डर्ड जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का [है वह] इतना गिर चुका है कि आपके अफसरान को भी इस तरह का विचार ही नहीं आया होगा कि क्या कर रहे हैं। वे आपको राजी करना जानते हैं। यह हमारी नई आज़ादी का सबूत है कि वह आपको राजी करना जानते हैं। पार्टी-इन-पॉवर को कोई नाराज़ नहीं करना चाहता है। अगर इसकी एग्ज़ाम्पल मांगेंगे तो मैं एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूँ। (सदन की ओर देख कर) कोई पूछेगा तो अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनसे क्यों दरयाफ्त करते हैं ? यह तो आप और मेरे बीच का प्रश्न है।

श्री अनोपसिंह : अगर आप चाहेंगे तो फैक्टस एन्ड फीगर्स अर्ज कर देता हूँ। आप पंचायतों को पॉवर्स देना चाहते हैं। हम पंचायतों को अधिकार देकर पंचों और सरपंचों को हैसियत बढ़ा देना चाहते हैं। आप उनको मान देना चाहते हैं, आप उनको इज्जत देना चाहते हैं। मैं यह देख रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष, कि एक गांव का सरपंच अपनी ड्यूटी को बजाता है। वह ड्यूटी देता है। ड्यूटी बजाता बजाता उससे अलग जब हो जाता है तो फरीकेन जिसको वह सज़ा देता है क्योंकि पार्टी-इन-पॉवर के ऊपर वह किस तरह से हावी हो सकता है, उसका इन्फलूएन्स है वह जुडिशियरी से या एग्ज़ीक्यूटिव में कहीये वह न्याय पक्ष को मांगता है कि मेरे साथ सरपंच ने अन्याय किया है तो उसकी

(श्री अनोपसिंह)

दो साल तक इन्क्वायरी दबी पड़ी रहती है। दूसरी इन्क्वायरीज़ हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद में साल, दो साल के बाद में होम डिपार्टमेंट से नोटिस जाता है कि फलां एस. डी. ओ इस बात की तहकीकात करें और इन्क्वायरी करके जवाब दें। एस.डी.ओ. और वहां के कुछ पुलिस का एक सर्कल बना हुआ है, एक गुट्ट बना हुआ है, उस गुट्ट के मातहत होकर सरपंच को बुलाते हैं और जमानत लेते हैं। एक बार जमानत लेकर पुलिस उसको छोड़ देती है। दूसरी बार एस.डी.ओ. कहता है कि मैं इनकी जमानत नहीं मानता हूँ और कहते हैं कि सरपच को कस्टडी में दे दिया जाय। आधा घन्टे बाद, सरपंच को आप ईज्जत बचाना चाहते हैं उसकी तोहीन होजाती है। उसको आधा घन्टे के बाद में बाहर निकाला जाता है और उन ज़मानतदारों से ज़मानत ली जाती है। वहीं के वहीं ज़ामीन होते हैं और ज़मानत ली जाती है। यह क्या है ? आप फरमाते हैं कि हम सरपंच को इज्जत बचाना चाहते हैं, उसको ऊंचे लेवल पर ले जाना चाहते हैं। एक सरपंचकाम करता है और उसके साथ में यह बात होती है क्योंकि वह रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। यह तो पार्टी फासिज्म है। पार्टी टोटेलिटेरियनिज्म चलता है। हम डेमेक्रेसी के अन्दर बिलीव करते हैं। हम डेमोक्रेटिक एरा में खड़े हैं, कम्युनिस्टिक एरा में नहीं खड़े हैं। हम टोटेलिटेरियन नहीं हैं। हमारा संविधान टोटेलिटेरियन नहीं है। मैं अर्ज़ करूंगा कि इस तरह की बहुत सी एग्ज़ाम्पलस हैं। मैं इस तरह के मडरिंजगिंग में बहुत कम बिलीव करता हूं। आप शौक रखते हैं और शिरकत लेते हैं वह बात दूसरी है।

इसलिए जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलग करने के लिए मेरी पुर जोर राय अर्ज करूंगा सदन के सामने और यह चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारा यह संविधान का एक छोटा मोटा क्लॉज़ कहीं दबा पड़ा है जो कि आज तक किसी ठिकाने पर नहीं आया है, जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव को और एग्ज़ीक्यूटिव जुडिशियरी को दबाये, ये दोनों चीजें ऐसी चल रही हैं कि जिसका पता नहीं कि कहां जाकर रुकेगी। सिवाय हाई कोर्ट के कोई ऐसी कोर्टस नहीं हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको कि हम निष्पक्ष कह सकें। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने दूसरे साथियों से अर्ज करते हुए आपकी मारफत यह कहूँगा कि इनप्रेक्टिस जो कुछ आप कहते हैं वह करें। करने और बोलने में कोई फर्क नहीं होना चाहिये, यह मेरी अर्ज है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग के सम्बन्ध में दो कटौती के प्रस्ताव हैं। दोनों कटौती के प्रस्तावों को मैं सदन में एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के कुछ समय पहले लगभग एक सप्ताह पूर्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त लॉ कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। जिस समय वह रिपोर्ट हमारे देश के गणमान्य लोगों को पढ़ने को मिली तो सबसे पहले बिना किसी कमेन्ट के एक धारणा सब की निश्चित रूप से हो गई कि हमारी जुडिशियरी के ऊपर एग्ज़ीक्यूटिव साइड या पोलिटिकल साइड हर रूप में प्रभावित करने की चेष्टा करती है। यह एक अलग सा प्रश्न है कि जुडिशियरी को किस प्रकार

Page No.55

(श्री भैरोंसिंह)

से इन्फ्लुएन्स किया जाय, लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट में जो कुछ फैक्ट्स दिये हुए थे, विशेष तौर के ऊपर जजेज़ की नियुक्ति के प्रश्न को लेकर जो उसमें टीका टिप्पणी की गई थी उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हुई थी कि इस प्रकार की नियुक्तियां जब की जाती हैं तो उनमें पोलिटिकल रीज़न्स भी किसी हद तक कार्य करते हैं। जिस देश की जुडिशियरी के बारे में लॉ के एक्सपर्टस की इस प्रकार की ओपीनियन हो वहां हम इस बात से इन्कार नहीं कर सकते हैं कि हमारी जुडिशियरी को इन्फ्लुएन्स करने के लिए कई प्रकार के तरीके नहीं अपनाये हों।

अब प्रश्न यह आता है कि जब निर्विवाद रूप से, कोई चीज़ स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ गई है तो क्या वह चीज़ उचित है? मैं ऐसा समझता हूं कि सदन इस बात में अवश्य विश्वास करता होगा कि जुडिशियरी के ऊपर किसी भी प्रकार से एग्ज़ीक्यूटेव और पोलिटिकल साइड का कोई इन्फ्लुएन्स नहीं होना चाहिए। अब जब इस प्रकार के सिद्धान्त को हम स्वीकार करते हैं, अब तक के जितने इस प्रकार के एक्शन्स हुए हैं उन एक्शन्स को प्रोसीड नहीं करते हैं तो फिर हमें भी कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि जिस रास्ते के आधार के ऊपर हम जुडिशियरी को इनफ्लुएन्स होने से बचायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि राजस्थान की जुडिशियरी को इन्फ्लुएन्स करने के लिये हमारी सरकार ने किस प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्था के नियम बना रखे हैं। उनका यदि गहराई से चिन्तन किया जाय तो वे नियम अपने आप बोलने लगते हैं। हमारी मशा केवल यह है कि हम जिस प्रकार से सरकार की ओर से इशारा हो, उनके इशारे का भी ख्याल रखें। अब जब कि सरकारी ऑफिसर्स या एग्ज़ीक्यूटिव साइड के इशारे का ख्याल रखनेवाले व्यक्ति जुडिशियरी में हों तो फिर कोई उम्मेद नहीं कर सकता कि आज के इस पोलिटिकल एटमोसफियर में यदि किसी व्यक्ति को पोलिटिकेली विक्टेमाइज़ कर दिया है तो उस व्यक्ति को कानून से संरक्षण मिलेगा। मैं समझता हूं, संरक्षण नहीं मिलेगा। आज जो राजनैतिक वातावरण है, मैं महसूस करता हूं कि जिस प्रकार से जुडिशियरी को ऊंचा होना चाहिये उस प्रकार से नहीं है। और ऊंचा न होने की जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी पर आती है इससे इन्कार नहीं कर सकते। लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार का वातावरण जुडिशियरी को इन्फ्ल्युएन्स कर सकता है, इस प्रकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था रही तो उसका असर सामान्य रूप से आम जनता पर क्या पड़नेवाला है, इस पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा।

कुछ दिन पहले एक प्रश्न विधान सभा में सांचोर से आनेवाले माननीय सदस्य ने पूछा था। उनका प्रश्न यह था कि जुडिशियल ऑफिसर्स की सीनियोरिटी फिक्स-अप हुई या नहीं। मुझे जहां तक याद है, इस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दिया था कि सन् '५१ में एक सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई थी, हाई कोर्ट ने अपना क्राइटेरिया फिक्स-अप किया था उसके आधार पर सलेक्शन लिस्ट तैयार हुई थी, लेकिन उस समय के मंत्री मंडल ने देखा कि यदि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने जो कुछ क्राइटेरिया फिक्स-अप किया है उसके आधार पर फ्री

(श्री भैरोंसिंह)

सलेक्शन हुआ और उसमें हमारा इन्टर– फियेरेन्स नहीं हुआ तो न तो हम जुडिशियरी को किसी तरह से खुश कर सकते हैं या जो लोग हमारी बात नहीं मानते हैं उनको न दंड ही दे सकते हैं इसलिये सरकार ने उसमें इनटरफियेरेन्स किया और अपना क्राइटेरिया फिक्स करके हाई कोर्ट को लिखा कि इसके आधार पर हम सीनियोरिटी फिक्स करना चाहते हैं इसलिये इसको दुबारा रिवाइज किया जाय। वह प्रश्न सन्'५४ तक चलता रहा। फिर सन्'५५ में राजवी श्री अमरसिंहजी की एक रिट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं हाई कोर्ट ने स्वीकार की। उसको स्वीकार करने के बाद जो पहली सीनियोरिटी लिस्ट बनी थी उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन सरकार ने तुरन्त बाद ही एक दूसरी लिस्ट जो सन्' ५१ में सलेक्शन हुआ था उसी के आधार पर फिर प्रकाशित करदी। तो एक तरफ यह कहा जा सकता है कि राजवी श्री अमरसिंहजी की रिट के ऊपर हाई कोर्ट की जो मंशा थी उसको नल एंड वोइड करने के लिये हाई कोर्ट की मंशा के विपरीत उसको फिर लागू कर दिया गया। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो उत्तर यहां पर दिया गया था वह इस प्रकार का था जिससे समझ में आ सके कि हमारी सरकार इस सलेक्शन में कोई ऐसी कार्यवाही करना चाहती है जिसके आधार पर कुछ जजेज़ को खुश करदे या कुछ जजेज जो शायद इनका कहना नहीं मानते हैं उनको दंड दे। यदि ऐसी बात नहीं है तो हाई कोर्ट द्वारा सीनियोरिटी फिक्स-अप करने या निर्णय लेने का कार्य मंडल को नहीं करना चाहिये था, राजस्थान के अपोइन्टमेंट्स विभाग के सेक्रे- टरी के द्वारा नहीं होना चाहिये, वह काम होना चाहिये निरा जुडिशियरी के द्वारा। लेकिन सरकार एक क्राइटेरिया फिक्स करती है और फिर' ५६ के बाद लिस्ट प्रकाशित करती है। उस पर फिर ऑब्जेक्शन्स इन्वा- इट किये गये जो अब तक चल रहे हैं। मुझे अफसोस है कि जो सीनियोरिटी फिक्स-अप होनी चाहिये थी वह फिक्स-अप नहीं की गई। इसलिये सारी जुडिशियरी में एक एप्रिहेन्सन चलता है कि हाई कोर्ट ने जैसा क्राइटेरिया फिक्स-अप किया था उसके आधार पर सलेक्शन नहीं होने से सारे क्राइटेरिया को बदलना पड़ा। इसलिये जुडिशियल ऑफिसर्स के दिमाग में एक एप्रिहेन्सन घर करेगा कि हमारे जुडिशियल फंक्शन्स पर भी एग्जिक्यूटिव का असर है, जब चाहे तब वह सीनियोरिटी लिस्ट या सलेक्शन पर किसी प्रकार से असर डाल सकती है। जब आप का जुडिशियरी पर ऐसा प्रभाव है तो आप यह नहीं कह सकते कि हम जुडिशियरी को इन्टरफियर नहीं करना चाहते हैं। आपको स्वीकार करना होगा कि हम जुडिशियरी को इन्फ्लूएन्स करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं यह दूसरी चीज है लेकिन राज्य सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि वह जुडिशियरी को इन्फ्लूएन्स करना चाहती है। नहीं तो हाई कोर्ट द्वारा जो सीनियोरिटी लिस्ट बनाई गई, योग्यता मुकर्रर की गई उसको स्पष्ट रूप से न मान कर राजवी श्री अमर- सिंहजी की रिट का बहाना लेकर यह कहने का क्या कारण है कि हम उनके कारण से ऐसा कर रहे हैं ? मैं मंत्रीजी से यह कहूंगा कि'५१ में जो सीनियोरिटी लिस्ट बनी थी उसमें और जो'५६ में दुबारा बनी थी उसमें अंतर क्या है ? मैं कहता हूं कि उनमें अन्तर कुछ नहीं है। क्योंकि क्राइटेरिया में अन्तर किया है सरकार के इशारे पर। यदि सर–

(श्री भैरोंसिंह)

कार के इशारे पर यह तय किया जाय कि कैसी क्वालिफिकेशन होगी, कौनसा आदमी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकता है। यदि हम योग्यता का निरीक्षण करते हैं तो उसके पीछे मंशा है अकोमोडेट करने की। अकोमोडेट किसी तरह से होता है इसके बारे में एग्जीक्यूटिव की नज़ीर है। आर. टी. एस. और आई. ए. एस. के सलेक्शन की चर्चाएं आती हैं जो हमारे सामने हैं कि किस प्रकार से अनड्यू एडवान्टेज उठाने का वातावरण बनाते हैं। कभी कहते हैं कि इसके लिये १० साल की सर्विस होनी चाहिए, अगर अपने आदमी उसमें नहीं आते हैं तो उसको रद्द करके कहते हैं कि ८ साल की सर्विस होनी चाहिये। अब यदि ज्यादा आदमियों को इससे नुकसान होता हो और अपने आदमियों को फायदा होता हो तो कहते हैं कि १२ साल की सर्विस होनी चाहिये। ये चीजें निश्चय तौर से बाधा पहुंचाती हैं। सरकार को चाहिये कि वह इससे परे रहे और यह हाई कोर्ट का धंधा हाई कोर्ट पर छोड़ दे। हाई कोर्ट के जजेज़ इसके निर्णायक हों। ऐसी बात उन पर ही छोड़ दें। उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप न हो। आपने जो हस्तक्षेप किया है उससे हाई कोर्ट के जजेज़ भी पजल्ड हैं। उनकी जो दुविधा है उसको दूर करने की कोशिश करें। सरकार यह सोचे कि जो हस्तक्षेप किया है उससे निश्चय रूप से प्रभाव पड़ा है इसलिये अब हस्तक्षेप नहीं करना है ? लेकिन अफसोस है कि जो उत्तर मिला उसको राजस्थान के जुडिशियल ऑफिसर्स ने 'राष्ट्रदूत' और 'लोकवाणी' में पढ़ा होगा और उनको मालूम हुआ होगा कि वास्तव में स्थिति क्या है और एसेम्बली में मंत्री किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर बात करते हैं और हिम्मत नहीं करते साफ बात कहने की। इसकी जो संज्ञा है उसका प्रमाण जुडिशियल ऑफिसर्स को मिला होगा। ऐसी बातों का विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार यह कहती है कि हम इन्टरफियरेन्स नहीं करना चाहते और राज़वी श्री अमरसिंहजी के केस का बहाना लेते हैं लेकिन काम करते हैं अपने आदमियों को अकोमोडेट करने के लिये। यदि जुडिशियरी का भी यही हाल रहा तो अभी तो हम यह सोचते हैं कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग अलग हैं लेकिन बाद में सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है यह सोचने के लिये विवश होना पड़ेगा। कई प्रकार की परेशानियां हमारे सामने आती हैं।

लॉ कमीशन की रिपोर्ट में यह प्रश्न था कि जजेज़ की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। इसमें कई प्रकार की नजीरें रही हैं। विरोधी पक्ष में बैठनेवाले इफेक्टिव मेम्बर को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। मैं यह नहीं कहता कि वे अनक्वालिफाइड थे या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उन में नहीं थी लेकिन इस प्रकार के लोगों को जो विधान-सभा में विरोध करते हैं उनकी जबान पर ताला लगाने के लिये उनकी नियुक्ति की जाती है। खाली राजस्थान में ही नहीं बल्कि केरल में और दूसरे स्थानों पर भी विरोधी दल के नेताओं को जुडिशियल ऑफिसर के पद पर या हाई कोर्ट जज के पद पर नियुक्त कर दिया और वह भी किसकी सिफारिश पर ? केवल सरकार की सिफारिश पर जिसका विरोध वे लोग करते थे। इसका मतलब यह है कि विरोध करने के कारण सरकार उनसे प्रभावित होती है और डेमो–

Page No.58

(श्री भैरोंसिंह)

क्टिक फंक्शन्स न करने के लिये प्रलोभन देती है। प्रलोभन और किसी रूप में नहीं लेकिन नियुक्ति के रूप में देती है। पोलि-टिकल रीजन्स से जजेज की नियुक्ति कर सकते हैं। अब यदि यह बात आती है कि पोलिटिकल रीजन्स से नियुक्ति कर सकते हैं तो यह पोलिटिक्स जुडिशियरी में भी घुस आई तो निश्चित रूप से जुडिशियल ऑफि-सर्स पर इसका इन्फ्ल्युएन्स पड़ेगा। बिना इन्फ्ल्युएन्स के जजमेंट दिया जायगा, ऐसी बात नहीं है।

जुडिशियल ऑफिसर को सरकार कुछ ऐसा समझती है जिस प्रकार आर. ए. एस. और आई. ए. एस. ऑफिसर उनके हुक्म को मानने वाले हैं उसी प्रकार जुडिशियल ऑफि-सर उनके हुक्म को माननेवाले हैं। जब उन्होंने देखा कि जुडिशियरी को डाइरेक्टली इन्फ्लुएन्स नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका निकाला कि, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अट्रे-क्टिव टर्म्स रखी जांय, अट्रेक्टिव सेलेरीज़ रखी जाय, अलाउन्स रखे जांय, जिन अलाउन्स को देने का अधिकार, सेलेरीज़ को देने का अधिकार, सेलेरीड पोस्ट्स पर नियुक्त करने का अधिकार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हाथ में न होकर एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ में हो ताकि जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देखें। अगर कोई ऐसे पद पर नियुक्त हो जाय जिसमें २०० रुपये मिलते हैं, २०० रुपये तनख्वाह का पद एक दो नहीं कई पद हैं जिसमें २०० रुपये मिलते हैं। इसके साथ ही जो लीव रिज़र्व है उस लीव को रिफ्युज़ करने की पावर होती है सरकार के पास। जिन ऑफिसर्स का रिटायरमेंट होनेवाला होता है, उनके पास जो छः महीने की लीव होती है, उस लीव को सरकार रिफ्युज़ कर दे तो जो पीरियेड है छः महीने का उसकी तनख्वाह मिल जाय और जो मिलने वाला है वह तन-ख्वाह के रूप में मिल जाय। जुडिशियल ऑफिसर को १ हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है उसको अगर छः महीने की तनख्वाह दे दें तो ६ हज़ार रुपये मिल जाय। तो जो रिटा-यर होनेवाला जज है, उसके सामने एक प्रश्न वाचक चिन्ह बना हुआ है। वह इन्तज़ार करता होगा कि रिटायरमेंट आये उस समय लीव को रिफ्यूज़ करने का प्रश्न है वह सरकार के हाथ में है। छः महीने की तनख्वाह सरकार किसी को दे सकती है। इसी प्रश्न को लेकर उपाध्यक्ष महोदय, मैं अदब से कहूंगा कि लॉ डिपार्टमेंट में भी इस प्रकार की कमी है। इस सदन में एक बार नहीं, अनेक बार चर्चा हुई है कि लॉ डिपार्टमेंट की कुछ राय, मैं नहीं कहता कि प्रिजुडिस्ड होती है, लेकिन जिस योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, उतनी योग्यता के आधार पर नहीं होती। उसमें कमी होती है। लॉ डिपार्टमेंट जिन केसेज़ पर अपनी राय देता है वे कोर्ट में असफल रहते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पर स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। लॉ डिपार्टमेंट को कुछ ओपीनियन होती है और रूल्स के अन्दर कुछ और होता है। पिछले सत्र में एक प्रश्न पूछा था। उसके जवाब में कहा था कि जेबकतरे को लेक्चरार अपॉइन्ट किया गया। उस पर लॉ डिपार्टमेंट ने राय दे दी थी। सामान्य कानून जाननेवाले व्यक्ति हैं जिससे बातचीत हुई, उसने संतोषजनक उत्तर दिया कि इस प्रकार से अपॉइन्टमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी एक बात नहीं, कई बातें सदन में आई हैं कि लॉ डिपार्टमेंट की राय से मामूली आदमी इत्तफाक नहीं करता है। उसका परिणाम अदालत में भोगना पड़ता है।

(श्री भैरोंसिंह)

तो ऐसे लगता है कि लॉ डिपार्टमेंट जितना इन्डीपेन्डेन्ट होना चाहिए उतना नहीं है। इसका कारण यह हो सकता है कि लॉ डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं वे अधिकारी जुडिशियल डिपार्टमेंट के होते हुए भी एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएन्स में हैं। एग्ज़ीक्यूटिव का इन्फ्लुएन्स प्रमोशन के अन्दर है, स्थानान्तरण के अन्दर है। लेकिन अगर रिटायरमेंट ड्यू है, तो जैसा मैं कह रहा था कि लीव रिफ्यूज करने का प्रश्न एक्जीक्यूटिव के हाथ में है तो ऑफिसर ज्यादा उससे ज्यादा डिपार्टमेंट के अन्दर रहे जब तक उसका समय है उसके बाद उसके रहने का काम कोर्ट के हाथ में नहीं है, उसको रखने का काम एग्ज़ीक्यूटिव साइड का है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो छः हजार रुपये का नुकसान उठाये। तो इस प्रकार स्पेशल अलाउन्स मिलता है, उसको अट्रेक्टिव बनाया जो तनख्वाह मिलती है उसको एट्रेक्टिव बनाया तो जो इस प्रकार के स्पेशल अलाउन्स से, मैं समझता हूं जुडिशियरी को आप करप्ट करेंगे। जो हमारा एन्टी करप्सन डिपार्टमेंट है उसमें एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर रखा है। उससे हम उम्मीद करते हैं कि वह इन्डीपेन्डेट हो, जुडिशियल माइन्ड अप्लाई करे लेकिन जैसा मैंने सुना है, सुना क्या है, सही भी है कि वह भी रिटायर होनेवाला है, रिटायरमेंट के समय उनके सामने भी यही प्रॉब्लम होगी, वह प्रॉब्लम क्या है कि जो लीव रिफ्यूज करने का प्रश्न है उसमें ६ हज़ार रुपये का प्रश्न है। उसके साथ ही साथ स्पेशल अलउन्स का प्रश्न है। यह चीज़ ऐसी आती है जिसके कारण, मनुष्य के स्वभाव में जो वीकनेस होती है वह उभर आती है। उसके बाद आदमी कितना इन्डीपेन्डेन्ट रहता है यह उसकी डिगनिटी के ऊपर, योग्यता के आधार पर, सात्विक गुणों के आधार पर आंका जा सकता है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अन्दाज़ लग सकता है उस अन्दाज़ के आधार पर कह सकता हूँ कि अट्रेक्टिव टर्म्स सरकार के हुक्म को मानने के लिए मजबूर कर सकती हैं। जुडिशियल ऑफिसर इस चीज़ से इन्कार नहीं कर सकते। मैंने आपके सामने दो उदाहरण रखे। अब इनका कहीं ट्रान्सफर कर दिया और बाद में जुडिशियल ऑफिसर बना दिया जाय तो उससे भी परेशानी हो सकती है। एक रिटायर्ड ऑफिसर जयपुर में बंगले में रहता है उसे बाड़मेर में सेशन जज बना दिया जाय तो वह वहाँ जाना पसन्द नहीं करेगा और जयपुर की हवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। मज़बूर होकर उसे खुशामद करनी पड़ेगी। तो वह हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिन्नत करे, मंत्रीजी की खुशामद करे, उनको इन्फ्लुएन्स करने की कोशिश करे—यह बात हुई है, हो रही है और होवेगी। इससे इन्कार करें तो माननीय मन्त्रीजी सोच समझकर इन्कार करें।

इन सारी बातों से ऑफिसर्स को इन्फ्लुएन्स करने की कोशिश करते हैं। अभी अभी घटना हुई है जुडिशियल ऑफिसर के ट्रान्सफर की। इसकी एक बार नहीं, कई बार सदन में चर्चा हुई है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के स्थानान्तरण जल्दी जल्दी न किये जाय, कम से कम तीन वर्ष की गारन्टी दी जाय। जिस डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज को भेज रहे हैं वहां से तीन वर्ष के पहले नहीं बदला जायगा यह बात निश्चित रूप से न हो तो चाहे कितने ही पोलिटिकल प्रेसर्स आयें, कितने ही नेता दबाने की कोशिश करें, कितनी ही धमकियां दें कि झुंझनूं से अलवर भेज दिया जायगा और अलवरवाले को बालोतरा भेज दिया

Page No.60

(श्री भैरोंसिंह)

जायगा, वे इन धमकियों की चिन्ता न करें, इसके लिए गारन्टी देनी पड़ेगी कि जो रूल्स बनेंगे उनके अन्दर यह होगा कि किसी भी जज का कोई करप्शन का केस है तो उसे चार्ज़शीट दी जायगी, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होगी। इसके पहले यह हो कि सामान्यत: किसी भी अधिकारी का तीन वर्ष पहले ट्रान्सफर नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले भूतपूर्व चीफ जस्टिस महोदय हमारे यहां से चले गये। उनके चले जाने के बाद रजिस्ट्रार का तबादला हुआ। तबादला होकर वे गये बालोतरा और बालोतरा के सेशन जज होकर गये। इसका मतलब यह है कि कोई बात नहीं कि रजिस्ट्रार को एक जगह से हटा दिया तो उन्हें बालोतरा का सेशन जज रहना चाहिये, दो तीन वर्ष तक रहना चाहिये। लेकिन चीफ जस्टिस के जाने के साथ ही उनका ट्रांसफर किया इससे लोगों के दिमाग में एप्रीहेन्सन है कि जुडिशियल ऑफिसर का ट्रांसफर किया, कहीं सरकार ने तो नहीं कराया है। बाकी जजेज़ में इम्प्रेशन है। वे बालोतरा में दो, डेढ़ महीने रहे। फिर उनका बीकानेर ट्रांसफर हुआ। बीकानेर में जो सेशन जज थे, जो पहले सचिव थे, वे मेड़ता आ गये। मेड़ता के जो सेशन जज थे उनका भी तबादला कर दिया जिनको दो वर्ष का समय भी पूरा नहीं हुआ था। इस प्रकार स्थानान्तरण की चेन बनती है उससे इम्प्रेसन होता है कि अपने को अगर अच्छी जगह में रहना है तो एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर्स की खुशामद करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी कि तीन वर्ष के पहले किसी भी सेशन जज का ट्रान्सफर नहीं होगा। ट्रांसफर उस हालत में होगा जब उसके खिलाफ कुछ चार्जेज़ होंगे, उसको चार्ज़शीट दी जायगी। इससे वे इन्डीपेन्डेन्टली जजमेंट दे सकते हैं वर्ना मैं समझता हूँ कि यह जुडिशियल ऑफिसर्स का कसूर नहीं है, हमारी सरकार का कसूर है ।

जजेज के सलेक्शन के प्रश्न में भी सरकार की सिफारिश नहीं होनी चाहिये। जो आदमी क्वालिफाइड हो, लॉ ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियेन्सड हो उसे चान्स दिया जाय, इसके बारे में सरकार को कहने की और लिखने की आवश्यकता नहीं है। सरकार कहेगी कि मनुष्य का स्वभाव है, पोलिटिकल पार्टीज़ को चेक-अप करने के आधार पर रूलिंग पार्टी जिस आदमी को पसन्द करेगी उस आदमी को अपॉइन्ट करेगी। लेकिन जो आदमी कांग्रेस का एक्टिव वर्कर है वह कुर्सी पर बैठते ही कांग्रेस को भूल जायगा? जिसके संस्कार में राजनीति भरी हुई है उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वह इन्डीपेन्डेन्टली काम करेगा? मैं समझता हूं कि यह जो प्रिविलेज़ दिया गया है सलेक्शन में इसकी बजाय फेअर कम्पिटिशन से व्यक्ति आयें।

लेकिन इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। इस आधार पर इससे कोई उम्मीद न करें। कुछ काम अच्छे हुए हैं उनकी हम शिकायत करते हों यह बात नहीं है। पर इस प्रकार की आदत बुरी है, सरकार जो इस प्रकार के पॉवर्स अपने हाथ में रख रही है वह अच्छी चीज नहीं है। सरकार को इस प्रकार के पावर्स अपने पास नहीं रख कर हाई कोर्ट के जजेज को या सुप्रीम कोर्ट के जजेज को दे देने चाहिये

(श्री भैरोंसिंह)

जिससे उनके पॉवर में सरकार हस्तक्षेप न कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष, इस बजट में एक आइटम सवा लाख रुपये का देखा है। जजेज को कुछ और इन्क्रीमेंटस मिल रहे हैं। मुख्य मंत्री यहां नहीं है, अल्प वेतन वालों की वेतन बढ़ाने का प्रश्न जब सदन में आता है तो वे कहते हैं कि सरकार के खज़ाने में पैसा नहीं है, और यह कह कर कि हमारे पास पैसा नहीं है, इस प्रश्न को टाल देते हैं। पर बजट में एक आइटम में सवा लाख का आइटम रखा है, उसमें साफ तो नहीं बताया गया है पर संकेत किया गया है कि जुडिशियल ऑफिसर्स को पैसा मिलने वाला है। इसकी मैंने जांच की तो पता चला कि जब जुडिशियल ऑफिसर्स का शुरू में सिलेक्शन हुआ उनको दो इन्क्रीमेंट मिले, यों ८०० तक की सेलेरी हो गई थी। सरकार ने व्यवस्था की है कि ३०० की एन्यूअल इन्क्रीमेंट करके ११०० कर दिये जांय। तो अब राजस्थान सरकार ने भूर बांटने की नीति अख्तियार कर ली है। जुडिशियल ऑफिसर्स को पैसा दिया। ५५ से इन्क्रीमेंट के आधार पर उनको पैसा दिया जाय। यह उदारता राजस्थान सरकार जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ दिखा रही है पर यह उदारता एक तरफ जुडिशियल ऑफिसर्स को इन्फ्ल्युएन्स करने वाली होगी और दूसरी ओर यह खुद सरकार के लिये चुनौती होगी कि जो छोटी छोटी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, जिनका कि इन छोटी तनख्वाहों से पेट नहीं भरता, उन लोगों की तनख्वाहें सरकार बढ़ाती नहीं है और बड़े बड़े जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाती है। इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान सेक्रेटेरियेट के छोटी छोटी तनख्वाह पाने वाले चपरासियों की चर्चा नहीं करता, और न मैं पुलिस के सिपाहियों की चर्चा करता हूं बल्कि उन्हीं जुडिशियरी के चपरासियों की बात रखता हूँ जिनका कि इन्टिग्रेशन इन्हीं जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ साथ हुआ जिस तरह इनका हुआ उसी तरह हुआ, उनको कोई इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया। इनके इन्क्रीमेंट के लिये राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं, राजस्थान सरकार के खजाने में इनके इन्क्रीमेंट के लिये पैसे की कमी हैं।

तो इस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि अब राजस्थान सरकार जुडिशियरी को इन्फ्ल्युएन्स करने के लिये, ऐसी प्रिविलेज पोस्टों पर नियुक्तियां करने के पॉवर अपने हाथ में रखना चाहती है और सरकार इस तरह से इनको प्रभावित करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हाल है। जुडिशियल ऑफिसर्स को डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे दिया तो कोई फर्क नहीं, पुलिस के डी० वाई० एस० पी० में और एस० डी० एम० में कोई फर्क नहीं, कलेक्टर और एस० पी० में कोई फर्क नहीं. दोनों का एक ही मंत्री है। यदि कोई आई० जी० पी० की और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शिकायत ले कर आयेगा तो, आप ही के पास आयेगा, आप ही जुडिशियल मिनिस्टर हैं और आप ही होम मिनिस्टर हैं, तो इनको किसी भी प्रकार का भय या शंका नहीं रहती। इस प्रकार की विचार धारा है। मैं मानता हूँ कि यह मंत्रीजी की इस प्रकार की विचारधारा है पर मनुष्य में इन्हेरिटेन्ट कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों से ऊपर

(श्री भैरोंसिंह)

उठने के लिये त्याग और तपस्या करनी पड़ती है मैं मानता हूं कि तपस्या तो उन्होंने की ही है....

एक माननीय सदस्य : तभी तो इस पद पर बैठे हैं।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह तो भाग्य की बात है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मावलो से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं नहीं तो वे ज्योतिष के द्वारा पूरा बता सकते थे।

तो मैं कह रहा था कि जुडिशियरी और पुलिस दोनों एक ही मन्त्री के पास हैं। एस० डी० एम० और डी० वाई० एस० पी० के कार्य को देखें तो उनमें कोई फर्क नहीं, एस० पी० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्य को देखें तो उनमें कोई अन्तर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टेलीफोन करता है बाकी के मजिस्ट्रेट्स को। आज ही एक मुकदमें में टेलीफोन किया जा रहा है, टेलीफोन किया है कोई प्रमाण चाहे तो प्रमाण दे सकता हूं। यहां का एक अनाज का मुकदमा चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का टेलीफोन जा रहा है कि जमानत नहीं ली जाय। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पॉवर हो सकते हैं कि वह किसी को बेल को रिफ्यूज कर सकता है, पर इसके माने यह नहीं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाकी के मजिस्ट्रेट्स के ऊपर है इसलिये वह उनको टेलीफोन कर सकता है। कई मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उनसे मैंने बात की है वे स्पष्ट कहते हैं कि हमें आर० ए० एस० में जाना है, आई० ए० एस० में सलेक्शन कराना है, अगर सरकार को खुश नहीं करेंगे, सरकार के हुक्म के माफिक दण्ड और फैसले नहीं करेंगे तो कैसे यह सब कुछ संभव होगा? जिस अफसर का सलेक्शन, प्रमोशन, अपग्रेडिंग, ट्रांस्फर्स हमारी एग्जीक्यूटिव के हाथों में हों, हमारे मिनिस्टर के हाथ में हो, उस आदमी से चाहें कि वह इन्डिपेन्डेन्टली फैसला दे दे तो यह नहीं हो सकता। जयपुर जोधपुर बीकानेर के ऑफिसर्स हैं तीनों मिल कर सलेक्शन करते हैं, उनको हुक्म देते हैं सलेक्शन तुम्हारा होगा पर हमारे कहने के माफिक करने पर, तो क्या होगा? यदि वह कहने के माफिक नहीं करेगा तो उसका आई० ए० एस० में सलेक्शन नहीं होगा। कई ऐसे आई० ए० एस० हैं जिनके जुडिशियल फंक्शन्स हैं। राजस्थान सरकार को उन्होंने लाखों का घाटा दिया और उनका आई० ए० एस० में सलेक्शन हुआ है। अजमेर में ख्वाजा साहब की कुछ जमीन थी। सरकार का नियम तो यह है कि कोई भी ऑफिसर अपनी चल या अचल सम्पत्ति में वृद्धि करता है तो नोटिस सरकार को दे। माननीय गृह मंत्रीजी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार का नियम है। इन नियमों के विपरीत कोई जमीन खरीदे तो वह दण्ड का भागी है। पर राजस्थान सरकार के एक अधिकारी ने हजारों रुपयों की जमीन मामूली रुपयों में खरीद ली और उसने कोई रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी के पास नहीं की कि मैंने इस प्रकार जमीन खरीदी है। उनका आई० ए० एस० में सलेक्शन हो जाता है। अगर न्याय होता तो उस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी होकर उसे सजा दी जाती। यदि यहीं तक हुआ हो तो इस बात को छोड़ा जा सकता है पर बाद में

(श्री भैरोंसिंह)

उसको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा आई० ए० एस० में सलेक्शन होने वाला है, जो अजमेर में तुमने ख्वाजा साहब की जमीन ली हैं वह वापिस दे दो। वह जमीन अगर तुम्हारे पास रही तो तुम्हारा आई० ए० एस० में सलेक्शन नहीं होगा और उन्होंने वह जमीन वापिस कर दी। अगर सरकार कुछ करना चाहे तो डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़, श्री भगत साहब बैठे हैं, उन्होंने ख्वाजा साहब की जमीन अजमेर में खरीदी थी और फिर ऑफिसर्स के इशारे पर वापिस कर दी।

कहा जा सकता है कि भूल से खरीद ली, जैसे गृह मंत्री जी डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स के लिये कहते हैं कि यदि कैश बुक एन्टरी नहीं करें और पैसे अपनी जेब में रख लें फिर भी मेलाफाइड इन्टेशन नहीं है, तो कोई अपराध नहीं किया। इसी तरह इनके लिये भी कहा जा सकता है कि इस तरह भूल से खरीद ली। पर इसी तरह का अपराध यदि कोई एल० डी० सी० कर लेता, या कोई यू० डी० सी० कर लेता तो उनको दण्ड मिल जाता है।

२ म० प०

लेकिन उनको दण्ड नहीं मिला और दण्ड इस पर भी नहीं मिला तो दूसरी गल्ती और कर दे। अजमेर में एक ठिकाना है सावर। सावर ठिकाने के कम्पेन्सेशन का केस फाइनल हो गया और फाइनल होने के बाद सप्लीमेंटरी कम्पेन्सेशन ७० हज़ार का पेमेंट करने के ऑर्डर्स करा लिये। खुश-किस्मती है राजस्थान सरकार की कि उनका उसी समय ट्रांसफर हो गया और ७० हज़ार रुपयों का पेमेंट नहीं हुआ। ऑर्डर्स तो जरूर हो गये थे। उसका रेवेन्यू बोर्ड में रीविज़न जरूर फाइल किया है। उसमें मिली-भगत है। मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि मुकदमा खारिज होगा और उस जागीरदार को ७० हज़ार रुपया मिलेगा। इसका इनाम किस किस को मिलेगा यह भविष्य के गर्भ में है लेकिन उनको तो आई० ए० एस० में सलेक्शन होकर इनाम मिल गया। जो इस प्रकार से डिप्टी कमिश्नर की हैसियत में होकर जुडिशियल फैसला करते हैं, यदि उनके सामने भैरोंसिंह का फैसला चला जाय और उसको सज़ा दिलाना चाहें तो वे सज़ा दिला सकते हैं और इसके बावजूद भी जहां दण्ड का प्रावधान होगा

(हंसी)

दो साल का वहां वे सज़ा देंगे सात साल की। तो मैं आपके सामने इस प्रकार का एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ कि ये हैं आपके जुडिशियल ऑफिसर्स। उस आधार पर कोई कह नहीं सकता कि इस प्रकार के ऑफि-सर्स द्वारा इन्डिपेन्डेंट फैसले होंगे। इन्हीं ऑफिसर्स से आप पंचायतों के फैसले भी कराना चाहते हैं। पंचायतों में दो पार्टीज़ होंगी तो मेजोरिटी किस की है यह नहीं देखते किन्तु यह देखते हैं कि ऊपर ज़्यादा इन्फ्लु-एन्स किस पार्टी का है। उनका सलेक्शन या जज़मेंट भी पार्टी के इन्फ्लुएन्स पर आधा-रित होगा। कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर देख लीजिये। मजिस्ट्रेट हैं वे सब चुनाव कराते हैं और चुनाव कराने के बाद झगड़ा होता है, पोलिटिकल क्षेत्र में वे इन्वोल्व हो जाते हैं। एक पार्टी की शिकायत है तो

Page No.64

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी को वे फेवर करने लगेंगे जिसका ऊपर ज़्यादा एन्फ्लुएन्स है और उस आधार पर उस क्षेत्र में वे क्या न्याय देंगे ? वे कभी न्याय दे नहीं सकते। इस प्रकार की बातें हैं, कोई सोचे कि बाहर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं होता है लेकिन उन ऑफिसर्स के खिलाफ बोलना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे पास प्रमाण हैं, देखे उनको कोई, कि वहां बाहर किस प्रकार से जुडिशियरी फंक्शन करती है। मैं उनको इसका दोषी नहीं ठहराता हूं किन्तु दोषी ठहराता हूँ जो आज के प्रशासन की व्यवस्था है उसको। यदि आप उन ऑफिसर्स को प्रशानिक ढांचे से अलग करना चाहते हैं तो अलग करके देखिये, जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग करके देखिये। उनके सलेक्शन, प्रमोशन, ट्रांसफर्स सब-जुडिशियरी सर्विसेज़ के हाथ में होने चाहिये। फिर देखिये कि पंचायतों में कैसे गड़बड़ियां होती हैं। सब तरह से जुडिशियल फैसले होंगे और किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। परसों जयपुर में एक मर्डर केस हो गया था, मुल्ज़िम से कन्फेशन कराया जा रहा था। मुल्ज़िम के गवाह कहते हैं कि यह पुलिस से डरा हुआ है, मजिस्ट्रेट कहता है कि डरा हुआ नहीं है। जब उसके बयान हो रहे थे तो पुलिस के दो आदमी, दो सबइन्स्पेक्टर्स खड़े होकर डंडे हिला हिला कर उसको डरा रहे थे। गवाहों ने कहा कि वे लोग बाहर खड़े डंडे हिला हिला कर इसको डरा रहे हैं, उनको मना करो। मजिस्ट्रेट ने देख लिया था तो वह नीची गर्दन करके बैठ गया।

(विरोधी पक्ष द्वारा शेम, शेम)

हिम्मत नहीं हुई कि उनकी शिकायत करें, लेकिन शिकायत करें भी तो किनको। उनको ही, जो जुडिशियल मन्त्री होने के साथ साथ पुलिस के भी मन्त्री हैं। एक कत्ल के केस में कन्फेशन हो रहा है, मजिस्ट्रेट ने एक सब-इन्स्पेक्टर को बुला कर पूछा कि डंडा क्यों हिला रहे थे, तो उसने कहा कि डंडा हिलाने की मेरी आदत है।

श्री रामकिशोर व्यास : सेशन्स कोर्ट में कर सकता है।

श्री भैरोंसिंह : करना तो है।

श्री रामकिशोर व्यास : वहां करने पर यहां शिकायत आती नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो पुलिस की शिकायत के लिये कह रहा हूं। पुलिस की शिकायत इसलिये नहीं सुनेंगे कि यह तो जुडिशियरी की है और जुडिशियरी की इसलिए नहीं सुनेंगे कि यह तो पुलिस की है।

इन सारी स्थितियों को लेकर कुछ ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब तक जुडिशियरी को एग्ज़ीक्यूटिव से अलहदा नहीं करेंगे न्याय की आशा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट्स में फर्स्ट क्लास, सैकिन्ड क्लास या थर्ड क्लास या सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट्स होते हैं। उनकी किस प्रकार शासन के द्वारा नियुक्तियां होती हैं उनको देखते हुए उनसे न्याय की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिये। उनके फैसलों में अधिकारियों का हस्तक्षेप होता रहेगा, उनके फैसले इन्डीपेन्डेन्ट नहीं होंगे। लेकिन जो इन्डीपेन्डेन्ट नेचर के होते हैं, उनके जजमेन्ट भी इन्डीपेन्डेन्ट होते हैं तो उनको भुगतना पड़ता है। उनको अपने

(श्री भैरोंसिंह)

सलेक्शन को लेकर भुगतना पड़ता है, उनके स्थानान्तरण को लेकर उनको भुगतना पड़ता है। या जो लोग सरेन्डर कर जाते हैं वे इस प्रकार से न्याय देते हैं जिसका नमूना आपके सामने हैं। एक नया हथियार सरकार ने अपनाया है। यह जो किया है उसका थोड़ा सा रूप राजस्थान सर्विस रूल्स में दिया हुआ है। जिनकी २५ साल की सर्विस हो जाय उनको कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाय। वैसे आम तौर पर यह नियम था कि तीस साल की सर्विस हो या ५५ साल की उम्र हो तब रिटायर किया जाय। मुझे कुछ ऐसा लगा कि हमारे आज के जो प्रशासन के मुख्याधिकारी हैं जब उनके हाथ में पूरा शासन आजाय तो उसके बाद शायद उनको चिन्ता नहीं है कि कुछ ऑफिसर्स को रखा जाय। उनको चिन्ता है कि उन ऑफिसर्स को जो इन्डीपेन्डेन्ट व्यूज़ के हैं किसी प्रकार से उनको अलग किया जाय, उनको दूर किया जाय और उनको दूर करने का कौनसा तरीका हो सकता है। वह तरीका यही हो सकता है कि सर्विस रूल्स में इस प्रकार का परिवर्तन कर दिया जाय। अब आप लिस्ट उठा कर देख लीजिये किसी को २६ साल हो गये, किसी को २५ साल हो गये, किसी को २५ साल दो महिने हो गये, उनकी सर्विसेज़ इतनी हो गई हैं उनको निकाल दिया जाय, किसी तरह दूर कर दिया जाय। राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तर्गत ऑर्डर्स इश्यू कर दिये, सर्कुलर भी डिस्ट्रिक्ट्स में और सब ज़गह भेज दिये और उनके द्वारा यह पूछा है किन किन का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट होगा; यह लिखकर भेजें। किस आधार पर होगा, एफिशियेन्सी पर। नहीं? इसका बैरोमीटर क्या है? उसका बैरोमीटर उनकी सर्विस शीट्स नहीं, लेकिन किन किन कोशिशों से और द्वार खटखटाने से और यील्ड होने का यह बैरोमीटर है। एक प्रकार का पर्जिंग है सर्विसेज़ में, जैसे एक टॉटलिटेरियन गवर्नमेन्ट में पर्जिंग किया जाता है सर्विसेज़ का वैसा ही यह सर्विसेज़ में पर्जिंग है। जो यील्ड नहीं करते उनको किसी तरह से शासन से दूर किया जाय। सर्कुलर जारी करके लिस्ट मांग ली। यह कोई कॉन्फिडेन्शियल रहा जाय ऐसी बात नहीं है, गोसिपिंग होता है ऑफिसर्स में, तुम्हा नाम लिख दें तो वह खुशामद में लगा हुआ है। २५ साल की सर्विस हो गई इसलिए खुशामद में लगा हुआ है। मंत्री जी के कमरों में जाकर देखिये उच्चाधिकारियों के कमरों और बंगलों पर चक्कर काटते हैं। खुशामद करने के बाद भी न मानने वाले कम हैं। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस प्रकार से सर्विसेज़ में जो पर्जिंग हो रहा है। जिनके हाथ में एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों हों वे कभी न्याय करने वाले नहीं होंगे [और], वे तो सरकारी इशारों पर ही नाचने वाले होंगे। उस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमें चाहे कितना ही खर्चा करना पड़े, उसके लिए हमें परवाह नहीं करनी चाहिये, राज्य सरकार को अतिरिक्त भार आवेगा, उस बात को लेकर यदि राजस्थान में टैक्स लगाये जाते हैं और इन्कम करके किया जाता है तो कोई उसका विरोध नहीं करता है, लेकिन विरोध तो उसका किया जाता है कि टैक्स तो लगा दिया अमुक चीज़ के लिए कहा जाता है लेकिन उसमें खर्चा न किया जाय। यदि गृह मंत्री जी आश्वासन दें, इतना खर्चा होगा और उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिये टैक्स लगा कर भी इसको अलग किया जाय

(श्री भैरोंसिंह)

तो उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिये। राजस्थान में जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव दोंनों अलग हो जाय इसका प्रावधान निश्चित होना चाहिये और यदि यह नहीं हुआ तो मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि गरीब जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अमीर आदमी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यदि गरीबों को झटका नीचे की अदालतों में ही लग गया तो ऊपर की अदालतों में वे नहीं जा सकेंगे। जो कानून में राहत मिलनी चाहिये वह उनको नहीं मिल सकती। हाई-कोर्ट जयपुर से गया, लेकिन आंकड़े नहीं देखे कि हाईकोर्ट जयपुर से जाने से पहले यहां कितने केसेज़ इन्स्टिट्यूट हुए थे और जोधपुर में जाने के बाद कितने केसेज़ इन्स्टि-ट्युट हुए हैं। यदि ये आंकड़े देखे जाय तो रात दिन का अन्तर होगा उनमें इसका मत-लब यह है कि गरीब आदमी जिसका एप्रोच जयपुर हाई कोर्ट तक हो सकता था आज वह जोधपुर जाने के लिये तैयार नहीं है। इस कारण मुकदमों की संख्या कम हो गई। इससे यह न समझा जाय कि जयपुर में केसेज़ की कमी हो गई यह बात नहीं बल्कि लोग इतनी दूर जाना नहीं चाहते। गड़बड़ तो सभी जगह होती है लेकिन राहत पाने का साधन अब बहुत दूर चला गया है इसलिये कोई वहां जाना पसन्द नहीं करता। इस सारी स्थिति को लेकर हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम जुडिशियरी को किस प्रकार पवित्र रख सकते हैं। आजकल उपाध्यक्ष महोदय, केवल मंत्रियों का हस्तक्षेप हो तो समझ में आ सकता है, कमिश्नर या कलेक्टर का हस्तक्षेप फिर भी समझ में आ सकता है, किन्तु आज तो जुडिशियरी पुलिस तक से डरती है। पुलिस के सी० आई० से या एस० पी० तक से मजिस्ट्रेट लोग डरते हैं और यहां तक डरते हैं कि एस० पी० को केवल वार्निंग मिलती है जब उसके लिये कोई प्रश्न करता है तो हमारे मंत्री महो-दय फरमाते हैं कि इसके लिये वार्निंग ही काफी है और वह दे दी गई। अगर किसी आदमी की जमानत रिफ्यूज़ कर दी जाती है और वह कितने ही दिन जेल में पड़ा रहे उसके बारे में जब गृह मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाता है तो उत्तर मिलता है उन एस० पी० साहब को वार्निंग दे दी गई हालांकि कोई एन्ट्री उनकी सर्विस बुक में नहीं है। किसी प्रकार से लिखित वार्निंग नहीं उनके सर्विस रोल में यह एन्ट्री नहीं। कल भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इन्सपेक्टर को एक कर्म-चारी ने पीटा। आपस में दोनों ने राजीनामा कर लिया; उसके बाद कोई शिकायत नहीं। इसी प्रकार आज गृह मन्त्री महोदय ने भी बताया था कि पुलिस ने जिस किसी को भी सजा दे दी वह ठीक है, जुडिशियरी में जाने की जरूरत नहीं। उसको जो न्याय मिलना था वहीं मिल गया। काम जो होना था सो हो गया। जिस एस० पी० ने साफ तौर से धमकी दी उसको सिर्फ वार्निंग देने से होना जाना क्या है? आज भी कहा जाता है कि लेटर को असेम्बली में रख दिया तो क्या हुआ हमारा असेम्बली क्या कर सकती है। गृह मन्त्री तो हमारे हैं आपसे केहीं अधिक हमारे गृह मन्त्री पुलिस की तरफ हैं।

एक माननीय सदस्य : पुलिस से आप भी डरते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो मुझे भी लगता

(श्री भैरोंसिंह)

है कि पुलिस का भय इनको भी है। एक मजिस्ट्रेट ने इस प्रकार की पेटिशन दी कि एस० पी० ज्यादती करता है। वैसी हालत में भी यदि एस० पी० को केवल वार्निंग दी जाती है तो यह सन्तोष करने वाली बात नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो हाई हैन्डेडनेस आज मेरे साथ हो रही हैं कभी दूसरे के साथ भी हो सकती है और कभी आपके साथ भी हो सकती है। इस कुर्सी पर कोई हमेशा के लिये रहा ही नहीं। आज हैं वे कल नहीं भी हो सकते हैं। कल थे वे आज फिर रहे हैं और जिनका पता नहीं वे आगे आ सकते हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तैयार हूं किसी भी वक्त।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूँ वह दिन राजस्थान के लिये खुशकिस्मती का दिन होगा जिस दिन यह आपकी तैयारी कार्य रूप में परिणत हो जायगी। मेरी बद्दुआ तो कोई असर नहीं करती, लेकिन जनता जनार्दन की बद्दुआ जरूर असर लायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : कितनी पीढ़ियो की तैयारी करली है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें किसी प्रकार की भी व्यक्तिगत खुशी नहीं कि यह कुर्सी किस के पास रहे या न रहे लेकिन मुझे जो कहना है वह यह है कि आज प्रशासन में जो कमजोरी व्याप्त है उसे आपको दूर करना होगा। आज केवल यह सोच कर चला नहीं जा सकता कि जो कुछ पुलिस कर रही है वह ठीक है। चीन के अन्दर चालान किया जाता है। वहां चोरी करना पहला अपराध, झूठ बोलना दूसरा अपराध और उसको नेशनल क्राइम समझा जाता है। वहां इसके लिये सजा कोई दूसरा नहीं देता। पुलिस को यह अधिकार है कि वह चालान करने से लेकर सजा तक दे सकती है। इसी प्रकार पुलिस का नैतिक स्तर इतना ऊंचा आप मानते हैं तो आप उनको तमाम अधिकार दे दीजिये। लेकिन आज आपकी पुलिस इतनी सच्चरित्र नहीं है, वैसी हालत में जुडिशियरी के मामले में जो हस्तक्षेप किया जाता है वह नहीं होना चाहिये। आप जयपुर के कोर्टस के अन्दर जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि एक तरफ मजिस्ट्रेट चाय पीते हैं और उन्हीं के सामने मुलजिम को इम्प्रेस किया जाता है और इस तरह से पुलिस उस पर असर डलती है। उनसे कहा यह भी जाता है कि मजिस्ट्रेट से डरने की जरूरत नहीं। यह घटनायें रात दिन गरीब जनता के साथ होती है। इसके लिये गृह मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि वार्निंग दे दी गई यह काफी सजा नहीं है ? आज सबसे बड़ा हक विधान सभा को दिया हुआ है। लेकिन इसके लिये भी मुझे शिकायत जरूर हैं कि विधान सभा के प्रति जितना अनुत्तरदायित्व-पूर्ण रुख हमारे मंत्री महोदय अपनाते हैं और जिस किसी की शिकायत यहां की जाती है तो यह एक तरह से सब मंत्रियों का एक ट्रेन्ड सा बना गया है कि किसी भी अफसर की शिकायत हो उसको हाउस में आने पर शिल्ड किया जाय। विधान सभा में सही तथ्य रखे जाने पर भी हमारे मंत्रियों का एक प्रकार का ट्रेन्ड सा बन गया है कि वे उसको मानते नहीं। मंत्रियों की यह आदत हो या नहीं लेकिन सरकारी अफसरों की तो यह आदत सी बन

(श्री भैरोंसिंह)

गई है। वे अपने आपकी मंत्रीयों से ज्यादा काबिल समझते हैं उनकी काबलियत को सामने रख कर मजबूर होकर हमारे मंत्रियों को जो डिक्टेशन उनके द्वारा मिलती है उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हमारे दा साहब ने तो यह स्वीकार भी कर लिया था कि मेरे फाइनेन्स सेक्रेटरी जो भी कुछ लिख दें उस पर मैं आंख मींचकर दस्तखत कर देता हूं। यह शायद उन्होंने अपना विश्वास प्रदर्शित किया....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने यह नहीं कहा था कि मैं आंख मींच कर दस्तखत कर देता हूं, मैं ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं करता जो आंख मींच कर दस्तखत करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको विश्वास नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो यह बात कही, उनको विश्वास नहीं होगा मैं तो दा साहब के लिये ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। खैर मैं इस सारी स्थिति में अर्ज करूंगा कि सभी प्रश्नों को सामने रख कर कम से कम जुडिशियरी को पवित्र बनाने के लिये हमें इसे प्रशासन से अलग करना चाहिये। इसके लिये और अधिक खर्च भी करना पड़े तो उसको भी हमें बरदाश्त करना चाहिये। जिस पवित्रता को हम इस जुडिशियरी में लाना चाहते हैं वह पवित्रता आज तो कम से काम डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ के नीचे के कोर्ट्स में तो धीरे धीरे खत्म हो रही है। और जिस दिन से इस चुनी हुई सरकार ने पद ग्रहण किया है उस दिन से तो इसका पर्सेन्टेज इतना गिर गया है कि आज हम कह सकते हैं कि उसमें पवित्रता नाम की कोई चीज़ ही बाकी नहीं रह गई है। अगर हम इसमें पवित्रता लाना चाहते हैं तो हमें अविलम्ब जुडिशियरी को प्रशासन से अलग कर सारा काम हाईकोर्ट के अधीन कर देना चाहिये उनके स्थानान्तरण, उनके अपॉइन्टमेन्ट, ट्रान्सफर आदि का सब काम हमें हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिये। आज होता क्या है कि जो किसी समय किसी मिनिस्टर साहब के पी० ए० थे कहीं जाकर एस० डी० एम० बन जाते हैं फिर कहीं सेक्रेटेरिएट में आकर असिस्टेन्ट सेक्रेटरी बन जाते हैं और बढ़ते बढ़ते डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तक बन जाते हैं। इसी प्रकार के तत्व आपको ज्यादातर जुडिशियरी में मिलेंगे। जिन लोगों ने जी हुजूरी करके इतना सब कुछ प्राप्त किया उनसे न्याय की आशा किस प्रकार से की जा सकती है। इसीलिये मैं अपने कट मोशन द्वारा यह चाहता हूं कि जो अट्रेक्टिव टर्म्स की स्टेज़ेज हैं उनको खत्म किया जाय और सारा प्रशासन का संबन्ध हाईकोर्ट से करा दिया जाय...

श्री रामकिशोर व्यास : एट्रेक्टिव टर्म्स से आपका क्या मतलब है, यह मैं समझा नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप आज्ञा दें तो आपको उदाहरण देकर समझाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको करीब करीब १ घंटा और कुछ मिनिट बोलते हुए हो गये हैं। मैं आपको उदाहरण देते हुए आगे बढ़ने नहीं दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं जल्दी ही समाप्त करने वाले हूं। एट्रेक्टिव टर्म्स से मेरा मतलब यह नहीं है कि जुडिशियल ऑफिसर्स की जो सैलेरी है वह उनको मिले। स्पेशल अलाउन्सेज देकर जो आप उनको एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर लाते हैं उसके लिये हैं। जुडिशियरी की स्टेंन पोस्ट हैं उनका सलेक्शन किन के हाथ में है? जैसे एन्टी करप्शन ऑफिसर आदि....

श्री रामकिशोर व्यास : It is always with the consent of the Highcourt.

श्री भैरोंसिंह : सलेक्शन तो आप करते हैं। उसके लिये आपने २०० रुपये का अलाउन्स रखा है यह उनके लिये लालच है। हर आदमी को लोभ रहता है। आपके सलेक्शन के आधार पर एक सेशन जज को आप २५० रूपया स्पेशल अलाउन्स दिला सकते हैं। इसके अलावा लीव रिफ्यूज़ करने का भी हक है और वह ६ साल तक कर सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जो पोस्टस इस तरह की हैं सेमी जुडियिशल पोस्ट्स हैं जैसे लॉ सेक्रेटरी की और लीगल डिपार्टमेंट की ट्रिब्यूनल आदि की, गवर्नमेन्ट उन्हें जुडिशियरी से सिलेक्ट करती है।

श्री भैरोंसिंह : उसी में तो आप उसको २०० रूपये और २५० रूपये का फायदा देते हैं और इसके अलावा छः महिने की लीव रिफ्यूज़ कर दी तो ६ हजार रूपये उसके और।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय जबाब देंगे उस समय क्लेरिफिकेशन हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में कोई इस प्रकार का प्रलोभन देता है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मनुष्य स्वाभाव है उसकी कुछ वीकनेस है उसके कारण से रिटायरमेंट की एज में यील्ड कर सकता है। वह सरकार के लोगों की खुशामद करने की चेष्टा करता रहेगा। इसलिये इसमें से इस तरह की एट्रेक्टिव टर्म्स को हटाया जावे और नीचे के तबके को प्रोत्साहन दिया जावे, ग्रेड इन्क्रीमेंट के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा। जुडिशियरी के काम को करने वालों का यह काम एग्जीक्यूटिव के हाथों में नहीं रहना चाहिये। इन सबको कहने का मतलब यह नहीं है मेरा कि आपके काबू में न रहे और वे सब कुछ मनमानी करें। आपने काबू में रखें पर इन सब बातों के लिये आप रुल्स बना दें और इन रुल्स को इम्पलीमेंट करने का काम राजस्थान के हाई कोर्ट को दे दें। इससे जुडिशियरी पवित्र होगी। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर मैंने अपने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। यह मांग मैं चाहता हूं कि सारा सदन अच्छी भावना से और पूरी ताकत से राजस्थान सरकार से मनवावे कि वह जल्दी से जल्दी इन को अलग अलग करें। मैं इस सम्बन्ध में अजमेर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और राजस्थान के वर्तमान वित्त मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में आशीर्वाद चाहूंगा कि वे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग कराने में अपने साथी को प्रभावित करके अपना नाम इतिहास में स्थायी रूप से लिखवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : There is no word like 'blessing' in the Constitutional Language.

श्री मोगजी भाई (बांसवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इसमें कटमोशन है।

राजस्थान की न्याय व्यवस्था में गरीब को किसी प्रकार से न्याय मिल जावेगा इसका किसी को अनुभव नहीं है। न्याय की जगह अन्याय का अनुभव सब को है। ये तो न्याय के नाम पर कुछ लोगों की दूकानें बनी हुई हैं वकीलों की और दूसरे अर्जीनवीसों की और फीस वगैरह की। ये चाहे न्याय देनेवाले मजिस्ट्रेट हों, या न्यायाधीश हों, या सेशन जज हों, कोई भी वे क्यों नहीं हों, गरीबों को न्याय नहीं देते। इनसे न्याय उन्हीं को मिलता है जिनके लिये ऊपर से इशारा होता है, पुलिस एस.पी. जिसके लिये इशारा करता है या कलेक्टर इशारा करता है। तो इनके इशारे पर सेशन जज भी फैसला करते हैं। वहां गरीब लोगों के लिये कोई न्याय नहीं है और न्याय मिलने की आज अभी तक भी देश के आजाद हो जाने के बाद भी कोई आशा नहीं है। एक उदाहरण है बांसवाड़ा ज़िले का। सेशन्स जज, एडीशनल सेशन्स जज, मजिस्ट्रेट ने नीचे के मजिस्ट्रेट पर एक्शन लेने का भी आदेश दिया। अपील में सेशन्स जज के बांसवाड़ा कोर्ट में सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी पर रिवीज़न में शुमार करके हाई कोर्ट को रेफर किया। उस अपील में यह आदेश दिया कि उन मुलज़िमों को सिर्फ हाजर जमानत पर रिहा करवाने के आदेश दिये। वे आदेश जब जेल अधिकारियों के पास पहुंचते हैं ता० ७ फरवरी के ११ फरवरी को उदयपुर सेन्ट्रल जेल में तो जेल अधिकारी वे आदेश मानते नहीं। वहां से सेशन्स जज को चैलेन्ज करके लिखते हैं कि उसमें कोई दुरुस्ती नहीं है, फैसला अच्छा नहीं है इसलिये इस आदेश को नहीं माना जावे और सेशन्स जजी से फिर दुरुस्ती कराके आदेश भेजा तब मुलजिमों को रिहा किया गया और वह भी २२ फरवरी को। तो कोई इस न्याय में कैसे विश्वास कर सकता है? एस. पी. कलेक्टर और दूसरे ऊंचे ऊंचे अधिकारियों के फोन के इशारे पर इस प्रकार से एक न्यायमूर्ति के आदेश का पालन नहीं करते हुए कानूनी उलझनें पैदा करते हैं तो सेशन्स जज के फैसले से भी न्याय पाने की कोई कैसे आशा कर सकता है?

आज छोटे छोटे मजिस्ट्रेटों से किसानों को न्याय पाना बड़ा मुश्किल है। आज गरीबों को कहीं न्याय नहीं मिलता और इसका कारण नीचे से लेकर ऊपर तक एक इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है और एक ऐसी कड़ी बन्धी हुई है कि ऊपर से नीचे की तरफ जो घंटी बजी, मिनिस्टरों के यहां से कोई घंटी बजी तो वह नीचे तक छोटे छोटे कर्मचारी तक पहुंचती है।

श्री उपाध्यक्ष : घंटी नीचे से बजती होगी और ऊपर तक जाती होगी।

(हंसी)

श्री मोगजी भाई : नीचे तक जाती है ऊपर से बजी हुई घंटी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): उल्टी घंटी लगी हुई होगी।

(हंसी)

श्री मोगजी भाई : तो इस तरह की बातें हैं। इस प्रकार चल कर वे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी स्टेज पर जुल्म कर

(श्री मोगजी भाई)

सकते हैं, उनके साथ न्याय नहीं होने देते। बांसवाड़ा में मजिस्ट्रेट ने....

(धीरे धीरे बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : कह डालिये न जल्दी, क्या क्या कहना है।

श्री मोगजी भाई : एस० डी० एम० ने दस बजे रात को कोर्ट चलाई। उसके अधिकार में था उससे अधिक सजा दी और इसके अलावा....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये मोगजी भाई, आप ऐसी बातें न कहिये जिसके कोई आधार न हों। आप जो यह कह रहे हैं कि अधिकार में नहीं था पर सजा दे दी और वाकयात पूरे आपके सामने नहीं, तारीख नहीं, फैसला नहीं तो इससे वंचित रहें। आखिर मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियरी को आप कमेन्ट करते हैं तो आधार तो होना चाहिये।

श्री मोगजी भाई : ऐसे हैं मेरे पास उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : चलिये, आगे चलिये।

श्री मोगजी भाई : तारीख तो मैं दे सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आधार नहीं है या ये बातें बिल्कुल गलत हों। तो वह इस प्रकार से रात को स्पेशल कोर्ट चलाता है और पुलिसवालों के कहने पर, ऊपर के इशारे पर न्याय देता है। तो ऐसे कैसे न्याय की आशा की जा सकती है? इस राजस्थान के राज्य में अन्याय इतना बढ़ गया है कि एक तरफ वकीलों की दूकानें चलती हैं, सरकार के इशारे चलते हैं, पुलिस मनमानी करती है और इस तरह गरीबों को किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता है। तो मेरा तो यह निवेदन करना है कि कम से कम ये न्याय करनेवाली अदालतें तो इस प्रशासन से अलग हों ताकि किसी प्रकार गरीबों को न्याय मिल सके। इस पर मेरा कट मोशन था कि...

(अल्प विराम)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ कटौती प्रस्ताव का? कहां चला गया?

श्री मोगजी भाई : कट मोशन यह है।

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन तो आपने पहले रख दिया।

श्री मोगजी भाई : कट मोशन ऐसा है कि न्याय व्यवस्था और प्रशासन अलग अलग हों जिससे ठीक तरह से न्याय मिल सके, यह मेरा कट मोशन है।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छी बात है। श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मेरी मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७ में एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव इस बात पर है कि न्याय को प्रशासन से पृथक किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी समय लोकतान्त्रिक और कल्याणकारी राज्य के लिये न केवल यह आवश्यक है कि वह वहां की जनता के लिये खाना दे, कपड़ा दे, चिकित्सा दे, शिक्षा दे बल्कि सस्ता और सुलभ और निष्पक्ष न्याय भी दे। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि जनतन्त्र इस विश्वास पर

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

ही चल सकता है कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र हो, इस आशय की सुविधाएं संविधान में दी भी गई हैं। यदि लोगों को यह विश्वास हो जाय कि नियम और कानून का पालन करते हुए भी उनके मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात होता है और इसकी आवृत्तियां और पुनरावृत्तियां होती हैं तो उसके परिणाम आगे चलकर जनतन्त्र के लिये बड़े भयंकर निकल सकते हैं।

न्याय को प्रशासन से पृथक करने की मांग इस सदन के समक्ष कोई नई नहीं है। हमारे देश में भी यह कोई नई मांग नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि हम चाहे अपने प्राचीन इतिहास को देखें या मध्यवर्ती काल को देखें दोनों ही समय में हमने न्याय और प्रशासन को अलग अलग ही देखा है। यदि हम अपनी प्राचीन आर्य संस्कृति को और आर्य जिस समय यहां शासन चलाते थे उस समय को देखते हैं तो हमारे स्मृति ग्रन्थों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि राजा या शासक तीन प्रकार की सभाएं रखे। उन का नाम होता था न्याय आर्य सभा, राज्य आर्य सभा, विद्या आर्य सभा। यानि वहां भी न्याय पृथक रूप से होता था जिसमें राज का या शासक का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। उसमें वे लोग होते थे जैसे आज हमारी जूडिशियरी में होते हैं। उस कक्षा के लोग वे होते थे जो राजतन्त्र से स्वतन्त्र होते थे और हम उस समय यह भी पाते हैं ग्रन्थ में कि उन न्यायाधीशों ने कभी अवसर आने पर शासकों को भी सजाएं दी हैं, शासकों के भाई बन्धुओं को सजाएं दी हैं और इस तरह से निष्पक्ष न्याय का उदाहरण रखा था। मध्यकालीन मुसलमानी युग में भी स्पष्ट तौर पर हम पढ़ते हैं कि उस समय के बादशाह या नवाब जो शासन करते थे उनकी न्याय व्यवस्था काजी या दूसरे लोगों के हाथ में होती थी और कभी कभी वह न्याय व्यवस्था उन शासकों के परिवारवालों को भी दंडित करती थी, इसका भी उल्लेख हम पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम में से बहुतों ने इतिहास पढ़ा होगा कि जहांगीर बादशाह के जमाने में उनकी खास मलिका नूरजहां के विरूद्ध भी वहां के न्यायाधीशों ने यह फतवा दिया था कि उसने जो अपराध किया है इसकी उसको सजा मिलनी चाहिऐ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में यह व्यवस्था चली आई है। कोई नई बात नहीं है। मैं फ्रान्स और उन पश्चिमी मुल्कों की बात नहीं कहता आज वहां भी न्याय पृथक है। एक युग था जब बादशाह लुईस अपने आपको स्टेट कहते थे आई एम दी स्टेट। खुद राजा ही राज्य भी होता था। यह वहां की बात है। पर हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता और शासन व्यवस्था में इस बात का हमेशा समावेश रहा है कि न्याय को प्रशासन से पृथक रखा जावे।

जिस समय देश में अंग्रेजी राज स्थापित हुआ तो आरम्भ में और बहुत काल तक वहां के गवर्नर जनरल या वायसराय स्वयं कुछ सीमा तक ये अधिकार अपने हाथ में रखते थे। हमको अपने युग का भी स्मरण है जब कि हमारे देश में स्वतन्त्रता संग्राम के साथ साथ जो भी आन्दोलन चलते थे उनमें कई ऐसे अवसर आये जब हमारे कुछ क्रान्तिकारी और जो देश के प्रेमी, देश पर बलिदान होने वाले नौनिहालों को फांसी की सजा होती थी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के द्वारा और उसके बाद जब वे उच्च न्यायालयों में जाते थे तो उनके प्रति भी वहां से न्याय मिलता था। स्वर्गीय अरविन्द घोष और दूसरे कई उदाहरण हमारे समने हैं जो फांसी की सजा नीचे से पाकर भी ऊपर से मुक्त हुए थे। मैं यहां तक भी मानने को तैयार हूं कि चाहे वे न्याय करनेवाले हमारे देशवासी नहीं होते थे अंग्रेज होते थे अधिकांश में पर उनके यहां भी न्याय होता था। यह मेरा विश्वास और धारणा रही है। कभी कभी तो हमारे देश के ऐसे मुकद्दमे थे जिनके निर्णय प्रिवी कौंसिल से भी होते थे और अधिकांश में सुनते हैं न्याय होता था।

तो यह हमारी परम्परा रही है। न्याय करनेवाले ऐसे हों जो प्रशासन करनेवालों के प्रभाव से मुक्त हों। क्योंकि यह एक मनुष्य स्वभाव सुलभ कल्पना है कि जब कभी किसी के विरूद्ध आरोप आ रहा हो तो वह चेष्टा करता है कि मैं किसी तरह से उससे बच सकूं और इसके लिये वह कभी कभी अपना व्यक्तिगत प्रभाव, कुछ ऐसे लोगों का प्रभाव जिनका कि वह प्रभाव डलवा सकता है उनसे प्रभाव डलवा चेष्टा कर करते हैं अपने बचने की। यह सौभाग्य की बात है कि हमारी ऊंची न्याय व्यवस्थाओं में आज इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वहां तक भी प्रभाव पड़ने लग जावे तो यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही होगा। पर यह एक शुभ चिन्ह है कि जनता का आज उस न्याय व्यवस्था में विश्वास कायम है। नहीं तो इसका तो कुछ इलाज ही नहीं होगा। यों तो कई लोग कल्पना कर लेते हैं कभी कभी पर उनकी यह कल्पना कल्पना ही साबित हुई है उन न्यायालयों का जहां तक सम्बन्ध है जो प्रशासनिक अधिकारियों के प्रभाव से मुक्त हैं या जो स्वतन्त्र हैं, जिनकी नियुक्ति, जिनकी पदवृद्धि और दूसरे प्रकार की जो भी चीजें उनके लाभ की हैं उन पर प्रशासनिक अधिकारियों का कोई प्रभाव नहीं है तो जनता उस प्रकार के न्यायालयों से बहुत कुछ आशा कर सकती है। तो इसीलिये यह मांग जैसा कि मैंने आरम्भ में निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, कोई नई नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में भी मुझे जहां तक स्मरण है कांग्रेस के अधिवेशनों में भी इस बात पर अधिक से अधिक जोर दिया जाता था कि न्याय को प्रशासन से अलग किया जाय और जिस समय हमारे देश का संविधान बना, आज से १० वर्ष पूर्व २६ जनवरी, सन् १६४६ के दिन तो उस संविधान के अन्दर भी यह प्रावधान रखा गया कि राज्य न्याय कार्य और प्रशासन कार्य दोनों को पृथक रखेंगे, अब केवल इतना सा काम रह जाता है कि राज्य सरकारों का। हमारे देश के संविधान ने इसको निश्चित कर दिया है, यह हमारे विधान में निहित हो चुका है लेकिन यह राज्य सरकारों की प्रगतिशीलता का परिचय होगा कि कौन सा राज्य इसमें पहल करे। आज यह कहा जाता है, यह दलील दी जाती है कि अमुक राज्य में यह चीज़ नहीं हुई है, अमुक राज्य ने नहीं की है तो ऐसे राज्यों के भी उदाहरण जानते हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं फिर क्या राजस्थान को आप पिछलग्गु रखेंगे दूसरे राज्यों का? ऐसी सर्वसम्मत स्थिति है और हमारे देश की प्राचीन सभ्यता और इतिहास से अनुमोदित है, कांग्रेस का भी समय समय पर जिसके लिए आन्दोलन होता रहा है, जिसको हमारे संविधान ने भी प्रमुख स्थान दिया है और राज्यों को प्रेरणा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

दी है कि वह न्याय को प्रशासन से पृथक करें तो मैं समझता हूं कि हमारी राज्य सरकार को कोई भी नूनच नहीं होना चाहिए, कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। पिछले साल भी यहां एक दो दफा ऐसा प्रश्न आया है और कहा गया है कि इतने मुन्सिफ कोर्टस बना दिये गये हैं लेकिन अभी तक तो शिकायतें यही सुनने को मिलती हैं कि मुन्सिफ के कोर्ट में मुकद्मे नहीं जाते हैं । पुलिसवाले चालान दूसरे प्रकार के मजिस्टेट के यहां, एस. डी. एम. आदि के यहां करते हैं । मैं तो यही चाहूंगा कि सरकार इस बात की व्यवस्था कर सकती है कि कुछ पुलिस थानों के सब इन्सपेक्टरों का जो दायरा है उनको इसके लिए पाबन्द कर सकती है कि उनके मामले और मुकद्मे मुन्सिफ कोर्ट में जायेंगे। इस तरह से अधिक से अधिक ऐसे न्यायाधिकारी हैं जिनका संबन्ध प्रशासन से न होकर हमारे उच्च न्यायालयों से जिनका संबंध है उनमें मुकद्मे जायें तो यह कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें खर्चे का भी बहुत बड़ा सवाल नहीं आयेगा और आयेगा तो भी कोई बात नहीं। यदि जनता का विश्वास इस चीज़ से बढ़ता है, जनता आश्वस्त होती है कि उन्हें सुगम, निष्पक्ष न्याय मिलेगा तो इस प्रकार हमारा कुछ पैसा भी, हमारे अर्थ का भी यदि कुछ ज्यादा प्रयोग होता है तो जिस लाभ को हम देना चाहते हैं उस लाभ को देखते हुए जो कि जनता को मिलेगा, जनता में उस विश्वास की भावना पैदा होगी न्याय मिलने की उसको देखते हुए यह कुछ अधिक मंहगा नहीं पड़ेगा। तो मैं तो इस कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए इस बात की एक बहुत ही आशा को लेकर मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार अब तक जिस प्रकार से भी इस प्रश्न को कुछ टालती रही है जैसा कि मैंने कहा कि १० वर्ष पूर्व इसका प्रावधान हुआ है, १० वर्ष पूर्व में १०, २० या २५ मुन्सिफ कोर्ट कायम की गई है, मैं समझता हूं यह प्रगति कुछ आशाजनक नहीं है। राज्य सरकार को इस ओर अधिक उदार होना चाहिए और जैसा कि मैंने अभी कहा इस बात की प्रतीक्षा नहीं होनी चाहिये कि जब कि इस देश के अन्य दूसरे राज्यों के अन्दर यह न्याय और प्रशासन पृथक हो जायगा तब राजस्थान भी अपना नाम उस श्रेणी में लिखायेगा । मैं चाहता हूं कि जिन राज्यों में होगा अब सबसे पहले नाम राजस्थान का हो जहां कि न्याय को प्रशासन से पृथक किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है।

"That the Demand No. 11 Major head 27-Administation of justice be reduced by Rs. 100/-(to disscuss the question of Seperation of the Judiciary from the Executive)."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि न्याय विभाग को प्रशासन से अलग किया जाय। क्योंकि प्रजातन्त्र के अन्दर जब तक न्याय विभाग प्रशासन से अलग नहीं होता तब तक प्रजातन्त्र सही तरीके से पनप नहीं सकता। हमें देश के अन्दर प्रजातन्त्र को सही तरीके से पनपाना है और मजबूत बनाना है इसलिए हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम जनता को सही न्याय दें और सही न्याय तभी जनता को मिल सकता

(श्री लक्ष्मीचन्द)

है जब कि न्याय विभाग एग्ज़ीक्यूटिव साइड से अलग हो क्योंकि एग्ज़ीक्यूटिव साइड में अमूमन यह होता है कि एग्ज़ीक्यूटिव साइड में जितने भी आते हैं यानि एग्ज़ीक्यूटिव को चलानेवाले जितने भी दल हैं वे अमूमन चुनाव के जरिये आते हैं और चुनाव एक ऐसी प्रथा। जिसके जरिये द्वेष बढ़ता है और द्वेष बढ़ाने के लिए किसी आदमी को अपना बनाना पड़ता है, किसी के साथ कोई चाल खेलनी पड़ती है, किसी कमज़ोर को दबाना भी पड़ता है, और कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं, और इस प्रकार से हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी भी दूसरी पार्टी को दबाने की कोशिश करती है और अमूमन इलेक्शन में तो यह लड़ाई और भी प्रबल हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि पार्टियां एक दूसरे के विपरीत मुकदमेंबाजी करके अदालत में जाती हैं। मजिस्ट्रेट के यहां आते हैं तो मजिस्ट्रेट भी इस प्रकार की ताक लगाये रहते हैं कि कौन-सी पार्टी पॉवर में है। वे न्याय अन्याय को नहीं देखते हैं, वास्तविक चीज़ को नहीं देखते हैं, असलियत को नहीं सोचते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उसमें क्या फायदा। उनके दिमाग में इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है कि जिस पार्टी की सरकार होती है जैसा कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि 'जींकी खावे बाजरी वींकी उठावे हाजरी,' ऐसा लोगों का वातावरण बना हुआ रहता है। तो पार्टीवाले चाहे जुल्म करते हों, पार्टी वाले अन्याय करते हों, पार्टीवाले गरीबों के हक़ को छीनते हों, सरकार जिनको न्याय देने के लिए मुकर्रर करती है उनके दिमाग में वह न्यायवृत्ति तो नहीं रहती है, उनके दिमाग में इसी किस्म का वातावरण रहता है कि पार्टी-वालों को फेवर करें, उनको खुश करें तो अपने आप मिनिस्टरी खुश हो जायगी। मिनिस्टरी की मेहरबानी हो जायगी तो हमें उन्नति मिल जायगी, हमको अच्छा पद मिल जायगा। लोग आज लालच में लगे हुए हैं। न्याय विभाग अलग हो जायगा तो लोगों के अन्दर इस प्रकार के विचार नहीं होंगे, किसी को भय नहीं होगा, किसी को किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं होगी। न्याय उनको मिल सकेगा।

आज कल एग्ज़ीक्यूटिव साइड में क्या होता है कि आजकल हमारे कलेक्टर, एस. डी. ओ. वगैरह को आप लोगों के स्वागत के कारण कम फ़ुर्सत मिलती है। आप लोगों के भाषण करवाने में उनको फ़ुर्सत नहीं मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो देखता हूं कि अमूमन जिलों के अन्दर जब मंत्रियों का दौरा होता है तो जिले भर के कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पहुँच जाते हैं, कलेक्टर पहुँच जाते हैं और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की मशीनरी होती है वह सब उसी काम में लग जाती है। आगे पहले इन्सपेक्शन के लिए मंत्री जाते थे, दौरा करते थे तो देखते थे कि मशीनरी क्या कर रही है लेकिन आजकल के मिनिस्टर्स देखते हैं कि जितने ऑफिसर्स वहां हैं वे हमारी चापलूसी किस प्रकार से करते हैं, हमें खुश किस प्रकार से करते हैं। एग्ज़ीक्यूटिव का जो वातावरण है वह ऑफिसर्स को खुश करना है, मिनिस्टर्स को खुश करना है। मिनिस्टर को खुश करने के लिए अच्छा खाना होता है, उनका स्वागत अच्छा हुआ, उनका भाषण अच्छी तरह से हुआ, शान्तिपूर्वक सुन लिया गया तो मिनिस्टर साहब खुश हो गये तो हमेशा के लिए ऐसा पद देंगे, ऐसा इनाम देंगे जो जिन्दगी में उनकी उन्नति

(श्री लक्ष्मीचन्द)

के लिए होगा। तो इस सबका खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? अमूमन पार्टी इन पॉवर जो होती है वह बर्दाश्त करती है, सरकार के यहां ऐसे खर्चे का प्रोविजन नहीं होता है। जब पार्टीवाले सब खर्चा बर्दाश्त करते हैं तो कलेक्टर वगैरह भी उनको खुश रखते हैं मुकदमा वगैरह में उनको खुश करने की कोशिश करते हैं। सांचोर तहसील में पीरा वरसेज बच्चन कंवर का एक केस रजिस्टर हुआ था। वह केस रजिस्टर हुआ था एक्स्ट्रा मजिस्टेट के पास और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह केस पीरा के हक में डिसाइड होना चाहिये। वह मजिस्ट्रेट नया ही आर. ए. एस. में आया था। उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परवाह नहीं की और जो शहादतें वगैरह बच्चन कंवर के हक में थी इसलिये बच्चन कंवर के हक में उसने फैसला दिया। इसका रिवीज़न कलेक्टर के पास १४५ दफा में होता है। एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के खिलाफ रिवीज़न एक्सेप्ट किया। जब हाई कोर्ट में रेफरेन्स किया गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट से भी कम जानता है ऐसे रिमार्क्स कलेक्टर के बारे में हाई कोर्ट ने दिये। तो उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की खराबी मशीनरी में आई है। इस मशीनरी के पुर्जों को ठीक करना है जब तक इस मशीनरी को ठीक नहीं करेंगे तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। अभी न्याय इतना महंगा है कि सांचोर तहसील के भंवातरा गांव से कलेक्टर तक पहुँचने में एक आदमी को २० रु. लग जाते हैं। कलेक्टर का फंक्शन क्या है? मीटिंग करना। आज ब्लॉक की मीटिंग है तो आज भारत सेवक समाज की मीटिंग है और कल समाज कल्याण की मीटिंग है। इन मीटिंगों के आगे उनको फुर्सत नहीं मिलती है। महीने में २० दिन तक वे दौरा करते हैं। जनता पेशियों पर जाती है पर वहां सुनवाई नहीं होती इस कारण से आप जो लोगों को सस्ता न्याय देना चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता। आंख के अंधे और नाम नयनसुख वाली कहावत वाली बात होती है। नाम तो यह होता है कि हम सस्ता न्याय देते हैं लेकिन न्याय मिलता नहीं है। आज कलेक्टर और दूसरे ऑफिसर जाकर देखते हैं और कहते हैं कि फलां ऑफिसर का डिस्पोजल बहुत अच्छा है। लेकिन यह नहीं देखते कि डिस्पोजल हुआ है किस चीज का। इन्सपेक्शन करनेवाले यह देख कर खुश हो जाते हैं कि ४० केसेज़ का डिस्पोज़ल मजिस्ट्रेट ने कर दिया। लेकिन डिस्पोजल होता है घी में मिलावट करने के केसेज का वा दूध में पानी मिलाने के केसेज का। इसको डिस्पोजल मान लेते हैं। कमिश्नर इन्सपेक्शन में जाते हैं तो वे भी कह देते हैं कि डिस्पोजल अच्छा हुआ। लेकिन वे यह नहीं देखते कि ३०२ के केसेज़ या ३६० के केसेज में कितनी एविडेन्स रेकॉर्ड की। यदि जुडिशियरी डाईरेक्टली हाई कोर्ट के अंडर में होती तो यह बात देखने में नहीं आती।

हमारे यहां एक्स्ट्रा मैजिस्ट्रेट है वह २४ घंटे शराब पीता है और शराब पीकर कोर्ट में आ जाता है। आप किसको न्याय करने के लिये भेजते हैं? यदि यही हाई कोर्ट के अंडर में होता तो मैं विश्वास दिला सकता हूं कि ऐसों को कभी मुकर्रर नहीं करते। जिनके हाथ में खून के मुकद्दमों का डिस्पोजल हो उनको ऐसी पोस्ट देते हैं। ये एग्जीक्यूटिव साइड में ही मिनिस्टर या किसी व्यक्ति विशेष के कृपा-पात्र हो सकते हैं। लेकिन कृपा-पात्र होने का मतलब यह तो नहीं होता कि आप उनको ऐसे मुकद्दमों

(श्री लक्ष्मीचन्द)

को डिस्पोज़ करने के लिये मुकर्रर करें। यदि हाई कोर्ट के अंडर में यह चीज़ होती तो ऐसों को कभी नहीं भेजा जाता। आप ऐसे लोगों को एग्ज़ीक्यूटिव के अंतर्गत कोई धर्मार्थ का महकमा दे दो जहां पर खाली दस्तखत ही करने पडें। इन्सपेक्शन करनेवाले रिमार्क्स देते हैं कि बड़ा अच्छा डिस्पोज़ल रहा। लेकिन वे यह नहीं देखते कि चोरी के कितने मुकद्दमों का डिस्पोजल हुआ या कितने खून के मुकद्दमें सेशन्सकोर्ट में कमिट करके भेजे। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले १० महीनों में एक भी मुकद्दमा कमिट होकर नहीं गया। कहते हैं कि हमारे मजिस्ट्रेट का फैसला इतना अच्छा होता है कि उसकी अपील कोई नहीं करता। जिन केसेज़ में ३ रु. का जुर्माना करते हैं, दूधवाले दूध में पानी मिलाते हैं उन मुकद्दमों का फैसला होता है तो उनकी अपील कौन करेगा? इस पर आप कहते है कि हमारे यहां एफिशियेन्सी है। इस प्रकार की व्यवस्था यदि जुडिशियरी में है तो जनता को न्याय मिलने की आशा नहीं है। जनता चाहती है कि न्याय मिले, ऐसा न्याय जो पार्टी इन पॉवर के दबाव में नहीं आवे। जब तक जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव से अलग नहीं होती तब तक इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी। जितने ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर्स को देख लें, एस. डी. एम. को देख लें उनके दिल में ऐसी ही बात है, या तो पुलिस ने उनको धमकाया या अपोइन्टमेन्ट से पहले पुलिस ने उनको कोई चमत्कार दिखाया है जिसके कारण से उन्होंने यह निश्चय किया है कि फैसला उनके हक में करना है चाहे तथ्य कुछ भी हों। आजकल जितने मजिस्ट्रेट हैं उनके दिल में यही रहता है। कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एस. पी. का बराबर दर्जा है और दोनों की नीयत यह रहती है पुलिस के मुकद्दमों को कामयाब बनाना चाहिये चाहे उनमें कोई तथ्य हो या नहीं, चाहे मुलजिम बेगुनाह हो और उसको यों ही फंसाया गया हो। कई जगह ऐसा होता है कि एस. पी. को पार्टी इन पॉवर को खुश रखना पड़ता है। जहां पार्टीज में लड़ाई होती है, दो पक्ष होते हैं, वहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिला सकता हूं कि न्याय के स्थान पर अन्याय होता है। जहां दो पार्टीज़ होती हैं वहां एक पार्टी न्याय की ओर जाती है तो दूसरी अन्याय की ओर जाती है। लेकिन जहां वोट्स लेने का ख्याल होता है वहां ऐसे बहुत कम सज्जन होंगे जो किसी के प्रति यदि अन्याय हुआ है तो उसका साथ नहीं देंगे। लेकिन जहां राजनीति है वहां साथ नहीं दें तो काम नहीं चलता। जो 'जी हुजूरी' करते हैं उनका स्वागत करनेवाले और भाषण सुननेवाले दूसरे लोग नहीं मिलते हैं इसलिये उनकी बात को मानना पड़ता है और जब उनकी बात को मानते हैं तो सही न्याय नहीं मिलता है। इसलिये सदन का ज्यादा समय न लेकर मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप सच्चा न्याय इस प्रज़ातंत्र में देना चाहते हैं या पनपाना चाहते हैं तो न्याय विभाग को प्रशासन विभाग से अलग करना चाहिये। यदि न्याय सस्ता देंगे तो कोई किसी से नहीं डरेगा, लोग चाहेंगे कि यदि किसी पार्टी ने अन्याय किया है तो जुडिशियरी खुली है, उससे न्याय मिलेगा। लेकिन यदि जुडिशियरी आपके नीचे है, न्याय विभाग आपके नीचे है तो लोग न्याय की उम्मेद नहीं रख सकते। इसलिये मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरा जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार करें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना कटौती प्रस्ताव इस संबंध में रखा है कि न्याय विभाग और प्रशासन विभाग अलग अलग हों। अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने इस संबन्ध में अपने अपने विचार रखे और हम यह सब महसूस करते हैं और जानते हैं कि जहां तक प्रशासन विभाग और न्याय विभाग को अलग अलग करने का सवाल है इस संबंध में यह कोई नई बात हो या नई मांग हो, मैं समझता हूं ऐसी बात नहीं है और यहां तो प्राचीन समय से इस प्रकार की बात रही है। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में भी यह प्रश्न उठा है। लॉर्ड कार्नवालिस थे उन्होंने भी कहा है क्योंकि उस समय कलेक्टर लोग रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे और उनको पॉवर्स थी। रेवेन्यू कलेक्ट करने पर कमीशन उनको अधिक मिलता था और वे लोग अपने पॉवर्स का दुरूपयोग करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक जगह कहा है; सन् १७६३ में उन्होंने कहा है जो इस प्रकार है :

"Revenue Officers must be deprived of their Judicial Powers. Revenue officers in those days were Collectors in more sense than one. They were even allowed commission upon the collections and actually they made all considerations of rjght Subservient to that duty." इस प्रकार से वे इस जमाने में भी सोचते थे। मैं सोचता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में अधिकारी लोग यह महसूस करते थे कि ये दोनों विभाग अलग अलग होने चाहिये।

और इसलिए क्योंकि उनके पास अधिकार था, उसका लाभ होता था, उसका दुरुपयोग होता था। इस दृष्टिकोण से उन्होंने इस बात के लिए कहा था। परन्तु इसके बाद १८५६ से, जब से कांग्रेस ने इस चीज़ को मान्य किया कि दोनों को अलग अलग होना चाहिए और जब कभी भी मौका आया कांग्रेस ने इस बात को दोहराया कि हर हालत में दोनों विभागों को अलग होना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद लेजिस्लेचर्स में जो लोग मुल्क के थे, बड़े बड़े आदमी, सर फीरोज शाह मेहता, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी आदि उन लोगों ने लेजिस्लेचर के बाहर और भीतर इस बात को बराबर कहा कि हर हालत में इन दोनों विभागों को अलग अलग होना चाहिए।

जहां तक इसका सवाल है, इसमें दो राय नहीं कि इस बुनियादी बात को मान कर हमने भारत के संविधान में भी इसको मान्य किया और भारत सरकार ने इस संविधान को मान्य कर लिया कि हर स्टेट में दोनों विभाग अलग अलग रहेंगे। यह बुनियादी चीज़ मान्य कर ली गई है, इसे सोच कर ही सारा काम किया गया है। लेकिन खेद इस बात का है कि इतने लम्बे अर्से के बाद इस सिद्धान्त को, जिसको आज़ादी की जंग में लड़नेवाले सिपाहियों ने और उसके बाद हमने खुद ने इस आजादी को प्राप्त करने के बाद हमारे संविधान में स्वीकार किया कि यह होना चाहिए और उस बात को लेकर कुछ प्रान्तों में इसके लिए कदम भी उठाये गये परन्तु राजस्थान के अन्दर आज तक इस मुद्दे को लेकर, जरूर विचार विमर्श करते हैं, आश्वासन दिये जाते हैं, ठीक बात है कि सरकार सोच रही है, लेकिन कोई डेफीनेट कदम नहीं उठाया मालूम पड़ता। सरकार ने प्रारम्भिक कदम उठा लिये हैं। किसी न किसी

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रकार की कार्यवाही प्रारम्भ कर ली है लेकिन इसे कार्यान्वित न करने से स्पष्ट मालूम होता है कि सरकार को अपने पुराने वायदे पर, संविधान पर जो अटूट आस्था होनी चाहिए, जो भी बात प्रारम्भ की गई थी, जिसको हमें कार्य रूप में परिणित करना चाहिए था, आज उसके लिए कदम नहीं उठाती तो स्पष्ट मालूम होता है कि उसकी आस्था हमारे संविधान में नहीं है। इसलिए यह कहना कि इसकी बहुत आवश्यकता है, मैं समझता हूं यह बुनियादी चीज है। हमने बड़ी कुर्बानी के बाद जो आजादी प्राप्त की और आजादी के सबसे बड़े गणराज्य के उसूल को मान्य किया कि हमारे राज्य की व्यवस्था जनतांत्रिक तरीके से होगी। जिस बुनियादी उसूल को हमने माना उसकी कुछ पूर्ति हुई। जिस आजादी को बड़ी कुर्बानी के बाद प्राप्त किया, आजादी के बाद हमने जनतांत्रिक व्यवस्था को सही माना लेकिन उसकी सही मायने में पूर्ति तब तक नहीं करते जब तक कि आप अपने स्टेट के अन्दर शासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को अलग अलग नहीं करते या न्याय को प्रशासन से अलग नहीं करते तब तक आप किसी हालत में दावा नहीं कर सकते कि हमने जनतांत्रिक शासन प्रणाली को स्वीकार कर लिया है। जनतांत्रिक प्रणाली हो नहीं सकती जब तक कि दोनों को अलग अलग नहीं करें। यह बुनियादी सिद्धान्त है जिसको जनतंत्र के अन्दर मान्य करना है। उसके साथ साथ बुनियादी उसूल, जिसकी जनतंत्र के अन्दर रक्षा करनी पड़ेगी उसको मान्य करना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, जब यह कहने के हकदार होंगे कि हमने स्टेट में जनतंत्र व्यवस्था को पूरा कर लिया है। जब तक यह करते नहीं, भले ही आप कहें, वह जनतंत्र होगा नहीं। मैं इस बात को कहता हूँ कि यह जनतंत्र नहीं है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, उसके लिए कई प्रकार के प्रमाण कई माननीय सदस्यों ने पेश किये। ऐसा महसूस होता है उन प्रमाणों को देखने से कि जितनी सारी चीजें चल रही हैं हमारे मंत्रिगण उनसे अच्छी तरह परिचित हैं। वे जानते हैं कि आज वाकई इस प्रकार की अड़चनें खड़ी होती हैं और जनतंत्र के तरीके से जिस प्रकार राज्य का काम चलना चाहिए और उसके आधार पर सामान्य न्याय मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसकी पूर्ति के लिए कदम आवश्यक हैं। यह मालूम होते हुए या तो सरकार समझती है कि हमने इस प्रकार से इन विभागों को अलग अलग कर दिया तो जनता को लाभ मिलने का सवाल अलग रह जाता है हम अपने आपके लिये लाभ हासिल नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार की शंका उत्पन्न होती है। इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि ठीक बात है, हमारे खुद से कई प्रकार की गल्तियां होती हैं, हम उनको छिपाना चाहते हैं। अगर वे किसी प्रकार आगे आती हैं तो उससे हम लोगों को नुकसान होता है। ऐसी हालत में ऐसी व्यवस्था को बनाये रखें जिससे जिस चीज को छिपाना चाहते हैं वह छिपी रह सके। इसलिए स्वाभाविक शंका होती है कि यह कुछ कारणों से होता है बिना कारण से नहीं होता है। इसलिए यह ढांचा बना दिया है कि आप अपनी व्यवस्था को या अपने काम को छिपाने के लिए ऐसा कर लें और कुछ लोगों को, किसी को भी, किसी विचार धारा के लोगों को लाभ मिल जाय, परन्तु जो देश के आम लोगों को लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिल सके। इसमें

(श्री मुरलीधर व्यास)

हर प्रकार के हर अधिकारी नीचे से ऊपर तक के संबंधित हैं और उनके संबंधित होने की वजह से वे ठीक तरह से काम नहीं कर सकते ।

मैं आपको निवेदन करूं कि डेमोक्रेसी के तीन पिलर्स माने जाते हैं, एक लेजिस्लेचर, दूसरा है न्याय और तीसरा है हमारा प्रशासन-ये तीनों मिल कर राज्य की व्यवस्था को चलाते हैं और इनके ऊपर जनतंत्र खड़ा होता है । तीनों का परस्पर सम्बन्ध हो सकता है तीनों एक साथ मिल कर काम करें पर जिस प्रकार पति पत्नी का सम्बन्ध है वह ठीक नहीं है क्योंकि वे ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते । मित्रों की तरह रह सकते हैं, परिवार की तरह रह सकते हैं तो इसमें स्वाभाविक है कि एक का दूसरे पर असर होता है, एक दूसरे की रक्षा करता है । तो हमारी जो बुनियादी चीज है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और मान्य करना चाहिए । मैं आपके सामने उदाहरण दूँ कि किस प्रकार अधिकारीगणों की, यहां तक कि जो लोग कानून बनानेवाले हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं है । मैं आपसे कहूं कि आज से कुछ समय पहले की बात है कि जामसर में हड़ताल हुई और मजदूरों ने हड़ताल की बुनियादी हक को लेकर । इस हड़ताल के पहले एक बीकानेर में म्यूनिसिपल कर्मचारियों की हड़ताल हुई । उस हड़ताल को चलते हुए एक महीना भर लगातार हो गया था, शहर में गन्दगी थी लेकिन ऑफिसर्स ने कोई कदम नहीं उठाया कि शहर में सफाई हो, ऐसी हालत हो गई । ऐसी हालत में मैं कलेक्टर से मिला तो उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि हरिजनों की हड़ताल को लेकर लोग क्षुब्ध हैं लेकिन वे कहते हैं कि ठीक बात है सरकार जिस तरह से कर रही है वह ठीक कर रही है । मैंने कहा कि वास्तव में लोग नाराज हैं और जनता अपनी बात आपके सामने प्रगट कर सकती है । इस बात को लेकर आम हड़ताल हो गई और ५, १० हजार आदमी कलेक्टर के दफ्तर पर गये । मैं महसूस करता था कि जब इतने आदमी आफिसर के सामने जाते हैं, तो कलेक्टर का फर्ज है कि आखिर वह आवे बाहर और देखे । लेकिन उसने एक आदमी को भेज दिया कि पांच आदमियों को बुला लो । मैंने इसे ठीक नहीं समझा क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि जनता का अधिकारी है, जनता की बात है तो उसको देखना चाहिए और बाहर आना चाहिए । मैंने इस बात को कहा कि वे बाहर आयें और देख लें कि कितने आदमी बाहर खड़े हैं और वे क्या मांग करते हैं । वे देख लें कि शहर के सारे लोग इस मामले के खिलाफ हैं और सहयोग नहीं देना चाहते हैं परन्तु आप इस मामले में कुछ नहीं करते । परन्तु वे बाहर नहीं आये । १०, १५ मिनट तक वहां खड़े रहे । मैं समझता हूं कि जनतंत्र का उसूल है कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स के सामने जब कभी डेपूटेशन आता है तो वे बाहर आते हैं, बात करते हैं । दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने लोग जाते हैं तो वे बाहर आते हैं और बात करते हैं । परन्तु एक मामूली कलेक्टर जो एक मामूली अधिकारी है और जनता के सेवक के रूप में है उसका ढंग वैसा का वैसा ही रहा । तो मैंने ठीक नहीं समझा और यह बात कही । कुछ देर के बाद वे बाहर आये और बातचीत की । उसके बाद हड़ताल समाप्त हुई और लोग अपने अपने काम पर गये । इस बात को लेकर क्योंकि मैंने प्रेस किया था कि हर हालत के अन्दर

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस प्रकार अधिकारी को आना चाहिए तो वह बात उन्हें बुरी लगी। उन्होंने सोचा कि यह तो हमारा अपमान कर दिया और इस आदमी ने हज़ारों आदमियों को लाकर यहां खड़ा किया। मैं यह इसलिये कह रहा हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि एक अधिकारी जिसके सामने जनतान्त्रिक तरीके के प्रदर्शन किये जांय और जो बुनियादी जनतान्त्रिक हक हमने हांसिल किया है,संविधान ने हमें दिया है उसको लेकर जांय और वह अधिकारी उससे रुष्ट होता है तो वह अधिकारी उन अधिकारों का ज़ो उसके पास है, किस प्रकार दुरुपयोग कर सकता है ? उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने जामसर का किस्सा पेश करना चाहता हूं। मैं जामसर गया तो मुझे १०७ में गिरफ्तार किया गया...

डॉ० बहादुरसिंह : (धोलपुर) आपको १०७ में ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, मुझे १०७ में गिरफ्तार किया गया और जमानत तक मेरी नहीं ली गई। मैं बड़ा खूनी और इस प्रकार का माना गया और वह भी उन लोगों के कहने से,कुछ अधिकारी भी यही चाहते थे,मैं नाम बता सकता हूँ कि किन लोगों ने किन अधिकारी को शिकायत की थी कि यह आदमी जामसर में रहेगा तो हमारी जान को खतरा है। किस प्रकार के वे लोग हैं ? वे लोग तस्कर व्यापारी हैं, उनका सम्बन्ध पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उनके एजेंटस सरकार पकड़ना चाहे तो बता सकता हूँ, वे जामसर में बैठे हैं जामसर में दो भाई बैठे हैं, सरकार जानती है, पर क्योंकि उन्होंने अपना सम्बन्ध सरकारी पक्ष के साथ जोड़ रखा है उनकी शिकायत पर मुझे १०७ में गिरफ्तार किया जाता है। मेरी जमानत नहीं होती, २० हजार की जमानत मांगी जाती है और कहा जाता है कि जामसर जाओ मत और कई मुकदमें बनाये। मैं असेम्बली में बैठा हूँ पर मेरी २० हजार की जमानत है। एक तो अधिकारी वर्ग जानता था कि पहले भी इसने इस प्रकार के प्रदर्शन किये अब इसे किसी प्रकार फंसाना है। पौने दो महीने तक मुझे जेल में रखा, जमानत नहीं ली गई। जमानत के लिये कहा जाता था तो कहते थे कि जामसर मत जाओ। सिटी मजिस्ट्रेट के पास मेरा मामला जाता है और जमानत की बात चलती है तो तीन चार दफा कलेक्टर से फोन पर बातचीत की जाती है और इस प्रकार से रोका जाता है। आखिर २० हजार की जमानत की बातचीत में पौने दो महीने समाप्त हो जाते हैं तो जमानत ली जाती है। तो आज मैं इतना कह सकता हूं कि एक ही अधिकारी को इस तरह से दो प्रकार के अधिकार देना ठीक नहीं है। इस प्रकार के अधिकार देने से जो किसी व्यक्ति को बुनियादी अधिकार प्राप्त है उनमें वह अधिकारी बाधा पहुँचा सकता है। कलेक्टर जो कि प्रशासनिक अधिकारी है उसके हाथ में न्याय के अधिकार दिये हुए हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को उसके जो न्याय सिद्ध बुनियादी अधिकार संविधान से प्राप्त हैं उनमें भी वह बाधा पहुंचा सकता है।

ऐसी कोई एक घटना नहीं अनेकों घटनाएं हैं। वही अधिकारी एस. डी. एम., वही अधिकारी उस एरिया का इन्चार्ज, वही मुकदमें बनानेवाला और आखिर उसी के पास वे मुकदमें जानेवाले हैं। मैं समझता हूँ कि गृह मंत्रीजी को मालूम है, वे मामले अभी भी कोर्ट में हैं, सरकार सोच रही है कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

उनको वापिस लिया जाय या नहीं लिया जाय। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ही अधिकारी को दोनों तरीके के पॉवर्स होने से एक व्यक्ति जो जनतान्त्रिक आवाज रखना चाहता है, जिसे ऐसा करने का बुनियादी अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है, वह अधिकारी उसको ऐसा करने से रोक सकता है और इस प्रकार उसके मूल भूत अधिकारों पर कुठाराघात कर सकता है।

गत समय मैंने एक बात कही भी कि किस प्रकार से हमारे यहां एक अधिकारी जिसको दो पॉवर्स प्राप्त हैं एक ओर सब-रजिस्ट्रार और दूसरी ओर सेकिन्ड क्लास मजिस्ट्रेट के, उसने किस प्रकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके एक तरफ तो अपने लड़के, पत्नी को जमीनों के पट्टे लेने-देने में और खरीद में खुद ने अटेस्ट किया, सेकिन्डक्लास मजिस्ट्रेट की हैसियत से अटेस्ट किया और खुद छुट्टी में रह कर दूसरे मजिस्ट्रेट से रजिस्टर करवाया। यह मामला प्रशासन से सम्बन्ध नहीं रखता इसलिये इस पर विशेष नहीं कहना चाहता। पर फिर भी यह कहना चाहता हूं कि एक ही अधिकारी के पास, एक ही आदमी के पास दो अधिकार रहने से कितना दुरुपयोग होता है। अगर पुलिस और एस. डी. एम. दोनों मिल कर काम करते हैं तो वहां न्याय नहीं रहता है। इससे किसी प्रकार किसी को न्याय नहीं मिल सकता।

इन घटनाओं के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार को सही मायनों में डेमोक्रेटिक शासन को करना है तो सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि हर हालत में डेमोक्रेसी को सही रूप में यही करना है कि यहां जनतान्त्रिक व्यवस्था इसी प्रकार से होगी। यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि दोनों को एक साथ रखने से लाभ नहीं हो सकता।

श्री मुरारजी देसाई ने बॉम्बे में इन दोनों को अलग अलग किया तो लोगों ने इसका विरोध किया। यह करते वक्त उन्होंने जो कहा वह यह है :

"I feel proud that the State has accomplished a political reform which the people of this country have considered essential for a democratic Government."

तो जिस समय उन्होंने इस चीज को किया तो माना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये यह आवश्यक है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने आरम्भ से आज तक इसके लिये प्रयास किया और आज भी हमें यह कहना पड़े कि इन दोनों को अलग करना चाहिये। ऐसा कहने की हमें आज आवश्यकता होती है तो क्या सरकार बुनियादी उसूलों के प्रति आस्था नहीं रखती ? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर आस्था से विचार करें और मैंने जो कटौती के मोशन रखे हैं, उनको स्वीकार करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला यह है कि न्याय प्रशासन को सामान्य प्रशासन से पृथक करने के लिये और दूसरा है मौजूदा न्याय व्यवस्था से न्याय सम्बन्धी मामलों में विलम्ब होना, विलम्ब के साथ यह खर्चीला भी है।

हमारे यहां न्याय की व्यवस्था है उसको

(डॉ० बहादुरसिंह)

सामान्य प्रशासन व्यवस्था से अलग किया जाय इस सम्बन्ध में कई वक्ताओं ने बातें बताई। यह तो एक माना हुआ सिद्धान्त है कि एग्ज़ीक्यूटिव को न्याय व्यवस्था से अलग करना चाहिये। इनको अलग करने के लिये क्यों जोर दिया जाय, दोनों संयुक्त रहती हैं तो इसका क्या असर पड़ता है इस पर थोड़ा विचार करना है।

आज शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए हमें इस बात की जरूरत पड़ती है कि कुछ इस बात के अधिकार दिये जांय कि लोगों को आतंकित करें, देश की व्यवस्था कायम कर सकें। जो शक्तिहीन हैं वे व्यवस्था नहीं कर सकते। आज वैज्ञानिक युग है। यह कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि न्याय को प्रशासन के साथ रखा जाय। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा ने न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायाधीश वही व्यक्ति नियुक्त किया जाता था जो कि प्रातःकाल दरवाजे पर मिल जावेगा। इसी प्रकार का एक दफा न्यायाधीश मिल गया और उसको राजा ने अधिकार दिया कि जो भी मुल्ज़िम लाया जायगा वह ज़रूर क़ुसूरवार होगा और उसको फांसी तक दी जा सकती थी ऐसे अधिकार उसको दे दिये गये। एक दिन अदालत लगी, पुलिसवाले एक आदमी को चोरी के जुर्म में पकड़ लाये तो उसमें फौरन उसको फांसी की सज़ा दे दी। वकील वकालत करने बैठा तो उसको भी फांसी की सज़ा दे दी। आतंकित करने के लिए नियम तो बना लिया लेकिन नतीज़ा यह हुआ कि चोरियें बन्द हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : यह राजस्थान के किस हिस्से की बात है।

डॉ० बहादुरसिंह : यह पुरानी बात है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): १३ वीं शताब्दी की बात है। यह धौलपुर की है।

डॉ० बहादुरसिंह : वहां न्याय व्यवस्था अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो रियासत के वक्त थी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : अब भी अलग है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का आतंक जमा दिया करते थे। आज तो कानून का राज्य है, वैज्ञानिक युग है और हर एक व्यक्ति को कानून के अनुसार जब रहने का हक है तो फिर यदि न्याय और प्रशासन को संयुक्त कर देते हैं तो अच्छे प्रकार का न्याय लोगों को नहीं मिल सकता। यह क्यों अलग हो इसके लिए मैं अपने यहां की एक नजीर देना चाहता हूँ। हमारे यहां एस. डी. ओ. हैं उनको एस. डी. एम. के भी पॉवर्स हैं। वे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं और उनकी धौलपुर में रिश्तेदारी भी है। सारी चीजें एक साथ हैं और एक साथ होने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : एक दो बातें और रह गईं। उनके लड़कों का भी सम्बन्ध है इधर उधर।

(हंसी)

डॉ० बहादुरसिंह : तो इस तरह से वे एस० डी० ओ० लोकल हैं और उनका इस प्रकार सम्बन्ध भी है। हम उनको न्याय

(डॉ० बहादुरसिंह)

व्यवस्था देते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि उनकी सास की भैंसे चोरी चली गई तो क्या किया कि उनकी सास गांव गांव गई, जो भी अच्छी भैंस देखी तो बोली कि यह भैंस मेरी है। कौन इन्कार कर दे क्योंकि वह तो एस० डी० ओ० एण्ड एस० डी० एम० की सास थीं।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि मंत्री) : पर्सनल केसेज़ हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : आप पर्सनल केसेज़ कहते हैं लेकिन लोगों पर इनका कितना असर पड़ता है, लोग मज़बूर होकर आतंकित होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : The poor mother in-law must have been cursing us.

डॉ० बहादुरसिंह : एस० डी० एम० के पॉवर्स जरा दूसरे व्यक्ति को देने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, चाहे मजिस्ट्रेट हो, एस० डी० एम० हो लेकिन यह देखना चाहिये कि किस स्थान पर क्या काम कर सकता है। एस० डी०ओ० रखना है तो एस० डी० एम० के पॉवर्स नहीं होने चाहिये। धौलपुर में मुन्सिफ रख छोड़ा है उसको पॉवर्स दीजिये। पुलिस जिसको फंसाना चाहती है एस० डी० एम० के पास चली जाती है। मुन्सिफ जरूर छोड़ सकता है और एस० डी० एम० नहीं छोड़ सकता, उसकी ताकत नहीं है। जिसका एक्सीडेन्ट हो जाय उसका फिटनेस का सर्टिफिकेट जरूर ले लें लेकिन धौलपुर एस० डी० ओ० का इतना बड़ा एक्सीडेन्ट हो जाने के बाद भी फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लिया। यह जो असन्तोष है इस प्रकार से नहीं है कि ख्वाब आ गया हो। संविधान ने अधिकार दिये हैं और इसको कबूल किया है कि न्याय व्यवस्था को प्रशासन व्यवस्था से अलग किया जाय। माननीय मन्त्रीजी कहेंगे कि आपका खर्चा बढ़ेगा। यदि इस ओर अग्रसर हो रहे हैं तो फिर ढिले किस बात की है? जल्दी ही इसको कर दीजिये। बॉम्बे की नज़ीर आपके सामने है। वहां सारी व्यवस्था अलग अलग हैं। बॉम्बे का जो मोडल आपके सामने है उसको लेकर ही राजस्थान में भी न्याय और शासन व्यवस्था दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। खर्चा कुछ अवश्य महसूस कर सकते हैं लेकिन इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि जिस प्रकार लोगों को रोज़ी देना है, रहने के लिए मकान देना है उसी प्रकार न्याय व्यवस्था भी लोगों को देना है। चाहे उसमें कितना ही खर्चा हो।

दूसरे कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूँ कि विलम्ब कैसे लगता है। आज कोई केस है, उस पर कहानियों पर कहानियां हो जाती हैं। वह ऐसा चलता है जैसे महाभारत हो गया हो, फाइल पर फाइल चलती रहती है और उसमें काफी देरी लग जाती है। लोक सभा में इसका जिक्र आया कि मजिस्टीरियल कोर्ट्स हैं इनमें १॥ महीने में केसेज़ तय हो जाने चाहिये। लेकिन फिर यह चीज़ कहां अटक गई? कोई भी केस दायर किया जाय, चाहे फौज़दारी का हो, चाहे सिविल हो उसमें देर लगती है। जमानत पर जो छूट जाता है वह फिर आतंकित करता है। यह आज हो रहा है जब कि एक व्यवस्था टूट रही है और दूसरी नवीन बन रही है। एक तरफ जागीरदारियां और ज़मीदारियां खत्म हो रही हैं

(डॉ० बहादुरसिंह)

और दूसरी तरफ जिन लोगों के स्वार्थ हैं, भूमि का या और कोई स्वार्थ हो, गरीब आदमी को ज़मीन मिल गई तो उसको परेशान करने के लिये दो मुकदमें लगा दिये। उनकी ओर से तो मुख्तियार जाता है और कम से कम पांच, सात लोगों पर दावा दायर कर देते हैं। गांवों से चल कर लोग आते हैं, दो-ढ़ाई रुपया दिन का खाने का खर्च हो जाता है तो इस तरह से एक प्रकार का बर्डन उन पर हो जाता है। इसलिए इसको व्यावहारिकता पर सोचने की जरूरत है। आप कह सकते हैं कि आज के कानून में उनकी आवश्यकता नहीं है। ये कानून ब्रिटिश काल में ही बने थे। वही २४४ धारा और न जाने क्या क्या बराबर चलती आ रही हैं, यह सब होते हुए भी हम सब विधान सभा में बैठनेवाले सदस्यगण उन व्यक्तियों की दिन रात की परेशानियों को जानते हैं। किसी से यह छिपी हुई नहीं है, मन्त्री महोदय से भी छिपी हुई नहीं होनी चाहिये तो उन पर व्यावहारिकता के नाते वह मार्ग सोचना चाहिये जो सुगम और सफल हो।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो यह है कि बजट में इस बात की व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई गरीब आदमी है....

३.३० म० प०

(श्री आबिदअली, सभापति, पदासीन)

किसी व्यक्ति ने उस पर मुकदमा दायर कर दिया और उसकी आय २०, २५ रुपये से अधिक नहीं है तो कम से कम सरकार उसको न्याय प्राप्त करने के लिये व्यवस्था करे। इस बात की व्यवस्था और होनी चाहिये। लाखों रुपया जब आप इसमें खर्च कर रहे हैं सरकार गरीब लोगों के लिये वकील की नियुक्ति कर या और किसी प्रकार की व्यवस्था कर जो गरीब आदमी हैं जो पैसे के अभाव के कारण न्याय प्राप्त नहीं कर सकते उनको न्याय दिलाने में सारा खर्चा राज्य सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मेरा यह निवेदन है कि न्याय व्यवस्था को प्रशासन से अलग करना चाहिये। इसके अलावा जहां न्याय पाने में खर्च ज़्यादा आता है उसको भी किसी प्रकार कम किया जाना चाहिये। हर व्यक्ति को कम खर्चे में सस्ता और सुलभ न्याय मिले, यह व्यवस्था होनी चाहिये। न्याय तो ऐसी चीज़ होनी चाहिये कि प्रार्थना-पत्र दे और उसी पर न्याय होना चाहिये।

अब मैं पंचायतों के बारे में कुछ आलोचना करूंगा। हमने यह व्यवस्था जरूर कर दी है कि पंचायतों को एग्ज़ीक्यूटिव पॉवर्स के साथ २ जुडिशियरी के भी पॉवर्स दे दिये हैं। पंचायतों के निर्वाचन का जो तरीका है, उत्तर प्रदेश में जो तरीका है, उनसे न्याय पंचायतें कुछ अलग हैं लेकिन हमने देखा अपने देश के अन्दर कि न तो हाई कोर्ट के जजेज़ का सलेक्शन होता है और न सेशन्स जजेज़ का किसी प्रकार का कम्पीटिशन होता है। इसके लिये एक स्तर बना रखा है उसके अनुसार हाई कोर्ट के जजेज़ और सेशन्स जजेज़ हो सकते हैं। पंचायतें गांवों के विकास के लिये हैं। जो जुर्माना और सजा का प्रोविज़न दिया है उसके अनुसार जहां इस प्रकार चुनाव होते हैं वहां आपस में एक प्रकार की कटुता भी देखने को मिलती है। उससे जो न्याय मिलना चाहिये मैं समझता हूँ वह

(डॉ० बहादुरसिंह)

न्याय मिल नहीं सकता। मैंने खुद ने देखा है कि एक तहसील पंचायत में एक हरिजन का मामला था। उस पर यह प्रयत्न किया गया कि वहां के सरपंच ने घर घर जाकर दस्तखत करवाये और उस बेचारे हरिजन पर कोरम पूरा न होते हुए भी उसके खिलाफ फैसला कर दिया गया। ये इस तरह की बातें हैं जो हमारे लिये अच्छी नहीं हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा नैतिक स्तर अभी तक ज़्यादा ऊंचा उठ नहीं पाया है। हमारा अपना स्वार्थ काफी मात्रा में विद्यमान है। हमारे अन्दर गुलामियत की जो भावना रही है वह काफी हद तक मौजूद है। अभी तक हमारे में वे गट्स नहीं कि हम किसी के मुंह पर उसकी आलोचनात्मक बात कह दें, यह हिम्मत नहीं होती...

एक माननीय सदस्य : सुनने की भी हिम्मत नहीं होती।

श्री सभापति : म्यूनिसिपल और पंचायत का सम्बन्ध आपके कटमोशन से है क्या ?

डॉ० बहादुरसिंह : मौजूदा न्याय व्यवस्था में वह आ जाता है। न्याय प्रशासन और सामान्य प्रशासन के भीतर वह कवर हो जाता है। हमने पंचायत को जो एग्जीक्यूटिव पावर्स दे रखे हैं उसके साथ साथ जो जुडिशियरी के भी पॉवर्स दे रखे हैं उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये, यह मेरा निवेदन है। माननीय मन्त्री महोदय विधि विशेषज्ञ हैं कानून के माहिर होने के नाते तजुर्बेकार भी हैं उनसे ये मामले किसी प्रकार छिपे नहीं हैं। आज वे भी जानते हैं कि न्याय प्राप्त करने में किस प्रकार की असुविधा होती है। मेरे इलाके के लोग जब से हाई कोर्ट जोधपुर में चला गया है तब से वहां जाने तक की बात सोचते तक नहीं हैं।

श्री सभापति : क्या यह भी आपके कट मोशन में है ? आप मेजर हैड का ख्याल रखिये।

डॉ० बहादुरसिंह : इसका सम्बन्ध न्याय प्रशासन से है। मेरा कहने का मतलब यह है कि न्याय सस्ता हो और इस सस्ते न्याय के लिये हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

(श्री भंवरलाल शर्मा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री शिवचरणदास (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव उनसे पहले है....

श्री सभापति : आप इनके बाद बोल सकते हैं। श्री शिवचरणदास जारी रक्खें।

श्री शिवचरणदास (मांडल): सभापति महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर अपने विचार प्रगट करूं उससे पहले मुझे आज आश्चर्य होता है कि जिस बात को हमारे बिना कहे ही सरकार को अनुभव कर लेना चाहिये था आज उसके लिये हमें सरकार को आवश्यक सुझाव देने पड़ रहे हैं उसके पहले कि सरकार इसे स्वीकार करे या न करे यह तो उनके अख्तियार की चीज़ है।

सभापति महोदय, मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने

(श्री शिवचरणदास)

विचार प्रगट किये हैं । मैं समझता हूँ, जिस जनतन्त्रवाद को लेकर हम इस बात पर जोर दें, न्याय और कार्यपालिका अलग अलग हो, ऐसी बात नहीं । मैं यह समझता हूं कि यह एक हमारा नागरिक अधिकार है, हमारी दूसरी आवश्यता के साथ साथ यह भी एक आवश्यकता है कि यह अलग अलग रहे । माननीय सदस्यों ने इस पर काफी प्रकाश डाला । यह हमें आवश्यकता क्यों है ? जिस तरह से हर नागरिक को दूसरी व्यावहारिक चीजें आवश्यक होती हैं उसी तरह से उनके आजाद रहने के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि वे किस तरह से आज़ाद रह सकते हैं हमारी पंचायतों को सरकार ने दोनों अधिकार दे रखे हैं और प्रजातन्त्र के अन्दर यह आवश्यक है कि हमारी पंचायतों का निर्वाचन किया जाय । वैसी हालत में यह स्वाभाविक भी है कि दो विचार धारावाले लोग अलग अलग हों । इस कारण एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता के भाव उत्पन्न हो सकते हैं । तो जैसी सत्ता रूढ़ दल की भावना होती है, उसके पक्ष के जो व्यक्ति होते हैं उनके लिये यह स्वाभाविक है कि वे अपनी भावनाओं की पुष्टि करें और उसी पुष्टि के हेतु सत्तारूढ़ दल का जो व्यक्ति उसकी भावना को पुष्टि के लिये हर संभव उपाय करता है और उन उपायों को पूरा करने के लिये वह हमारी जो न्यायपालिका है उसको अगर कार्यपालिका के साथ साथ चलाते हैं तो उसका दुरुपयोग होता है इसलिये भी यह आवश्यक है कि ये दोनों अलग अलग रहें ।

पंचायतों को जिनको हमने दोनों अधिकार दे रखे हैं इस बात को लेकर आये दिन पंचायतों के झगड़े सरकार के सामने आते हैं । इसका दुष्परिणाम हर रोज़ देखने को मिलता है । उस मनोमालिन्यता को हम मिटाना चाहते हैं ।

श्री सभापति : आपका मेजर हैड है उसमें पंचायतों का सवाल नहीं है । ये अलग अलग हैड हैं । पहले भी मैंने आपति की थी अब आप ध्यान रखिये ।

श्री शिवचरणदास : मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है, "मांग संख्या ११ मुख्य, शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १ रु० मात्र की कटौती की जावे (न्यायपालिका को कार्यपालिका से प्रथक करने पर वाद विवाद करने हेतु)" तो पंचायतों के पास दोनों प्रकार के अधिकार हैं ।

श्री सभापति : पंचायतों का एक्सपेन्डीचर अलग है ।

श्री शिवचरणदास : लेकिन इससे कुछ सम्बन्धित है इसलिए इसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा । अगर सभापति महोदय, आपकी आज्ञा नहीं हो तो मैं इसे छोड़ दूँगा ।

श्री सभापति : आप प्रारम्भ रखिये । I allow you to speak.

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, जो हमारे जिलाधीश हैं वही आज ज़िला न्यायाधीश भी हैं । इससे हमें क्या हानि होती है, इसके बारे में आपके सामने थोड़ी सी नज़ीर प्रस्तुत करूंगा । मैंने आपसे जैसा अभी निवेदन किया है कि इस तरह की विचारधारायें अलग अलग होती हैं और उनको लेकर जो हमारे दावे होते हैं उन

(श्री शिवचरणदास)

पर मुख्यतः छोटी सी नज़ीर प्रस्तुत करूंगा। वह आम तरीके से रिवाज सी बन गई है और वह यह है कि दो व्यक्तियों के बीच में कोई बात आई तो हम १०७ का दावा लेकर एस० डी० एम० के पास जाते हैं। जो हमारा एस० डी० एम० है वही एस० डी० ओ० है। उन्हीं के पास वह कैस जाता है तो सभा-पति महोदय, अपने अपने हक में प्रत्येक व्यक्ति उसका फैसला कराना चाहता है और फिर दोनों तरफ पार्टीबाजी में वह केस पड़ता है और उसके बाद फिर भले ही उसका अन्तिम निर्णय किसी भी पक्ष में जाये या सच्चाई पर ही जाये लेकिन उसके फैसले में काफी समय लग जाता है। १०७ का मुकदमा मैं समझता हूं कि हर ज़िले में होगा जिसमें दो दो साल और ढाई, ढाई साल तक वे केस चलते हैं और उसके खर्चे की जारवरी उन पार्टीज़ को भुगतने पड़ते है। तो यह जो पक्षपात होता है और हमारे सामने यह आपत्ति है और इसका मूल कारण सभापति महोदय, केवल यही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ चलती हैं। मैंने देखा है सभापति महोदय, और मैं भी इस रोग का मरीज़ हूँ कि जिसके ऊपर १०७ का मुकदमा विरोधी दल की तरफ से लगाया गया है....

श्रीपुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): विरोधी दल की तरफ से ?

श्रीसभापति : विरोधी दल से आपका मतलब है आपके जो विरोधी हैं।

श्री शिवचरणदास : यद्यपि उस केस में मुझे निश्चय है कि चाहे वह केस कहीं भी जाये सच्चा केस है और वह जरूर खारिज होगा। लेकिन आज उस मुकदमे की पेशी करीब एक साल से चल रही है और कोई कार्यवाही नहीं होती।

श्री सभापति : वह तो अदालत में चल रहा होगा ?

श्री शिवचरणदास : जी हां।

श्री सभापति : तो ठीक है। यह मामला सबजुडिस है, किसी दूसरे विषय पर बोलें।

श्री शिवचरणदास : माननीय सभा-पति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि चाहे आप इसको सबजुडिस कहें या कुछ भी कहें लेकिन एक आपत्ति किसी कारण से हमारे सामने आ रही हैं, मैं उसी को लेकर आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। यह एक ज्वलंत उदाहरण आपके सामने है। इस केस में कई पेशियां पड़ती हैं और जो हमारे एस० डी० एम० आज एस० डी० ओ० भी हैं उनको गवाहियां लेने की फुर्सत नहीं मिलती, उनको मुकदमा सुनने की फुर्सत नहीं मिलती और जब भी हम जाते हैं कहते हैं कि हमें तो मीटिंग में जाना है, कभी कह देते हैं कि आज मुख्य मन्त्रीजी का दौरा है हम उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। इस प्रकार की बात कहते हैं। तो यह सारा कारण इसलिए है कि यह हमारे सामने बहुत बड़ी आपत्ति है जिससे हमें न्याय नहीं मिल पाता है, न्याय मंहगा पड़ता है। यह नागरिकों के ऊपर भार है। इसलिए मैं समझता हूं सभापति महोदय, कि दोनों न्याय-पालिका और कार्यपालिका अलग किये जायें।

(श्री शिवचरणदास)

इसी तरह से तहसीलदारों को भी इस प्रकार के अधिकार दे रखे हैं। सभापति महोदय, फिर 'विविध' का विषय आ जाता है लेकिन आपके सामने थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि यही हैं तहसीलदार जिनको कि रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपको अभी हाल का ही किस्सा बताता हूं। अभी कई पंचायतों के चुनाव हुए और उनमें ये रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त हुए। सभापति महोदय, अगर मैं हर जगह की हालत के बारे में बताऊं तो काफी समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूं कि सही ढंग से और न्यायसंगत चुनाव नहीं हुए हैं। उनमें कई प्रकार के पक्षपात हुए हैं। वे इसलिए हुए हैं कि आज हमारा प्रजातन्त्र है, हमारी जनतन्त्र की प्रणाली है उसमें चुनाव आवश्यक है। अगर चुनावों में पक्षपात हो जाता है तो आगे जाकर किस तरह से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं? इसलिये ये सारी बातें सभापति महोदय, इस बात की सुबूत हैं कि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक साथ नहीं रहने चाहिए....

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य स्वयं परिश्रम करके जीत जाते हैं तो तहसीलदार साहब ठीक होते हैं।

श्री शिवचरणदास : ठीक है। जैसे आपके दावे चल रहे हैं, हमें भी पता है। आपके सामने भी आपत्ति है। मैं किसी एक विशेष चीज़ के लिए नहीं कहता हूं। आप ही ज्यादा प्रभावित रहते हैं।

श्री सभापति : आप प्रसंग पर ही बोलिये।

श्री शिवचरणदास : सभापति महोदय, मेरे माननीय सदस्य को कुछ कटु सत्य बहुत बुरे लगे इसलिए मैं उनकी एक चीज़ निवेदन कर देना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप इसी विषय पर बोलिए।

श्री शिवचरणदास : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि गंगापुर में एक माननीय थानेदार साहब बिराजते हैं और वहां पर मजिस्ट्रेटी भी है। उसका कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन किस तरह से पार्टी मजबूर करती है, इसका मैं एक उदारण आपके सामने देना चाहता हूँ। वह उदाहरण यह है कि वहां पर एक थानेदार साहब बिराजते हैं, उनकी एक्टीवीटीज़ इस बात को बताती हैं कि वह किसी पार्टी विशेष का पक्ष करते हैं और उसी को लेकर कई केसेज़ विरोधी दल के व्यक्तियों पर यहां तक कि लखपति और करोड़पति के ऊपर नकबजनी के केसेज़ लगवाये हैं और अदालतों में वे असफल रहे। इसी तरह से और कई मुकदमे बलवे के लगवाये उनमेंभी असफल रहे, क्योंकि वह एक पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं और जब उनको वहां पर कामयाबी नहीं मिली तो सभापति महोदय, प्रजातंत्र में शर्म की चीज है कि उन्होंने मजिस्ट्रेट महोदय के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टंट रचा और वह स्टंट यहां तक रचा है सभापति महोदय, कि गांव में फिरते हैं और गांव में लोगों को उन्होंने इस बात पर प्रेरित किया कि हमें इनके खिलाफ केसेज़ दायर करने हैं। इन्होंने कई स्त्रियों से बातें की हैं और उनसे यह कहा गया है कि तुम मजिस्ट्रेट का नाम लो कि वे हमारे साथ

(श्री शिवचरणदास)

बलात्कार करते हैं। सभापति महोदय, कई स्त्रियों ने तो इसका जवाब भी दिया कि क्या तुम्हारे घरों में स्त्रियां नहीं हैं, उन्हीं से क्यों नहीं नाम लिवाते ? फिर भी एक मुकदमे को लेकर भीलवाड़ा के कलेक्टर के पास शिकायत हुई है। उसकी कार्यवाही के लिये वह केस एस.डी. ओ० के पास गया वहां। पर स्त्रियों के बयान हुए हैं। बयान में एक ने कुबूल किया। एक ५५ वर्ष की स्त्री जिसके मुंह में दांत नहीं, मैं समझता हूं, उसकी हालत को देखें तो कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि एक ऐसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस तरह से ऐसा विचार कर सकते हैं लेकिन एक पार्टी प्रोपेगन्डा है और जब उस स्त्री के बयान हुए तो वही स्त्री दूसरे रोज़ आकर कहती है और हमारी नगरपालिका के अध्यक्ष और जो कांग्रेस दल के भी अध्यक्ष गंगापुर में हैं उनके लिए यह स्त्री यह बयान करती है सभापति महोदय, कि मैंने तो इनके बहकाने से और थानेदार के बहकाने से ये बयान दिये हैं। सभापति महोदय, आप बयान के लिए सुनें तो बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने खिंचेगा। वह कहती है कि मैं सड़क पर जा रही थी और यह मजिस्ट्रेट साहब बन्दूक लेकर आये और मुझे बन्दूक बता कर मेरे साथ बलात्कार किया और मेरे ६ महीने का हमल गिर गया। इस तरह का बयान उस स्त्री ने दिया है। तो यह सारी चीजें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह इसलिए होती हैं कि माननीय सदस्य को यह चीज़ बुरी लगी है तो वह इस चीज़ के प्रयास में रहते हैं। इस तरह से वे दूसरों पर प्रभाव डालते हैं और थानेदार के द्वारा मजबूर किये जाते हैं। तो सभापति महोदय, मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ हों तो वहां पर हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं ? न्यायालयों में काफी मुकदमे आते हैं और कितनी ही पेशियां होती हैं और वहां पर न्यायाधीशों को दूसरे ही कामों से फुर्सत नहीं मिलती और पेशियां बदलती रहती हैं....

एक माननीय सदस्य : ये मजिस्ट्रेट आपके सम्बन्धी हैं ?

शिवचरणदास : जी।

श्री सभापति : बीच में इन्टरफियरेन्स न हो।

श्री शिवचरणदास : मेरे सम्बन्धी तो नहीं हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके मजिस्ट्रेट न जाने कितने सम्बन्धी होंगे और समाज कल्याण विभाग....

श्री सभापति : इस समय समाज कल्याण विभाग की बात नहीं कीजिए।

श्री जयसिंह राणावत : आपके कितने सम्बन्धी हैं ?

श्री सभापति : आॅर्डर ! आॅर्डर !!

आप अपने विषय पर आइये।

श्री शिवचरणदास : मैं उसी पर आता हूं। तो ये सारी चीजें सभापति महोदय, इस प्रकार की हैं कि यह आवश्यक है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। मैं आपके सामने और अर्ज करूं कि जागीरदारों के खुदकाश्त के कई जगह केसेज़ चल रहे हैं। सभापति महोदय, उनके खिलाफ १०७ के मुकदमें बनाये जाते हैं और हर एक जागीरदार के ऊपर ऐसे

(श्री शिवचरणदास)

केसेज़ लगाये गये हैं। ऐसी कई नजीरें, सभापति महोदय, हमारे सामने हैं। तो मैं इसलिए आवश्यक समझता हूं कि न्याय-पालिका और कार्यपालिका अलग अलग होनी चाहिए और यह हमारा नागरिक अधिकार है जिसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री सभापति : श्री भैंवरलाल 'कालाबादल'।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : सभापति महोदय, यहां जो वादविवाद चल रहा है वह केवल न्याय प्रशासन को लेकर वादविवाद चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, वैसे देखा जाय तो हमारे प्रशासन में हर व्यक्ति के प्रति न्याय होना चाहिए। मगर इस कटमोशन के द्वारा केवल मुझे यही बताने का अधिकार है कि प्रशासन के द्वारा अदालतों में न्याय देरी से मिलता है। इसलिए मैं अपने कटमोशन द्वारा अधिक नहीं बता कर यही बताऊंगा कि आज न्याय मंहगा हो गया है और हमें न्याय देरी से मिलता है। इसके बारे में कई लोगों से मैंने पूछा। गांवों से आनेवाले गरीबों से, अदा-लतों के दरवाजों पर काफी लम्बे समय से आनेवाले- लोगों से सुना कि उनको न्याय लम्बे अर्से तक नहीं मिलता है। उन लोगों के मुंह से कई बार सुना है कि आज अदालतों पर, न्याय विभाग के अधिकारियों पर धनवानों का मायाजाल फैल गया है। उस मायाजाल में फंसकर न्याय मंहगा हो गया है और न्याय देरी से मिलता है। इसके बारे में कई लोगों से यहां तक सुना है और वे कहते हैं कि

'धनवालों की माया फैली,
हाकिम भूले हुकमाई को।
चंद चांदी के टुकड़ों ऊपर,
वकील भूले न्यायी को॥'

वकीलों ने अदालतों में बैठनेवाले जजों का दिमाग खराब कर दिया है। वह आज वकीलों के साथ क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे खेल खेलते हैं यह उनके लिये उचित नहीं है। उनके साथ में बैठकर चाय पार्टी खाते हैं तो ऐसे जज से और न्याय अधिकारी से आशा नहीं की जा सकती है कि वह किसी गरीब के फेवर में न्याय करेगा। गांवों के गरीब दुखी होकर इस तरह से कहते हैं :

'धनवालों की माया फैली,
हाकिम भूले हुकमाई को।
चंद चांदी के टुकड़ों ऊपर,
वकील भूले न्यायी को॥
मोहब्बत टूट गई गांवों से,
मंत्री देखें शहरों को।
अखबार नवीस भी भूल गये,
दुखियों की कष्ट कहानी को॥
डाक्टर भूल गए सेवा को,
रोवें दीन दवाई को।
नेता अंधे बनकर दौड़ें,
ब्लैक भाई से मिलने को॥'

श्री सभापति : डाक्टरों और नेताओं को तो आप बख्श दें।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' : न्याय का संबंध नेताओं से भी तो है। हाकिमों को भी नेता लोग ही बिगाड़ते हैं और सिफारिश करके अदालतों को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : अगर माननीय सदस्य कुछ नेताओं की परिभाषा बता दे तो अच्छा है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' :

'धनवालों की माया फैली,
हाकिम भूले हुकमाई को ।
चंद चांदी के टुकड़ों ऊपर,
वकील भूले न्यायी को ॥
मोहब्बत टूट गई गांवों से,
मंत्री देखें शहरों को ।
अखबार नवीस भी भूल गए,
दुखियों की कष्ट कहनी को ॥
डाक्टर भूल गए सेवा को,
रोवें दीन दवाई को ।
नेता अंधे बनकर दौड़ें,
ब्लैक भाई से मिलने को ॥'

यह हालत है हमारे नेताओं की । अदालतों में गरीबों की नहीं सुनते, डॉक्टर नहीं सुनते । आज उनको न्याय नहीं मिलता तो माननीय सभापति महोदय, आज यह भी कहते सुना है गांव वालों से :

'अदालतों में बैठे हाकिम,
गपशप रोज़ उड़ाते हैं ।
जनता के दुख दर्दों को,
बेगार समझकर करते हैं ॥'

ज़िम्मेदारी से आज जनता के दुख दर्दों को नहीं देखते हैं और न जाने कितने दिन लग जाते हैं फाईलों तक को नहीं देखते । इसलिये कहते हैं कि :

'अदालतों में बैठे हाकिम,
गपशप रोज़ उड़ाते हैं ।
जनता के दुख दर्दों को,
बेगार समझकर करते हैं ॥
वर्षों से दब रही फायलें,
पूछें तो घुर्राते हैं ।
चौड़े धाड़े रिश्वत मांगें,
नहीं किसी से डरते हैं ॥
अदालतों के द्वारे द्वारे,
गरीब लूटे जाते हैं ।'

आज न्याय विभाग में यह चल रहा है । माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं बताऊं कि मार्च ५७ में एक हैड-कांन्सटेबल झुंझुनू में भंवरा नाम का एक व्यक्ति जो निरपराध था उसके ऊपर एक केस चलाया और बिना मजिस्ट्रेट के परमीशन लिए २४ घंटे से ज्यादा ४ रोज तक पुलिस ने उसे अपने अधिकार में रखा । जिसके ऊपर मैंने एक प्रश्न भी पूछा । एक लक्ष्मण-सिंह नाम के हैड कांसटेबल ने उसको चार रोज तक पुलिस के कब्जे में रखा....

श्री सभापति : पुलिस का जिक्र इस समय न करें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसका संबंध मजिस्ट्रेट से भी है ।

श्री सभापति : मगर आप पुलिस की बात कर रहे थे ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट के यहां उसे चार रोज बाद पेश किया । इस पर मजिस्ट्रेट ने एतराज किया कि आपने इसको चार रोज बिना रिमांड के अपने पास कैसे रखा ? इसके लिए मजिस्ट्रेट ने एस० पी० को भी लिखा लेकिन उसने कोई परवाह नहीं की

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

और उसको अजमेर में थानेदार बना कर भेज दिया। इस तरह मैं आपको बता रहा था कि मजिस्ट्रेट तक की आज्ञा का पालन नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अदालतों में बैठनेवाले हमारे मजिस्ट्रेट भी आज घबराते हैं क्योंकि एस० पी० का संबंध सीधा हमारे होम मिनिस्टर साहब से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई और उस हैड-कॉन्सटेबल को थानेदार बना कर अजमेर भेज दिया।

४ म० प०

तो, माननीय सभापति महोदय, मजिस्ट्रेट की अदालतों का मुझे मालूम है कि एक दिन हमारी रामगंज मंडी में पत्थर की मोनोपोली है उनके ट्रक से ५, ६ आदमी काम करते हुए मजदूर एक ट्रक के नीचे दब कर मर गये। उसका मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला गया। वह मामला आज दो साल के करीब हो गया और मैंने भी कई दफा मिनिस्टर महोदय को कहा मगर पूंजीपतियों के फेवर में मजदूरों को मुआवजा दिलाने की बात आज दिन तक फैसल नहीं हुई है। यह अदालतों का हाल है। पूंजीपतियों के चक्कर में अदालतें घिरी जा रही हैं। जन प्रतिनिधि भी गरीबों की ओर नहीं देखते हैं और अदालतों को, मैं समझता हूं, सही न्याय नहीं करने देते हैं। हम लोग आगे जाकर प्रेस करते हैं। मजिस्ट्रेट घबराते हैं कि तरक्की नहीं होगी किसी के कहने के अनुसार नहीं चलेगें तो। मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, अधिक क्या बताऊं इस तरह की हमारी अदालतें, हमारी मुन्सफियां, इस तरह से वकीलों के चक्कर में, धनवालों के चक्कर में, हम प्रतिनिधियों के चक्कर में आकर न्याय नहीं कर रही हैं। उनकी मंशा, उनकी दिली भावना है कि न्याय के सिंहासन पर बैठ कर जनता के साथ में न्याय करें मगर उनको बिगाड़नेवाले हम लोग हैं। इन शब्दों के साथ में मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेयरमैन महोदय,....

श्री सभापति : कुछ कटमोशन्स और बाकी रह गये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : If the Hon'ble Members are not moving their cut motions...

श्री सभापति : No, he was on his legs.

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगून्दा) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव न्याय संबंधी मामलों में विलम्ब होता है इसके बारे में है। माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर थोड़े से समय में, मैं सोचता हूं ५,७ मिनट में ही अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा।

कई माननीय सदस्यों ने जो मुझ से पूर्व बोलनेवाले हैं और खास कर जो कि पहले पहल बोले उन्होंने अपने भाषण में ठीक ही बताया है कि न्याय और प्रशासन अलग अलग होने चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी भी इसमें राय है कि

(श्री लक्ष्मण हीरात)

अलग अलग होने चाहिए ।लेकिन अलग अलग हों और अलग अलग होने से कुछ काम ठीक हो तब तो ठीक है वर्ना अलग हो जांय और उससे खास न्याय नहीं मिले तो कोई खास फायदा होनेवाला नहीं है ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आजकल जो वकीलों की हालत है, वकीलों के द्वारा जो केस लिये जाते हैं और केस लड़े जाते हैं उसके बारे में डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एकाध उदाहरण बता देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, कोई केस किसी अदालत में जाता है तो इधर से उधर...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सभापति महोदय, यह वकीलों के खिलाफ कटमोशन नहीं है।

(हंसी)

श्री सभापति : आप वकील नहीं होते हुए सुन लेना चाहिए।

श्री लक्ष्मण हीरात : वकील ही एक केस को ज्यादा ढ़ील देते हैं। मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और एस० डी० ओ० को इस तरह से बता देते हैं कि अब की बार नहीं आ सकूंगा तो अगली पेशी मुकद्दमें की रखदें। इस तरह की तारीखें वकीलों के द्वारा रखी जाती हैं और उनकी मारफत पैसा दिया जाता है, वकीलों के द्वारा मजिस्ट्रेटों और एस. डी. ओ. को पैसा पहूंचाया जाता है और केसेज़ में जाकर ढ़ील होती है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय खुद भी एक वकील हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण और पेश कर दूं। वहां एस. डी. ओ.

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): On a point of Order, Sir. माननीय सदस्य ने चेयर पर आक्षेप किया है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैंने यह कहा है कि सभापति महोदय भी वकील हैं।

श्री रामकरणसिंह : जो कहा है उसका कॉन्टेक्स्ट है। चेयर को संकेत किया है।

श्री सभापति : This is no point of Order.

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय सभापति महोदय, हमारे इलाके में खास तौर से दो एस. डी. ओ. ऑफिसेज़ हैं। एक है सलूम्बर में। सलूम्बर एस. डी. ओ. का ऑफिस बहुत दूर है। वह दूर इस दृष्टि से से है कि खैरवाड़ा तहसील को कुछ गांव पाटिया झांझरी वगैरह हैं उन गांवों के बीच में सराड़ा तहसील आती है। उसमें होकर सलूम्बर पहुँचते हैं। एस. डी. ओ. के ऑफिस में पेशी पर पहूंचते हैं तो बाई चान्स अगर एस. डी. ओ. नहीं हुए तो वापिस उनको लौटना पड़ता है। एक किसान वहां जाता है तो जाने में उसको डेढ़ दिन लगता है और १॥ दिन आने में लगता है। इस तरह से ३,४ पेशियां पड़ गई इसी और खींचतान में २ साल हो गये तो किसान के घर में एक दाना भी नहीं रहेगा खाने के लिए। यह स्थिति हो जाती है। माननीय सभापति महोदय, किसानों के पास बरसात के दिनों में खेती का काम

(श्री लक्ष्मण हीरात)

होता है। उन दिनों में केसेज़ लड़ने के लिए दूर दूर स्थानों पर जाते हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एस. डी. ओ. का ऑफिस क्षेत्र का सेन्टर देख कर होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी बहुत ही सस्ता और सादा न्याय मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण और आपके सामने पेश कर दूं। उसी तरह से झाडोल में दूसरा एस. डी. ओ. है। झाडोल कोटड़ा तहसील से करीब ५० मील दूर है। कोटड़ा तहसील से आनेवाला आदमी वहां से उदयपुर चलेगा। एक दिन में कोटड़ा से चलेगा तो दूसरे दिन पहुंचेगा उदयपुर और वहां से फिर चलेगा तो तीसरे दिन दिन झाडोल पहुंचेगा। ऐसे ऐसे राजस्थान में कई जिले हैं जहां पर एस. डी. ओ. की समस्या है। उन समस्याओं की ओर हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

और, माननीय सभापति महोदय, एक उदाहरण और देना चाहता हूं। असेसर्स के बारे में भी बजट में यह बताया है कि उसमें ५००) रूपये के करीब खर्चा किया जायगा। तो असेसरों के खर्चे को हटा देना चाहिए। वकीलों के खर्चे के बारे में १ लाख रुपये का खर्च रखा है। दूसरे और भी काफी खर्चे होते हैं। वकीलों को खर्चा कम दिया जायगा तो राज्य की आर्थिक स्थिति जो खराब है वह ठीक हो जायगी....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : सभापति महोदय, शायद उदयपुर डिविज़न में आप असेसर हैं क्या ?

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेकर यह कहना चाहता हूँ कि हमें सस्ता, सादा और जल्दी न्याय मिल सके, ऐसी हमारी सरकार को कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव को हाउस के समक्ष पेश कर रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : (हिंडोली) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या ११ में मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

'मांग संख्या ११ मुख्य शीर्षक २७ न्याय प्रशासन में से १)रू० मात्र की कटौती की जावे (न्याय विभाग के शीघ्र काम नहीं करने पर बहस करने के लिये)।' मैं कुछ इस पर निवेदन करना चाहता हूँ। वैसे इस पर कई माननीय सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। कुछ मैं भी अर्ज करूंगा।

वास्तव में स्वतन्त्र भारत में न्याय सस्ता होना चाहिए जैसा कि हमारा लक्ष्य है और इसीलिये ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है। परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो आज साधारण आदमी के लिए न्याय बहुत मंहगा हो गया है। जहां तक ग्राम पंचायतों का सवाल है वह न्याय तो उनकी हद तक जहां जैसा हो मिल ही जाता है, लेकिन मजिस्ट्रेट और मुन्सिफ कोर्ट का जो न्याय है वह आम लोगों के लिए मंहगा हो गया है। मैं आपको अर्ज करूंगा बूंदी ज़िले के बारे में कि वहां पर दो एस. डी. ओ. की अदालतें हैं और एक मुन्सिफ अदालत है और एक मुन्सिफ अदालत है जो लाखेरी से ५० मील और नैनवा से ४५ मील दूर और दूसरे इस सिरे से ५० मील दूर है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

म्यूनिसिपल क्षेत्र के लोगों को ५ रूपये का मुकद्मा दायर करने के लिये भी इतनी दूर जाना पड़ता है, १०० रू. का मुकद्मा हो तो भी जाना पड़ेगा, जितनी तारीख पेशी पड़ेंगी उनमें उनको खर्च भी करना होगा । होना यह चाहिये कि मजिस्ट्रेट या मुन्सिफ लोग क्षेत्रों का दौरा करें और ज्यादा से ज्यादा १० मील के क्षेत्र के बीच अपनी तारीख दें और वहां जाकर फैसला दें। यह अनिवार्य नियम मुन्सिफ और मजिस्ट्रेट कोर्ट पर लागू होना चाहिये। अभी ऐसी प्रथा है कि छोटे छोटे मुकद्मों के लिए भी लोगों को दूर जाना पडता है, अपना काम छोड़ना पडता है। तारीख बदलने की प्रथा हमारे ज़िले में मामूली बात है । हरएक कोर्ट में सैकडों मुकद्मे मिल जायेंगे और चार, पांच दिनों में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कि तारीख नहीं बदली जाती हो । उनका तो तारीख बदलना मामूली काम हो जाता है और फरीकों का मरना हो जाता है । उनको ८, १० रुपये खर्च करके गवाहियों को ले जाना पड़ता है और खर्चा भुगतना पड़ता है । किस प्रकार की बर्बादी होती है ये बातें या तो वे ही लोग जानते हैं जो मुकद्मा लड़ते हैं या वे माननीय सदस्य जानते हैं जो अपने इलाकों में घूमते हैं। इसलिये हरएक मुन्सिफ या मजिस्ट्रेट पर पाबंदी लगा देनी चाहिये कि जहां के मुकद्में हैं वे वही १० मील के भीतर सुने जावें। कुछ ऐसे मुकद्में भी हो सकते हैं जिनकी सुनवाई ऑफिस में ही हो सकती है। जब तक आप यह बात अनिवार्य नहीं करते तब तक वे महीने में दो, तीन दिन के लिये भी बाहर नहीं जाते। क्योंकि बाहर जाने से उनको दुःख होता है, गांवों में उनको तकलीफ होती है । हैड क्वार्टर पर आराम मिलता है इसलिये बाहर नहीं जाते । लोगों को वाजिब न्याय तभी मिल सकता है जब कि वे क्षेत्र में जाकर न्याय करें ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अदालतों में रिश्वतखोरी खुले आम चलती है। खास तौर पर हर एक मुकद्में में, क्या मुन्सिफी में और क्या मेजिस्ट्रेटी में प्रारम्भिक रिपोर्ट पर कलर्क रिश्वत लिये बगैर अच्छी रिपोर्ट जिस तरह की वे चाहते हैं उस तरह की नहीं करेंगे। यह बात करीब करीब सभी वकील जानते हैं और खास करके वकीलों का उसमें हाथ रहता है। कैसे भी सिद्धान्त की बात हो वे यह कहेंगे कि 'यह तो लगता ही है कि चपरासियों का खर्चा, मुकद्मा जीतने पर इनाम—इकराम की बात चलती हैं कलर्कों को समय समय पर देना, इसके अलावा और भी बातें हैं जिनके बारे में मैं यहां पर कहना नहीं चाहता । यही स्पष्ट-तौर से अर्ज करना है कि रिश्वतखोरी काफी है। यह तो तभी रूक सकता है जब कि या तो देखनेवाले जो अधिकारी हैं वे भेष बदल अदालतों में जाकर देखें कि किस तरह से कले--क्टर के नाक के नीचे और मजिस्ट्रेटों के नाक के नीचे रिश्वतखोरी चलती है। क्योंकि हम लोग वहां पर देखते हैं और गांवों के लोग इसलिये नहीं कहते कि वे सोचते है कि इनसे मत कहो, वर्ना मुकद्मा बिगड़ जायगा। लोग समझते हैं कि १० रु. ५रू. देकर अपना काम निकलवालें वर्ना १०० रूपये खर्च हो जायेंगे और परेशान होंगे। यह सच बात है कम से कम मेरे क्षेत्र की बात अर्ज कर रहा हूं वैसे मैं भी नहीं चाहता कि अनाप—शनाप बात कहूं लेकिन वाजिब बात कहने से रहना भी नाजायज बात होगी। इसलिये मैंने अर्ज

(श्री भंवरलाल शर्मा)

किया कि ऐसी प्रणाली डालनी चाहिये कि सरकार के उच्चाधिकारी गांवों में जाकर देखें, उन लोगों से मिल कर उनसे पूछें तो वे बता देंगे कि किस किस मुकद्दमें मे कितने कितने रूपये दिये हैं। ९९ परसेंन्ट मुकद्दमों में रिश्वत दी जाती है। इसको मिटाना हमारा कर्त्तव्य है।

इसके अलावा एक और बात अर्ज करूंगा। वह यह है कि जो पंचायतों का न्याय है उसके बारे में ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता क्योंकि पंचायतें चुनी हुई होती हैं और गांवों में जो अच्छे अदमी होते हैं उनको लोग चुन कर भेजते हैं और उनके द्वारा जो न्याय होता है वह परिस्थितियों को देख कर करते हैं और हमारा यह मान्य सिद्धान्त है कि पंचायतें होनी चाहिये। लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं जो पार्टीबंदी के कारण बिगड़ जाती हैं। मैं एक उदाहरण मेरे गांव का आपके सामने देना चाहता हूं। उस गांव में एक आदमी के दीवार के झगड़े को लेकर पंचायत ने ऑर्डर दिया कि दीवार तोड़ दी जाय। उसने तहसील पंचायत में अपील की। अन्त में तहसील पंचायत के सरपंच ने फैसला दिया कि दीवार तोड़दी जाय। जिस दिन पंचायत से फैसला हुआ था उसी दिन से यह फैसला लागू हुआ। उस आदमी पर ८७६ रु. का जुर्माना कर दिया गया। इतनी रकम से वैसी ८ दीवारें बन सकती थी। तहसील पंचायत के फैसले के खिलाफ अपील करने का प्रोविजन नहीं है क्योंकि यह कानून का मामला है। इस तरह की चीजों से सावधान रहना चाहिये। कई ऐसी वाके होते हैं जो चुनाव में वोटों के कारण हो जाते हैं। वोटों का बदला निकालने के लिये कई तरह की बातें हो जाती हैं।

न्याय और प्रशासन के बारे में मैं एक मिनट के लिये अर्ज करुंगा और ज्यादा समय नहीं लूंगा। न्याय और प्रशासन के बारे में मैं भी राय रखता हूं दोनों अगल होने चाहिये क्योंकि प्रशासन करनेवालों के हाथ में न्याय होता है तो मनमानी करते हैं। एक उदाहरण हमारे यहां के एस. डी. एम. का मेरे गांव का देता हूं। एक बार उन्होंने हमारी तरफ दौरा किया। रात को सीमेन्ट कंपनी की कार में बैठ कर आ रहे थे। गर्मी का मौसम था, एक मज़दूर अपने घर के बाहर खाट डाल कर सो रहा था। तीन, चार दिन से वह परेशान था इसलिये वह सो गया। उधर से जब उनकी कार निकली तो उसने होर्न दिया पर नींद के कारण उस मज़दूर ने होर्न नहीं सुना। बाद में वह होर्न से चमक कर उठा और खाट उठाने लगा लेकिन बाद में उस पर मुकद्दमा चलाया गया और उसको तीन दफा बूंदी बुलाया गया। इसमें उसके ३० रूपये खर्च हो गये और ३० रु.का उस पर जुर्माना कर दिया गया। इस तरह से ६० रू० की चपत उसको भुगतनी पड़ी क्यों कि उनके हाथ में दोनों तरह के अधिकार थे। वे एस. डी. एम. भी थे और एस. डी. ओ. भी थे। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि न्याय और प्रशासन को अलग अलग रखना चाहिये ताकि लोगों को उचित न्याय मिल सके और लोग अधिकार में मोह-ग्रस्त न हों। मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव न्याय और प्रशासन को अलग अलग करने के विषय में

(श्री सम्पतराज जैन)

दिया था लेकिन पता नहीं क्यों डिसअलाउ कर दिया गया। या तो उसे अलाउ किया जाय या मुझे बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : स्पीकर महोदय ने डिस-अलाउ किया है। आप उनसे चेम्बर में बात कर सकते हैं।

श्री सम्पतराज जैन : तो मुझे बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री सभापति : श्री नारायणसिंह।

श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, काफी बहस न्याय और प्रशासन की बाबत यहां हो चुकी है और इसमें जो प्रधान मुद्दा उठा है वह यह है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिये। आज का यह एक बड़े ही महत्व का प्रश्न है जिसने हमारे दिमाग को काफी आडोलित किया है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं तो समझता हूँ कि मनुष्य ने जब से व्यवस्था की बात सोची होगी और जब एक नियंता को मुकर्रर किया होगा तभी से न्याय की बात भी उठी होगी और तभी से इस न्याय की तरफ मनुष्य की मानवता को कायम रखने की ओर दृष्टि गई होगी और तभी से एक बुनियादी प्रशासन व्यवस्था की बात निकली होगी। और मैं आश्चर्य चकित रहा जब कि माननीय श्री जुगलकिशोरजी चतुर्वेदी ने कहा कि बहुत प्राचीन काल से भी हमारी न्याय व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। वास्तव में मनुष्य इस बारे में जागरूक था जिसने अतीत में एक नियंता बनाया। व्यवस्था कायम रखने के लिये उसे कहा। वहां भी न्याय में कमी नहीं बर्ती जाय, इसका ख्याल रखा। इसका कि एकाधिकार नियंता उसका दुरुपयोग न कर सके। इसलिए अगर हम इस न्याय की प्रगति को सदियों में देखते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि न्याय को प्रशासन से अलग करने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है। जब प्रजातन्त्र का उद्भव हुआ और उसके साथ ही साथ प्रजातंत्र का मूल सिद्धान्त, बहुमत का सिद्धान्त जब से स्थापित हुआ तो यह आवश्यकता महसूस होने लगी कि बहुमत को अतिशयता से बचाने का कोई उपाय होना चाहिए। इस कारण न्याय को मुतवातिर प्रशासन से और कार्यपालिका प्रशासन से अलग रखने की बात उठी।

अमेरिकन कान्स्टीट्यूशन ने भी इस तरफ १००, २०० वर्ष में प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट को जितना भी एग्जीक्यूटिव से अलग रख सकते थे रखने का प्रयास किया। फिर भी आज अमेरिकन कान्स्टिट्यूशन को पढ़ने-वाले के समझ में आ सकेगा और वह मानेगा कि आज भी जो व्यवस्था वहां मौजूद है उसमें एग्जीक्यूटिव फिर भी जुडिशियरी के ऊपर प्रभाव डाल सकती है। उन्होंने २०० वर्ष में प्रयास किया कि एग्जी-क्यूटिव का प्रभाव जुडिशियरी पर नहीं पड़े लेकिन फिर भी उसमें ऐसे अटकाव रह जाते हैं। आज भारतवर्ष में हमारे यहां सारी प्रशासन पद्धति हमने एक विदेशी राजकर्त्ताओं से ली है और उसके बाद हमने आजादी हासिल की और अब हम प्रजातंत्र और कल्याणकारी राज्य को स्थापित करने के प्रयास में हैं। बहुत कम अर्सा आजादी हासिल किये हुए हुआ है और प्रशासनिक व्यवस्था को अब तक हम समय के तकाजे के साथ मोड़ भी नहीं सके हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर न्यायपालिका को कार्यपालिका से

(श्री नारायणसिंह)

अलग करने के प्रयास में एकदम सफल हो जायं, यह बात कहना जल्दबाज़ी मालूम पड़ती है। प्रयास हम इस तथ्य को मानकर बराबर कर सकते हैं लेकिन एकदम वह चीज होना कठीन होता है। हमारे संविधान का मूल लक्ष्य यही है कि यह काम धीरे २ हो जाय। अभी अभी जो इस विषय में एक कमेटी बैठी थी लॉ कमीशन उसने भी जो सिफारिश की है उसकी राय से स्पष्ट है और हमें विश्वास होना चाहिए कि आज की व्यवस्था में जब कि हम इस बात के लिए जागरुक हैं और हर स्तर की न्याय व्यवस्था इस प्रकार से अन्य प्रशासन से विभाजित कायम करना चाहते हैं जिससे हम समय से पिछड़ न जायं।

४.२२ म० पू०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष पदासीन)

ऐसी स्थिति में हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि यह एक दिन होकर रहेगा। मगर एकदम यह विभाजन हो जायगा, यह आशा करना बहुत ज्यादा आशा कर लेना होता है। ऐसी स्थिति में मैं यह कहूंगा कि इस विभाजन के न होने से जो अड़चनें हमारे सामने आती हैं वे ठेट नीचे के स्तर से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट के दायरे से आती हैं। और इस दिशा में जो विकेन्द्रीकरण पद्धति की तरफ, ज़िम्मेदार प्रशासन की तरफ राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है उससे ऐसा झलकता है कि ये अड़चनें दूर होंगी। जो पहली आवश्यकता हमारे सामने है सब जानकार इसको स्वीकार करेंगे वह यह है कि सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का एक अलग औहदा रहना चाहिये और उनका उसके साथ ही साथ राजस्व से उचित रूप से अलग रहे। कलेक्टर और एस० डी० ओ० के औहदे अलग रहने चाहिये, तहसीलदार का औहदा अलग रहना चाहिए और रेवेन्यू कोर्ट का सिलसिला है उसे क्रिमिनल और सिविल के साथ जोड़ने से जो एक दिक्कत आती है उसको इस व्यवस्था से हल किया जाना चाहिये। आज रेवेन्यू कोर्ट का यह सिलसिला लगा दें तो जैसा मैंने अर्ज किया कि विकेन्द्रीकरण पद्धति, ज़िम्मेदार पद्धति को हमें प्रोत्साहित करना है, उसके अनुसार जो व्यवस्था हम कायम करेंगे उसके ज़रिये इस प्रकार से वह सिलसिला होना चाहिये कि जो भी ज़िला स्तर पर, तहसील स्तर पर इस प्रकार की ज़िम्मेदार समितियां होंगी उनका रेवेन्यू मामलों में काफी हस्तक्षेप रहेगा और कम से कम पूरी तरह के रेवेन्यू के अधिकार अपने अपने स्तर के नहीं तो इतने अधिकार जरूर होंगे उनकी राय जो कलेक्टर एस० डी० ओ० और तहसीलदार को मिलेगी वह उनके लिये अनिवार्यतः मान्य होगी। इस प्रकार से रेवेन्यू कोर्ट का सिलसिला अलग हो जाता है और सिविल क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का सिलसिला अलग हो जाता है। इसको अलग करने में शायद हम यह खतरा महसूस करने लग सकते हैं कि पहले ही प्रशासन के काफी दफ्तर और औहदे खुल गये हैं। तो इस तरह उनको और ईजाजत क्यों? आज हमारे सामने कलेक्टर, एडीशनल कलेक्टर और इस प्रकार के कई औहदे आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर यह प्रथकीकरण कर दिया जायगा तो एडीशनल कलेक्टर इत्यादि को रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू साथ होने से ऐसा

(श्री नारायणसिंह)

कार्य भार पड़ता है कि एडिशनल कलेक्टर इत्यादि बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। आज इनको बनाते हुए भी इस लक्ष्य से तो हम चल ही रहे हैं कि न्याय पालिका और कार्यपालिका अलग हो जांय। पर इस बात को हम फिर भी हल नहीं कर सकते। अगर इस प्रकार की व्यवस्था होगी कि जिसमें रेवेन्यू अलग और रेवेन्यू का सारा तारतम्य अलग रहेगा और सिविल और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा तो उसमें एक तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर अलग २ रखने की आवश्यकता रहेगी वहां एडीशनल्स को उड़ा देने में दिक्कत महसूस नहीं होगी।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य है विकेन्द्रीकरण का विकास ठेट नीचे तक उतरना चाहिये। इसीलिये हमने पंचायत की व्यवस्था बनाई। मैं यह मानता रहा हूँ कि पंचायतों को जुडिशियल अधिकार आज देने की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी उनकी अर्थ व्यवस्था की, उनके विकास के कार्य की, उनके सफाई आदि के काम की ज़िम्मेदारी उन्हें दी जाने की और उसे सफल बनाने की उनमें क्षमता पैदा करने की आवश्यकता है। आज पंचायत के पंच को एक विलेज़ लेवल वर्कर और एक कार्यकर्ता की तरह महसूस करना चाहिये। आज वे समझते हैं कि वे भी छोटे मोटे मजिस्ट्रेट या अधिकारी हो गये। तो छोटे स्तर पर पंचायतें हैं वे इकॉनॉमिक फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन के लिए बनी हैं, ऐसी व्यवस्था एवं भावना उनमें लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो न्याय का काम है वह एक न्याय-पंचायत का रहना चाहिये। जैसा मैंने निवेदन किया रेवेन्यू का सिलसिला चलेगा तहसील लेवल पंचायतों से कलेक्टर इत्यादि तक और उस तरह जो ज़िला परिषदें बनेंगी उनके हाथ में वे अधिकार कलेक्टर लेवल के सीधे रहेंगे या अनिवार्य सहकारी की तरह रहेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज कर दूँ कि जिस प्रकार रेवेन्यू कोर्टस हैं उसी प्रकार लेबर कोर्टस भी होने चाहिये। यह थोड़ा विषयान्तर हो जाता है लेकिन इस प्रकार विभाजन होने से अलग अलग चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं और काम ठीक तरह से हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि नीचे की व्यवस्था में यह सब कर दिया जायगा लेकिन सेशन जज़ की नियुक्ति का सवाल आयेगा, चीफ जज़ का सवाल आयेगा, सुप्रीम कोर्ट का सवाल आयेगा, वहां क्या होगा ? वहां किसी प्रकार एग्ज़ीक्यूटिव का प्रभाव न बना रहे, ऐसा होगा। जुडिशियरी उस प्रभाव से अलग कैसे होगी ? उस प्रभाव से बिल्कुल स्वतन्त्र कैसे होगी ? तो इस विषय में, मैं समझता हूँ कि सेशन जजेज़ की नियुक्ति और उनके तबादले एक इस प्रकार की जुडिशियल सर्विस कमिशन के द्वारा हो, जिस प्रकार की पब्लिक सर्विस कमीशन है। उसी प्रकार यह बननी चाहिये। उसके हाथ में इसका पूर्णतया नियन्त्रण रहे। तब जुडिशियरी किसी प्रकार कुछ प्रभावयुक्त हो सकेगी। यह तारतम्य इस प्रकार बनना चाहिये कि चीफ ज़स्टिस की अध्यक्षता या निरीक्षण में इस प्रकार की सत्ता रहे और उसके ऊपर की सत्ता सुप्रीम कोर्ट के हाथ में रहे न कि सामान्य प्रशासन के हाथ में हो। तभी थोड़ी अलगियत महसूस हो सकती है। इसके साथ ही जो चीफ जज़ हैं वे उसी प्रकार अपने बड़े अधिकारी से नियुक्त होने चाहिये। अब सवाल यह रह जाता है कि

(श्री नारायणसिंह)

सुप्रीम कोर्ट के जज़ का क्या होगा ? जब तक ठेठ ऊपर से नीचे तक हर तरह जुडिशियरी को बिल्कुल अलग नहीं कर देते तो एग्ज़ीक्यूटिव का प्रभाव पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है, उससे बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की व्यवस्था होगी, उसमें खास तौर पर यह बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जज़ जब वहां से रिटायर हो जायगा तो उसकी नियुक्ति जिस प्रकार अमेरिका में है उसी तरह उसके बाद किसी ओहदे पर नहीं हो सकेगी। वे बिल्कुल रिटायर्ड ही समझे जायेंगे। तो वह भी किसी प्रकार के एग्ज़ीक्यूटिव प्रभाव से अलग रह सकेंगे।

अभी सवाल आया था गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स और पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के बारे में। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ जुडिशियल सर्विस कमिशन इस प्रकार की नियुक्तियों के नियन्त्रण में रहनी चाहिये कि वे ही इन लोगों का अपॉइन्टमेन्ट्स कर सकें, प्रोमोशन और स्थानान्तरण कर सकें। और इस प्रकार से एग्ज़ीक्यूटिव का प्रभाव जो जुडिशियरी पर पड़ सकता है यह आशंका दूर होगी।

तो आज हमें यदि सही परम्परा से इसको बिल्कुल अलग करना है तो छोटी छोटी नुक्ताचीनी से इस चीज़ की तरफ संकेत नहीं दे सकते। हमें तो आज इसे केवल राज्य के स्तर पर ही नहीं केन्द्र के स्तर पर करना होगा। यह हमारी विधानसभा का ही कार्य नहीं होगा बल्कि लोक सभा का कार्य होगा। संविधान में तो शायद हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता न हो। पर हमें न्याय और प्रशासन को अलग करने के लिये काफी बड़ा परिवर्तन करना होगा। यदि हम कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पदों को अलग कर भी दें पर उनके अपॉइन्टमेंट की पद्धति, उनके तबादले की पद्धति को भूल जाते हैं तो हम इस सब को ठीक तरह से नहीं बैठा सकते। ऐसा न करें तो हम केवल आत्म संतोष ही कर सकते हैं कि हमने जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग अलग कर दिया। अमेरिका में दो सो वर्षों से इस प्रकार का प्रयास करते हुए भी वहां की जूडिशियरी एग्ज़ीक्यूटिव से बिल्कुल प्रभावरहित नहीं कही जा सकती। उन सारे अनुभवों से लाभ उठा सकें तो अच्छा है। उन्होंने इस पद्धति को अपनाया और अपने अनुभवों के आधार पर समय समय पर उसमें संशोधन किये। पर आज हमारे सामने तो दूसरों के अनुभव हैं जिनके आधार पर हम ऐसा सुचारु रूप से प्रबन्ध कर सकते हैं कि जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग कर के एक दूसरे के प्रभाव से रहित कर सकते हैं।

आज केवल सुरक्षा का राज्य तो रहा नहीं। न्याय के लिये जो व्यक्ति आता है उसके बीच में जो भी रोक हो, खाई हो, उसको दूर करना हमारा फर्ज़ है। यह केवल राज्य सरकार का ही काम नहीं रहता यह तो केन्द्रीय सरकार का काम हो जाता है, सारे भारत की व्यवस्था को बदलने का सवाल आता है।

इसलिए इस प्रकार के जो कटौती के प्रस्ताव आज आये हैं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया जाय इससे मैं सहमत हूं। मैं ही क्या कोई भी विचारक व्यक्ति देश का होगा वह इससे सहमत होगा। हम सब इस ओर जागरूक हैं, हमारी सरकार जागरूक है और इस ओर धीरे धीरे और जैसी

(श्री नारायणसिंह)

सुविधा होगी कदम उठाये जायेंगे और उठाये जाने चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास (विधि एवं न्याय मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न्याय और प्रशासन के सम्बन्ध में जो आज वाद-विवाद रहा उसका सारांश अगर मैं आपके सामने पेश करूं तो तीन या दो बड़े पोइन्टस हैं जिनकी ओर हाउस में ध्यान दिलाया गया है । एक तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना व दूसरा न्याय सुलभ और सस्ता मिले ।

ये दो पोइन्ट्स आज के वाद-विवाद के हैं । सेपरेशन ऑफ एग्ज़ीक्यूटिव फ्रोम जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका इनका अलग अलग होना, इसके बारे में निवेदन करूं कि अपने विधान के अनुसार तीन बड़े अंग हैं जिनके ज़रिये देश का काम चलता है । एक तो एग्ज़ीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेशन और तीसरा जुडिशियरी । ये तीनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, इन तीनों ही की देश का कार्य चलाने के लिये आवश्यकता है । एक की एब्सेंस ऐसी एब्सेंस है कि उसको बिना दो का काम नहीं चल सकता । तीनों मिल कर ही काम चला सकती हैं । तीनों का अपने अपने क्षेत्र में आज़ादी के साथ काम करना यह विधान में बात आती है ।

इस वक्त जुडीशियरी का एग्ज़ीक्यूटिव से सम्बन्ध है । विधान में इस चीज़ को माना है कि इनका सेपरेशन होना चाहिये । जहां तक राजस्थान सरकार का ताल्लुक है वह इस नीति को मानती है कि न्याय और प्रशासन अलग अलग होने चाहिये, न्यायपालिका और प्रशासनपालिका ये दोनों अलग अलग होनी चाहिये, जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव अलग अलग होनी चाहिये ।

इस पर कुछ अमल भी किया गया है । यह कहा जा सकता है कि अब तक जितना किया है वह काफी नहीं है, ऐसा कहने में वज़न भी हो सकता है । पर आज तक कोई एक्शन इस सम्बन्ध में नहीं लिया गया है, ऐसी बात नहीं है । यह काम ऐसा है जिसमें काफी वक्त लगता है । अपने पड़ौसी प्रान्तों में देखें, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखें, वहां एग्ज़ीक्यूटिव और जुडिशियरी का पूरा सेपरेशन नहीं हुआ है । वहां पर जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव का सेपरेशन ग्रेज्युअली कर रहे हैं । बॉम्बे में और दक्षिण के कुछ प्रान्त हैं जिनमें इनका पूरा सेपरेशन हुआ है । राजस्थान में भी हम इस प्रगति की ओर जाना चाहते हैं क्योंकि चाहे एग्ज़ीक्यूटिव पूरी तरह से न्याय ही करे, पर संभावना है कि वह अन्याय ही करेगी । जुडिशियरी चाहे अन्याय ही करे पर उसको न्याय ही समझा जायगा । उसके लिये पब्लिक में कॉन्फीडेन्स होता है, दोनों अलग अलग हों और जुडिशियरी ने जो कुछ निर्णय कर दिया वह ठीक है । विधान की दृष्टि से भी और प्रेक्टिकल लिहाज़ से भी यह बहुत मुनासिब है कि दोनों को अलग अलग करना चाहिये । हमने राजस्थान में इस ओर कदम उठाया है, ३६ अदालतों को हमने अलग अलग किया है, मुंसिफों को पॉवर्स दिये हैं और वे अदालतों से गवर्न होते हैं । पर ३६ काफी नहीं हैं और इसके इम्पलीकेशन, खर्चे वग़ैरह की जांच के लिये पूरा ब्योरा गवर्नमेंट के समक्ष पेश किया जाय, इसके लिये एक

(श्री रामकिशोर व्यास)

कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई है। इस कमेटी के चेयरमैन जस्टिस बापना हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। उस कमेटी की सिफारिशें एनकरीब ही गवर्नमेंट के सामने आयेंगी, उसकी फाइनल स्टेज़ में कार्यवाही चल रही है....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश कर दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं, अभी नहीं की। सलाह मशविरा हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या गवर्नमेंट से सलाह-मशविरा चल रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट ही पेश नहीं की तो गवर्नमेंट से सलाह-मशविरा क्या करेंगे, आपस में ही कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई इन्टेरिम रिपोर्ट पेश हुई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

अब कुछ बातें जो वर्तमान व्यवस्था है उसके बारे में मेरा ध्यान दिलाया गया और एक नक्शा ऐसा सामने खींचा गया कि गड़-बड़ी ही गड़बड़ी है।

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, कुछ दिनों पहले पत्रों में यह आया था कि बापना रिपोर्ट पेश हो गई है और वह सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकिशोर व्यास : उसको गलत मानना चाहिये। बापना रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने आई नहीं है।

जो कुछ वाकयात जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव के लिये बताये और कहा गया कि जुडिशियरी पर एग्ज़ीक्यूटिव हावी है। जुडिशियरी निकम्मी हो गई है, जुडीशियरी डरती है और जुडिशियरी से एग्ज़ीक्यूटिव जो चाहती है वह करा लेती है। मैं नम्रतापूर्वक अर्ज करना चाहता हूं कि कल्पना आपने बतायी वह सही नहीं है। हमारी जुडिशियरी और प्रांतों से किसी हालत में कम नहीं है। इसने एफीशियेन्सी को मेन्टेन कर रखा है, बढ़ाया ही है लेकिन किसी हालत में घटाया नहीं है। जजमेंट का जो स्टेन्डर्ड मेन्टेन कर रखा है किन्हीं प्रांतों से कम नहीं है। अतः राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में और जुडिशियरी के बारे में यह कहा जाय कि स्टेन्डर्ड लो है, मैं समझता हूँ कि यह उचित नहीं है, किसी कदर स्टेन्डर्ड लो नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इतने कितने केसेज़ हुए, S. P. writing a letter about S. D. M. ? और वार्निंग देकर छोड़ दिया हो, ऐसे कितने केसेज़ आये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : उसके लिये भी कहूँगा।

कुछ अपोइन्टमेंट्स और ट्रान्सफर्स के बारे में भी रोशनी डाली गई। हाई कोर्ट के जजेज़ के लिए कह दिया गया कि गवर्नमेंट की रिकमन्डेशन नहीं होनी चाहिये और सीधे ही सुप्रीम कोर्ट को पॉवर्स दे देने चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका ध्यान होगा इस बात की ओर कि आज भी हाई-कोर्ट जजेज़ का अपोइन्टमेंट प्रेसिडेन्ट करते हैं और वह भी चीफ जस्टिस की रिकमन्डेशन पर। चीफ जस्टिस की रिकमन्डेशन गवर्नमेंट के थ्रू होकर जाती है। मैं आपको इस बात

(श्री रामकिशोर व्यास)

पर विश्वास दिला कर बताना चाहता हूं कि थोड़े अर्से में कोई भी ऐसा मौका नहीं आया है जबकि चीफ जस्टिस ने राय दी हो और उसको गवर्नमेंट ने नहीं माना हो। इसके साथ ही चीफ जस्टिस की कोई राय और हो और गवर्नमेंट की कोई राय और हो, ऐसा मौका भी नहीं आया है। जो सिफारिश उन्होंने की है वही मैंने प्रेसिडेन्ट को भेजी है। इसमें कोई व्यू गवर्नमेंट का नहीं है। जो नाम हाई कोर्ट ने रिकमेन्ड किया, अलग व्यूज़ रखते हुए भी, जहां तक उनकी रिकमन्डेशन को वज़न देने की बात है मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि फाईनल डिसीज़न हाईकोर्ट की सिफारिश को ही माना गया है और वही नाम रिकमन्ड किया है। गवर्नमेंट का इन्टर-मिजियरी ऐसा पार्ट है, चीफ जस्टिस रिकमन्ड करता है, प्रेसिडेन्ट अपोइन्ट करते हैं, बीच में गवर्नमेंट से रिकमन्ड होता है और डिफरेन्स हो भी तो वह प्रेसिडेन्ट को पेश किया जाता है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस की रिकमन्डेशन में कहीं डिफर किया हो, ऐसा केस नहीं आया होगा आपके देखने में भी।

डिस्ट्रिक्ट जजेज़ के बारे में कई बातें कही गईं। उनके अपोन्टमेन्ट की पोज़ीशन यह है कि गवर्नर अपोइन्ट करता है on the recommendation of the High-Court इसमें भी कोई ऐसा मौका नहीं आया कि हाईकोर्ट ने किसी सेशन्स एन्ड डिस्ट्रिक्ट जज़ के लिए रिकमन्ड किया और गवर्नमेंट ने उसको नहीं माना। आपको ऐसा एक भी केस नहीं मिलेगा कि जिसमें हाई-कोर्ट ने कहा हो और राज्य सरकार ने न माना हो। जो हाई कोर्ट की भावना थी उसका पालन किया।

ट्रान्सफर्स के बारे में भी कहा गया। इसके लिये अर्ज करूंगा कि आपको जानकारी होगी कि डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जजेज़ के ट्रान्सफर्स गवर्नमेंट करे, ऐसी बात नहीं है। सेशन्स जजेज़ और एडीशनल सेशन्स जजेज़ की हाईकोर्ट से रिकमन्डेशन आती है और गवर्नमेंट उसको गवर्नर के पास भेजती है और उसके लिए फाईनल आॅथोरिटी तो वही है। अपोइन्टिग आॅथोरिटी गवर्नर है तो ट्रांसफर के लिए भी वही हैं। अब तक जितने केसेज़ आये हैं, मैं कह सकता हूं जब से मैं लॉ डिपार्टमेंट में हूँ, हाईकोर्ट के जजेज़, सेशन्स जजेज़ और एडीशनल सेशन्स जजेज़ के बारे में हाई-कोर्ट से रिकमन्डेशन आई हो और उनको न माना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सेन्ट पर्सेन्ट उनको हमने एग्री किया है। फिर गवर्नमेन्ट के लिए यह कहना कि एग्ज़ीक्यूटिव ने जुडिशियरी पर इन्फल्यूएन्स कर रखा है, यह उचित नहीं होगा। आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसमें बता दिया जाय कि हाईकोर्ट ने रिकंमन्ड किया और हमने उसको नहीं माना और उनकी मर्जी के खिलाफ किया।

कुछ बातें हैं जो दिखाने के लिए हैं। जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव के नीचे रखते हैं तो यह कहा जाता है कि एक्जीक्यूटिव को प्रिफरेन्स दे दिया जाता है, जुडिशियरी को डाउन किया जाता है, जुडीशियरी को बराबर लाया जाय तो कहा जाता है कि इन्फ्लुएन्स किया। दोनों तरफ की बातें हैं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनके प्रोमोशन्स, सीनियोरिटी, ग्रेड इन्क्रीमेंट्स के रूल्स मुकर्रर हैं। ज्युडिशियरी को भी उतने ही अधिकार हैं। कुछ

(श्री रामकिशोर व्यास)

पोस्ट्स एक्जीक्यूटिव की ऐसी हैं जिनके साथ में स्पेशल पे दी जाती है। वे गिनी चुनी पोस्ट्स हैं और दिया जाना भी मुनासिब है। जैसे रजिस्ट्रार हाइकोर्ट की पोस्ट, लॉ सेक्रेटरी, लीगल रिमेम्ब्रेंसर और असेम्बली सेक्रेटरी, उनको मिलती है या नहीं मुझे नहीं मालूम है। उन सब पोस्ट्स के साथ स्पेशल पे दी जाती है। कुल मिला कर ऐसी पांच, छ पोस्ट्स हैं जिनको सेमी जुडिशियल माना है। डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज की कन्वर-टेबल पोस्टस रखी हैं, ओन सेक्रेटरी की पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके लिये यह कहना कि इन्फ्ल्युएन्स से या उसमें फर्क रखा है यह केवल कल्पना ही है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि सेक्रेटेरियेट में और सेक्रेटरीज हैं उनको २००) रु० मिलते हैं स्पेशल पे के, तो क्या आप चाहते हैं कि लॉ सेक्रेटरी की पोस्ट पर जो जुडिशियल सर्विस की तरह हैं उनको न मिले तथा और भी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको स्पेशल पे मिले और दूसरों को न मिले? सेक्रेटरीज़ हैं उनको सर्टेन अलाउन्स मिलता है, लॉ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, लीगल रिमेम्ब्रेन्सर हैं उनको सर्टेन अलाउन्स मिलता है। यह कहना कि जुडि-शियरी को एग्जीक्यूटिव इन्फ्ल्युएन्स करती है यह कतई गैरवाजिब है। ये तो इन्टर्चेंन्जेब्ल पोस्ट्स हैं। सारे हिन्दुस्तान में ऐसा है, सब जगह लॉ सेक्रेटरी होते हैं उनको अलाउन्स मिलता है और वे जुडिशियल सर्विस के ही आदमी होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको उन्हीं पोस्ट्स पर पर्मानेन्ट कर दीजिये ताकि दिक्कत न रहे कि वापिस रखेंगे या नहीं, इन्टरचेन्जेबल होने के कारण उनके दिमाग पर असर पड़ता है।

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो ठीक, और रहने भी चाहिये। फिर तो एग्जीक्यूटेव में ही हो जाय। फिर तो जुडीशियरी के आदमी की जरूरत नहीं है। किसी आई० ए० एस० को अपोइन्ट कर दें तब भी चला लेगा। जुडिशियल साइड के आदमी हैं वे लॉ के काम को अच्छी तरह से चला सकते हैं। सब ही जगह ऐसी स्थिति है। मैं आपकी सारी दलीलों को समझ नहीं पाया कि आप जुडिशियरी को सपोर्ट करना चाहते हैं या डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। एक आपने सवा लाख रुपये के बाबत बात कही। कितना एग्जीक्यूटिव वर्क उन पर पड़ा और कितने हमारे कहने से फैसले कर देते हैं जब कि फेक्ट्स तो ये हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ कितने अहमियत के केसेज़ तय हो जाते हैं, पोलिटिकल डिटेन्यूज़ के भी हो जाते हैं, मर्डर केसेज़ में बेल पर रिहा हो जाते हैं। यदि किसी ऑफिसर ने भूल से कर भी दिया हो तो उसको करेक्ट करने की बात हो सकती है लेकिन जनरली बात कहना उचित नहीं है। अगर उसी तरह की बात रहती है तो फिर एग्जीक्यूटिव की जरूरत ही क्या? भैयाजी, ऐसी बात नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : आज जवाब माकूल मिला है।

श्री रामकिशोर व्यास : जिस प्रकार आई० ए० एस० कर्मचारियों का एक निश्चित स्टेंडर्ड है जो एग्जीक्यूटिवसाइड में काम करते हैं, जो सुविधायें एग्जीक्यूटिव साइड में काम करनेवालों को हम देते हैं वैसी ही सुविधा जुडिशियल ऑफिसर्स को भी मिले यह हमारा ध्येय है। अगर आप इस प्रकार

(श्री रामकिशोर व्यास)

सुविधाओं का विरोध करते हैं तो वह मानने लायक नहीं। क्या आप यह चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव से हमारी जुडिशियरी के ऑफिसर्स कम वेतन पानेवाले हों? आपके कहने के मुताबिक तो आप यह चाहते हैं जुडिशियरी नीची बनी रहे।

आई० ए० एस० में इस प्रकार का कायदा है कि जो आर०ए०एस० से लोगों का प्रमोशन किया जाता है तो उनको उनकी आर० ए०एस० की सर्विस के हिसाब से ग्रेड इन्क्रीमेंट दिया जाता है। मान लीजिये किसी ऑफिसर का आर० ए० एस० से सलेक्शन आई०- ए० एस० के लिये होता है और उसकी १५ साल की सर्विस आर० ए० एस० केडर में हो गई है तो तीन साल में एक ग्रेड इन्क्रीमेंट के हिसाब से १५ साल के तीन ग्रेड इन्क्रीमेंट उसको मिल जायेंगे जुडिशियरी में यह बात नहीं थी। स्पेशियली मैंने इस बात के लिये आग्रह करके मनवाये। जब एग्जीक्यूटिव साइड के ऑफिसरों को इस प्रकार का एडवान्टेज देते हो तो फिर जो जुडिशियरी से प्रोमोट होते हैं उनको भी मिलना चाहिये। इसके लिये बहुत आग्रह था और इसको लड़कर मैंने तय करवाया। मैंने कहा दोनों को बराबर रखिये। ऐसे केसेज़ को भी अगर आप प्रलोभन की बात मानते हैं तो मैं इसके लिये क्या कर सकता हूं? हमारे चीफ जस्टिस इस बात के लिये बराबर प्रेस करते रहे हैं। जो एडवान्टेज इधर मिल रहा है वह उधर भी मिलना चाहिये।

ऐसा मालूम देता है कि माननीय सदस्य हर चीज़ को एक ही दृष्टि से देखते हैं। नाराजगी अगर उनकी मेरे इस डिपार्टमेंट से है तो बात अलग है....

श्री भैरोंसिंह: नाराजगी आपके डिपार्टमेंट से नहीं है बल्कि इस बात से है कि आप ऊपर के ऑफिसरों के लिये तो इतनी बातें सोचते हैं, लो पेड़ इम्प्लोईज़ के लिये कुछ नहीं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे प्रिन्सिपल की बात कही। हम चाहते यह हैं कि एग्जीक्यूटिव साइड के लोगों की जो सेलेरी है वह जुडिशियरी के लोगों की भी वही रहे। उनको एग्जीक्यूटिव में काम करने वालों से कम वेतन दिया नहीं जा सकता। इसका एक कारण यह भी है कि एग्जीक्यूटिव साइड में काम करनेवाले ऑफिसरों के लिये स्कोप भी बहुत है और जुडिशियलवालों का बिल्कुल लिमिटेड स्कोप है, ज्यादा से ज्यादा सिविल एन्ड एडीशनल सेशन्स ज़ज तक वे हो सकते हैं। हाई कोर्ट में जाने का तो बहुत कम का नम्बर आता है। उनके लिये सिर्फ चार पांच पोस्ट्स हैं। इनके अलावा दूसरी ओर निकलने की उनको कोई गुंजाइश नहीं है। आर० ए० एस० और आई० ए० एस० ऑफिसर्स जो होते हैं उनका बहुत वाइड स्कोप है। इसलिये सवा लाख का जो प्रोविजन है वह इसलिये है कि तीन साल के हिसाब से एक ग्रेड इन्क्रीमेंट उनको दिया जाय। उसके लिए यह रखा गया है। जहां तक सर्विसेज़ का ताल्लुक है हम इस बात की कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ जो काम करते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव साइड के हों या जुडिशियल साइड के हम किसी में फर्क रखना नहीं चाहते।

इसके अलावा जो सीनियोरिटी की बात कही उसके लिये कहा गया कि गवर्नमेंट

(श्री रामकिशोर व्यास)

सीनियोरिटी लिस्ट बदल कर इन्फल्यूयेन्स करना चाहती है कुछ व्यक्तियों की। आपको मालूम होना चाहिये, इनके इन्टीग्रेशन के लिये एक कमिटी बैठी थी उसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे। उन दोनों ने बैठ कर सलेक्शन किया था। फॉर्मुले के बारे में राणावत कमेटी बैठी थी उसने सर्टेन फॉर्मुला ले-डाउन किया था। वह फॉर्मुला क्या था यह मैं कह नहीं सकता क्योंकि यह बहुत पुरानी बात है और वह मेरे समय की भी नहीं है। राणावत कमेटी ने सर्टेन आर० ए०-एस० ऑफिसर्स के लिये जो फॉर्मुला नियत किया था उसके बारे में मतभेद था। बहुत से जुडिशियल ऑफिसरों का यह कहना था कि जो प्रिन्सिपल आर० ए० एस० ऑफिसरों के लिये रखा गया है उसी तरह का उनका भी होना चाहिये। इसी का रेफरेन्स लेकर हाई-कोर्ट में मामला गया था और हाई कोर्ट ने उसको माना है। इसके अलावा एक केस में जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है उसकी कम्पला-येन्स के लिये हमने पी० एस० सी० के पास भेज दिया है। हाई कोर्ट और पी० एस० सी० के दर्मियान वह मामला चल रहा है। उसके लिये यह कहना कि गवर्नमेंट ने सीनीयोरिटी बदल दी, यह बात गलत है। हमने उस मामले को हाई कोर्ट और पी० एस०सी० को भेजा है। जबरदस्ती आप हमें क्यों घसीट रहे हैं ? हम निकम्मे आदमी हैं या कैसे हैं, गलत बातें कह कर आप हमारे पर दोष मढ़ते जा रहे हैं ? वास्तव में यह बात ठीक नहीं कही जा सकती भैया जी।

एक माननीय सदस्य : आज वे भी आड़ ले गये।

श्री रामकिशोर व्यास : अब रहा सवाल दूसरे जुडिशियल पोस्ट्स का। मुन्सिफ जो होते हैं वे डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं। उससे गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। मुन्सिफ के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट होल्ड करता है। इसके बाद सिविल जज का चान्स आता है, वह भी मुन्सिफ को प्रोमोशन देकर किया जाता है, वह भी हाई-कोर्ट करता है। मुन्सिफ की ट्रान्सफर आदि भी चीफ जस्टिस करता है। मुन्सिफ का ट्रान्सफर करना हो तो हमारे पास कोई आता नहीं। वैसी हालत में हमारा इन्टरफियरेन्स आता कहां है ? सिविल एन्ड एडीशनल सेशन्स जजेज़ प्रोमोशन से होते हैं। इसके अलावा कुछ डाइरेक्ट लेने के अधिकार हैं वे भी वे ही करते हैं। वैसी हालत में आप यह किस आधार पर कह सकते हैं कि हमारा उन पर इन्फलुएन्स रहता है ?

नीचे के मजिस्ट्रेट्स की बातें कहीं। नीचे के लेवल पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपने एक दो केसेज़ ही बताये कि एक मजिस्ट्रेट ने एक केस में जमानत मांगी लेकिन ऊपर से इस प्रकार का इन्फलुएन्स हुआ कि उससे जमानत न ली जाय। जहां तक इस शिकायत का संबंध है, जिस पोइन्ट ऑफ व्यू से शिकायत की है वह सही है। उसमें लिखा है कि इससे लॉ एन्ड ऑर्डर को इफेक्ट होगा, यह एटीच्यूड तो नहीं था जिसका कि आप रेफरेन्स फरमा रहे हैं। जहां तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सवाल है वह इन्डिपेन्डेन्ट है। इस प्रकार के और भी केसेज हो सकते हैं। स्लेकनेस हो सकती है, लेकिन आप ऐसे केसेज़ का पर्सेन्टेज देखें जब कि

(श्री रामकिशोर व्यास)

आप १७६ ओब्ज़र्वर्स बैठे हैं। उसके उपरान्त भी इस दस साल के पीरियड में इस प्रकार के कितने केसेज़ आये ? एग्जाम्पलस के तौर पर कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन जनरली इस चीज को नहीं कह सकते....

श्री श्रीभानसिंह : It is not clear. The Hon'ble Minister sometimes says it is a case of interference and sometimes he says that it is not a case of interference. Whether it is a case of interference or not ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने आपसे कहा ऐसे केसेज इन्डीविज्युअल हो सकते हैं कि किसी अफसर नें किसी केस में इन्टर्फियेरेन्स करने की कोशिश की हो।

श्री श्रीभानसिंह : इस पर्टिकुलर केस के लिये बतलाइये ?

श्री रामकिशोर व्यास : बेकरार क्यों होते हैं, आप सुनिये। जिस अफसर ने बेल एक्सेप्ट की...

श्री श्रीभानसिंह : Be specific please.

श्री रामकिशोर व्यास : जिसने बेल अक्सेप्ट की उसने कुछ नहीं लिखा।

श्री श्रीभानसिंह : Don't say इस and उस Say S. P. or S. D. M.

श्री रामकिशोर व्यास : जिस मजिस्ट्रेट ने बेल अक्सेप्ट की उसको एस० पी० ने कुछ नहीं लिखा। He was...

५ म० प०

श्री श्रीभानसिंह : उसका केस जिसके पास पेन्डिंग था उनको तो लैटर नहीं लिखा न ?

श्री उपाध्यक्ष : He means that the action may be taken to prevent the recurrence.

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो खुद ही कहता हूं। उसने लिखा डी० एम० को। 'इस तरह की चीज़ आइन्दा न हो इस...

श्री भैरोंसिंह : आइन्दा से जमानत न ली जावे, क्या आप यह कहना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मंशा यही हो सकती है, दूसरी मंशा नहीं। लैंग्वेज चाहे कुछ हो सार यही निकलेगा।

श्री भैरोंसिंह : जो जमानत ली है उसके खिलाफ एक्शन लिया जावे तो फिर।

श्री रामकिशोर व्यास : ठीक है, आप सही फरमाते हैं। उसने डी० एम० को लिखा, उसको नहीं लिखना चाहिये था। हम भी इससे एग्री करते हैं। यह आइन्दा बन्द होना चाहिये। वार्निंग दे दी।

श्री श्रीभानसिंह : What action....

श्री रामकिशोर व्यास : यही तो एक्शन है। वार्निंग दे दी गई है। इसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिये वार्निंग देना ही काफी समझा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप यह नहीं समझते कि यह कितना सीरियस हो सकता है ? अगर इसको लीनियेन्ट मान कर लोग आगे भी यही करते रहें ? आप क्या इस चीज को एप्रीहेन्ड नहीं करते ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर इस पर गौर नहीं करते तो एप्रीहेन्शन की बात ठीक हो सकती थी। अगर हम वार्निंग नहीं करते तो आपका फरमाना वाजिब था और ऐसा नतीजा निकल सकता था। वो हम भी उसको गलती बताते हैं और हमने वार्निंग दी भी है। फिर एप्रीहेन्शन क्यों होना चाहिये कि इसका दूसरे पर असर पड़ेगा ?

श्री श्रीभानसिंह : Because of the very lukewarm attitude of the Hon'ble Minister towards this man. Does the Government think that warning is sufficient for this interference by the man ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौनसा ऑफेन्स बनावेंगे इसको आप ?

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब ? कोई ओफेन्स नहीं बनता है ? फिर भी आपने वार्निंग दे दी ?

(हंसी)

क्यों दी फिर यह ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्रिन्सिपल पर गैर मुनासिब समझते थे। गलत था उनका लिखना इसलिये वार्निंग दी। पर....

श्री श्रीभानसिंह : Is the Government prepared to submit all these letters and everything to the High Court to decide whether it is a contempt of the court or not? कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट है।

श्री भैरोंसिंह : कोर्ट का कॉन्टेम्प्ट है, गवर्नमेंट ऐसा समझती है या नहीं ? गवर्नमेंट क्या समझती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट समझती है कि यह एक्शन गलत था, इम्प्रोपर था।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): हाई कोर्ट को यह भी लिखना था कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट था।

श्री उपाध्यक्ष : Even the High Court can suomoto take the action.

श्री रामकिशोर व्यास : I have nothing to say.

श्री भैरोंसिंह : क्या आप जुडिशियल मिनिस्टर की हैसियत से यह लिखने को हैं, इस बात की सिफारिश करेंगे कि कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इन पर चालू किया जाय ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं कोर्ट को ही पूरा डिस्क्रीशन अपना यूज करने देना चाहता हूं। कोर्ट जो मुनासिब समझे करे। मैंने तो पहले ही अपनी पोलिसी बता दी थी कि हाई कोर्ट या कोर्ट जो वाजिब हो करे। हम तो इसमें कोई इन्टरफियर नहीं करना चाहते।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या सरकार अपनी इस वार्निंग की कॉपियां सभी ऐसे अधिकारियों को भेजेगी राजस्थान में ?

श्री रामकिशोर व्यास : अब यह कहा गया कि पी.पी. ज़. का अपोइन्टमेंट गवर्नमेंट करती है वह नहीं करना चाहिये ? इसके रूल्स वगैरह भी नहीं हैं यह भी कहा गया पी. पी.ज़. के अपोन्टमेंट के बारे में। इसके लिये

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है। इसके भी रूल्स बना रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज से और डी० आई० जी० से पैनल मांगते हैं और उस पर तीन साल के लिये अपोइन्ट करते हैं, फिर पैनल मांगते हैं उसमें कोई दुबारा भी आ सकता है पहले-वालों में से और नहीं आता है तो उसका नाम अपोइन्ट नहीं करते हैं, खत्म हो जाता है और उनके स्थान पर नयों को भी मौका मिल जाता है।

अब यह यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल को क्यों नहीं करते हैं? अब एक बात तो यह है कि और भी कई केस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें उनसे भी ज्यादा ऊंचे वकील की ज़रूरत हो सकती है तो वह भी हमें करना पड़ता है। फिर वहां जो केसेज़ लिये जाते हैं उनका क्रम कुछ इस प्रकार का है कि केस क्रम से तय होते हैं। अब पहले जो केस चल रहा है उसका कुछ भरोसा नहीं रहता। वह आज एक दिन में भी खत्म हो जावे और दो–चार महीने भी खींच ले। तो तब तक इन्तजार में बैठा रहना पड़ता है। यह एडवोकेट जनरल नहीं कर सकता। उसको वहां बैठा रख कर उसका खर्चा सरकार नहीं उठा सकती।

इसमें भी मैं बताऊं कि एक पूल है वकीलों का।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा): What about other States?

श्री रामकिशोर व्यास : उनकी करीब करीब सब की यही पोजोशन है। हमने सेफ-गार्ड कर रखा है, पूल बना रखा है। उनको सर्टेन फीस जो मुकर्रर होती है बांध लेते हैं। इसमें फेवर–डिसफेवर करने का प्रश्न आता ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह : पूल तो आपका ही है।

श्री रामकिशोर व्यास : कुछ कास्ट ऑफ लिटिगेशन और ऐसी ही कुछ बातों पर अब आता हूं। दो मिनट में खत्म कर देता हूं। अब यह कहा गया कि डिले होती है।

हमने हाई कोर्ट को लिखा है उन्होंने एक्शन लिया भी है। कॉस्ट आफ लिटिगे-शन आज के जमाने में होती ही है। इसका कुछ इलाज तो है नहीं। लॉ कमिशन ने इसका कुछ हल प्रपोज किया होगा तो उसको देख कर उस पर चलने की कोशिश करेंगे। अब कुछ पंचायतों का सैट–अप भी बदल रहा है, उनको कुछ पॉवर दे रहे हैं तो उसमें भी कुछ हल निकल सकता है इसका।

तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय सद-स्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपने कटौती के प्रस्तावों को वापिस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(अल्प विराम के अनन्तर)

अगर माननीय सदस्य कुछ सहृ-दयता से विचार करें तो मैं चाहूँगा कि वे थोडी देर और रुकें। मैं उनका ध्यान

(श्री उपाध्यक्ष)

कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की ओर खींचना चाहूँगा।

डॉ० बहादुरसिंह : जो कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है वह मैं वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० बहादुरसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव डिमान्ड नम्बर ११, मेजर हैड २७-पर, (नाम बताते जाइये), श्री भंवरलाल शर्मा, श्री 'कालाबादल' ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला ?

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैं अपना प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री अनोपसिंह।

श्री अपनोसिंह : I won't withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : This I Know.

(हंसी)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री अनोपसिंह

(श्री उपाध्यक्ष)

ने प्रस्तुत किया है वह स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): जवाब देने का मौका दिया जावे।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री भैरोंसिंहजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री भैरोंसिंह : 'हां' पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member will not be very inconvenient to the other Hon'ble Members.

(प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ)

(विराम)

श्री मोगजी भाई।

श्री मोगजी भाई : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री मोगजी भाई ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी : मुझे अपना प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उन्हें अपना प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द : वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं वापिस नहीं लेना चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाया ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरणदास ।

श्री शिवचरणदास : कटौती प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री शिवचरणदास ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैंने तो पहले ही ले लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

श्री लक्ष्मण हीरात : मुझे मेरा कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : मुझे मेरे कटौती के दो प्रस्तावों को वापिस लेने की अनुमति दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई ।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपने प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के संबंध में ३१ मार्च, १९६० को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को ४२,९६,००० रु. तक की राशि प्रदान की जाये।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

We now adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही म. प. ५ बज कर १२ मिनट पर, दिनांक १२ मार्च १९५९ को म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, ११ मार्च, ५९)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

दिया की भागल, तहसील राजसमन्द में कत्ल

फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की अदालत में सन् १९५७ के ६ पुलिस केस संख्या

स्वरूप-गंज-कोटड़ा सड़क

सरकार द्वारा कुचामन म्यूनिसिपल बोर्ड को अयोग्य ठहराना

भारत १९५८ की प्रदर्शनी में राज्य मण्डप (पवेलियन)

भरतपुर के नये स्थापित होनेवाले बिजली घर की भूमि

कालन्दी गांव में पीने के पानी का अभाव

किशनगढ़ हॉस्पिटल के क्वार्टर्स

मई, जून, १९५८ में जयपुर डिविजन में पीने के पानी की कमी

जयपुर नगरपालिका के चुनाव

तहसील पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के मुन्शियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी के केसेज

खाद्यान्न में स्टेट ट्रेडिंग नीति

रेन्जर्स परीक्षा पास व्यक्तियों की नियुक्ति

स्कम्भ

चैनसुख (नीमकाथाना), दुबे (खन्डेला) सब-इन्सपेक्टर्स एवं हीरालाल, हैड कॉन्सटेबल के विरुद्ध शिकायत

खाद्य विभाग के ट्रक ड्राईवरों का फिक्शेसन

कोटा नगर में आने व वहां से जाने वाली बसें

बीकानेर पावर हाउस से बिजली का वितरण

रूपनगढ़ व करकेड़ी के औषधालयों में दवा तथा नर्सों की कमी

स्टेज कैरेजेज के रूट्स पर बस स्टेण्डों पर मुसाफिरों के ठहरने तथा पानी का प्रबन्ध

जिलों के पंचायत विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना

रेन्ट कन्ट्रोल आबू रोड-श्योगंज में एक्ट के लिये प्रार्थना-पत्र

चीफ पंचायत ऑफिसर

सोमेसर-बूसी एप्रोच रोड, जिला पाली

सहकारी संस्थान विभाग में नियुक्तियां

ग्राम नगर, तहसील देवली के चमारों के कुंए के लिये धन राशि

स्थगित प्रश्नोत्तर

संख्या ४५५ के सम्बन्ध में वाद-विवाद

आय व्ययक, १६५६-६०
द्वितीय अवस्था

अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या ११-मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, विधि मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई

इस मांग पर १७ कटौती प्रस्ताव निम्न सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये:—

१ श्री रामेश्वर दयाल २
२ श्री दयाकृष्ण विजय
३ डॉ० चन्द्रकला
४ श्री अनूपसिंह
५ श्री भैरोंसिंह २
६ श्री मोगजी भाई
७ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
८ श्री लक्ष्मीचन्द
९ श्री मुरलीधर व्यास
१० डॉ० बहादुरसिंह २
११ श्री शिवचरणदास
१२ श्री भैरवलाल 'कालाबादल'
१३ श्री लक्ष्मण हीरात
१४ श्री भंवरलाल शर्मा

विधि मंत्री के उत्तर के पश्चात् ८ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

गुरूवार दिनांक १२ मार्च, ५६ की कार्य सूची

१. अनुदानों की मागों पर मत दान

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५० का उत्तर देखिए)

क्र० सं०	नाम अधिकारी	पद	तारीख जब से इस पद पर काम रहे हैं	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
	राजपत्रित अधिकारी (६)			
१	श्री गोविन्दकान्त शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार	२८-१-१९५६	
२	श्री हुक्माराम	,, ,,	८-५-१९५६	
३	श्री श्रीकृष्ण माथुर	,, ,,	२५-६-१९५६	
४	श्री राधाकृष्ण	,, ,,	१०-१०-१९५६	
५	श्री कुन्दनलाल कपूर	,, ,,	११-१-१९५७	
६	श्री सुलपालचन्द्र भण्डारी	चीफ ऑडिटर	१०-१२-१९५६	
	निरीक्षक (एग्जीक्यूटिव – २१)			
७	श्री एम. एम. जहूरअहमद	निरीक्षक	१०-९-५४	ये दोनों कर्मचारी हाई पॉवर कमेटी द्वारा सिविल सप्लाईज़ विभाग टूटने के समय लिये गये थे। इनका मामला राज्य सरकार व जनसेवा-आयोग के बीच में अनुमति प्रदान करने हेतु चल रहा है।
८	श्री हरप्रसाद निगम	,,	१३-९-५४	

१	२	३	४	५
६	श्री छोटेलाल गुप्ता	निरीक्षक	२४–१–५७	सिविल सप्लाईज़ विभाग टूटने के समय आॅब्जोर्बसन कमेटी द्वारा इस विभाग में भेजे गये। इनका भी जनसेवा आयोग की अनुमति का प्रश्न सरकार से चल रहा है।
१०	श्री महेशचन्द्र चतुर्वेदी	,,	२४–११–५८	
११	श्री रघुवीरसिंह	,,	८–१२–५८	
१२	श्री डालसिंह	,,	६–१२–५८	
१३	श्री सत्यवानप्रसाद गुप्ता	,,	१२–१२–५८	
१४	श्री दलपतसिंह मेहता	,,	,,	
१५	श्री गोवर्द्धनसिंह	,,	१३–१२–५८	
१६	श्री मुन्नालाल	,,	६–१२–५८	
१७	श्री राधेश्याम वशिष्ट	,,	,,	
१८	श्री जमनसिंह	,,	,,	
१६	श्री जैराम	,,	२०–१२–५८	
२०	श्री मोहनलाल शर्मा	,,	६–१२–५८	
२१	श्री हेमसिंह चौधरी	,,	२०–१२–५८	
२२	श्री मक्खनलाल गोस्वामी	,,	,,	
२३	श्री कालूसिंह	,,	२–१–५६	
२४	श्री बृजलाल	,,	१८–१२–५८	
२५	श्री महेन्द्रसिंह वर्मा	,,	१०–१–५६	
२६	श्री मोसिस विलियन	,,	२७–१२–५८	

१	२	३	४	५
२७	श्री गोपालचन्द्र	निरीक्षक	१०-१२-५८	
	निरीक्षक (ऑडिट - ११)			
२८	श्री महावीर प्रसाद	निरीक्षक(ऑडिट)	२६-१२-५८	
२९	श्री भीमसेन मलिक	,,	५-१-५९	
३०	श्री प्रभुदयाल गोयल	,,	२१-१-५९	
३१	श्री किशनपालसिंह	,,	७-१-५९	
३२	श्री गोपालसिंह	,,	१२-१-५९	
३३	श्री राममोहन शर्मा	,,	२९-१२-५८	
३४	श्री कृष्णकुमार शर्मा	,,	१३-१२-५८	
३५	श्री भूपसिंह	,,	१६-१२-५८	
३६	श्री बृजभूषण शर्मा	,,	३०-१२-५५	
३७	श्री बुधाराम	,,	२६-१२-५८	
३८	श्री बनवारीलाल	,,	(उपस्थित नहीं हुये)	
	सहायक निरीक्षक (३५)			
३९	श्री डालचन्द्र	सहायक निरीक्षक	२०-१२-५८	
४०	श्री प्रेमलाल	,,	२४-१२-५८	
४१	श्री प्रभुदयाल	,,	,,	
४२	श्री भंवरलाल	,,	२७-१२-५८	
४३	श्री रामरिछपाल	,,	३०-१२-५८	
४४	श्री सुबोधबिहारी गुप्ता	,,	१०-१-५९	
४५	श्री कन्हैयालाल	,,	२७-१२-५८	
४६	श्री गंगासहाय	,,	८-१-५९	

१	२	३	४	५
४७	श्री रामनारायणलाल	सहायक निरीक्षक	७-१-५६	
४८	श्री हेमचन्द्र शर्मा	,,	३-१-५६	
४९	श्री महेन्द्र कुमार जैन	,,	५-१-५६	
५०	श्री दामोदरलाल शर्मा	,,	,,	
५१	श्री परमेश्वर आर्य	,,	१३-१-५६	
५२	श्री कैलाशनारायण	,,	१२-१-५६	
५३	श्री पृथ्वीसिंह	,,	७-१-५६	
५४	श्री श्याममोहन	,,	,,	
५५	श्री प्रभुनारायण	,,	१३-१-५६	
५६	श्री सुरेन्द्रसिंह	,,	२८-११-५८	
५७	श्री झण्डासिंह	,,	१५-१२-५८	
५८	श्री नारायणसिंह	,,	२३-१२-५८	
५९	श्री श्यामलाल	,,	२०-१२-५८	
६०	श्री ओमप्रकाश	,,	१५-१२-५८	
६१	श्री जयनारायणसिंह	,,	१७-१२-५८	
६२	श्री जगदीशप्रसाद	,,	१५-१२-५८	
६३	श्री रफीतुल्लाखां	,,	,,	
६४	श्री नाथूलाल	,,	११-१२-५८	
६५	श्री सत्यनारायण	,,	,,	
६६	श्री राजेन्द्रसिंह	,,	१६-१२-५८	
६७	श्री चुन्नीलाल	,,	१३-१२-५८	
६८	श्री महावीरसिंह	,,	१७-१२-५८	

१	२	३	४	५
६६	श्री गिरराजसिंह	सहायक निरीक्षक	२२-१२-५८	
७०	श्री बिहारीलाल 'जाग्रत'	,,	२३-१२-५८	
७१	श्री हरफूलसिंह	,,	३१-१२-५८	
७२	श्री रमेशकुमार शर्मा	,,	३-१-५६	
७३	श्री गिरधारीलाल पटेल	,,	१८-१२-५८	

———

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण बुधवार, दिनांक ११ मार्च, १९५९)

स्कंभ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
३२९०	७	Ministef	Minister
३२९२	२२	उससे लिये	उसके लिये
३२९५	१६	श्री पी० के० चौधरी	४६१. श्री पी० के० चौधरी
३३०२	६ व ८	वख्त	वक्त
३३०३	२२	कदम उटाये ?	कदम उठाये ?
३३३१	१९	श्री अजोपसिंह	श्री अनोपसिंह
३३६३ व ६४	शीर्ष	स्थगित प्रश्नोत्तर, मांगों पर मतदान	प्रश्न सं० ४५५ के सम्बन्ध में वाद-विवाद
३३६४	शीर्ष	३३५४	३३६४
३३८२	१८	झकता है	झांकता है
३३८८	अन्तिम पंक्ति	दोगों को	दोनों को
३३९८	५	इशरे का	इशारे का
३३०४	३	भिल जाय	मिल जाय
३४२३	अन्तिम से ४	कम से काम	कम से कम
३४३७	७	ऐसी प्रथा	ऐसी प्रथा है
३४४३	अन्तिम से ७	rjght	right
३४७४	अन्तिम से ३	ओर प्रशाशन	और प्रशासन
३४८५	१७	४. २२ म० पू०	४. २२ म० प०
३४९७	२	पोट्स	पोस्ट्स
३५०७	१	(श्री दयाकृष्ण विजय)	(श्री रामकिशोर व्यास)